



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 161]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/ VAISAKHA 5, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 13 अप्रैल, 2017

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4/141/2017.—समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 एवं समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 42डी और 42ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

उद्देश्य: बीमा वेब संग्राहक विनियमों का उद्देश्य एक बीमा मध्यवर्ती के रूप में वेब-संग्राहक का पर्यवेक्षण और निगरानी करना है जो विभिन्न बीमाकर्ताओं के उत्पादों की कीमतों की तुलना करने और सूचना देने के लिए संभावित ग्राहकों को इंटरफेस उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट रखता हो।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 कहलाएँगे।
- (ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (ग) ये विनियम राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वेब संग्राहक) विनियम, 2013 का अधिक्रमण करेंगे।

2. परिभाषाएँ: इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- (ख) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "करार" से एक बीमा वेब-संग्राहक और एक बीमाकर्ता के बीच किया गया करार अभिप्रेत है;

- (ग) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "प्राधिकृत सत्यापक" वह व्यक्ति है जो दूरविपणन (टेलीमार्केटिंग) और दूरस्थ विपणन (डिस्ट्रैन्स मार्केटिंग) विधि के माध्यम से बीमा की अपेक्षा और अधिप्राप्ति के लिए बीमा वेब-संग्राहक अथवा दूरविपणन कर्ता (टेली-मार्केटर) द्वारा नियोजित है तथा जिसने प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है;
- (घ) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) अभिप्रेत है;
- (ङ) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "दूरस्थ विपणन" (डिस्ट्रैन्स मार्केटिंग) से बीमा उत्पादों की अपेक्षा अथवा विक्री की वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जहाँ अपेक्षा अथवा विक्री अथवा विक्री के निर्णय के स्थान पर उपभोक्ता स्वयं उपस्थित नहीं है, तथा प्रक्रिया टेलीफोन या संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस) या ई-मेल या इंटरनेट या वेब सेवाओं के माध्यम से पूरी की जाती है;
- (च) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक" से मुख्य परिचालन अधिकारी, मुख्य विपणन अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, प्रमुख – तकनीकी, प्रमुख – सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अभिप्रेत हैं;
- (छ) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "अग्रता" से उस व्यक्ति से संबंधित सूचना अभिप्रेत है जिसने बीमा वेब-संग्राहक की वेबसाइट में प्रवेश किया है तथा बीमा उत्पादों की कीमतों अथवा विशेषताओं अथवा लाभों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की संपर्क सूचना प्रस्तुत की है;
- (ज) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "अग्रता उत्पादन" बीमा उत्पादों की अपेक्षा के साथ आगे बढ़ने से पहले बीमा खरीदने के विषय में संभावित ग्राहकों का उद्देश्य जानने के लिए उनका विवरण संगृहीत करने की प्रक्रिया है।
- (झ) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "अग्रता प्रबंध प्रणाली" (एलएमएस) से बीमा वेब-संग्राहक की वेबसाइट पर प्राप्त पूछताछ से अग्रताओं को अंकित करने, निस्पंदन, विधिमान्य करने, श्रेणीबद्ध करने, उनका वितरण करने, अनुवर्तन करने और समापन करने के लिए बीमा वेब-संग्राहक द्वारा कार्यान्वित सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है;
- (ञ) "बाह्य स्रोत-उपयोग" (आउटसोर्सिंग) से इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए वे कार्यकलाप अभिप्रेत हैं जो अनुसूची VII के फार्म यू में यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक बीमा वेब-संग्राहक द्वारा किये जा सकते हैं;
- (ट) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है-
- क. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाई गई कंपनी; अथवा
- ख. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनाई गई सीमित देयता वाली भागीदारी जिसमें कोई भी भागीदार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) फेमा की धारा 2 के खंड (डब्ल्यू) में परिभाषित रूप में भारत के बाहर स्थित अनिवासी संस्था/व्यक्ति न हो, तथा उसके अधीन पंजीकृत विदेशी सीमित देयता वाली भागीदारी न हो; अथवा
- ग. बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति;

(ठ) "प्रधान अधिकारी" से अभिप्रेत है –

- क. निदेशक/साझेदार, जो निगमित निकाय के मामले में बीमा वेब-संग्राहक के कार्यकलापों के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेदार है; अथवा
- ख. बीमा वेब-संग्राहक के कार्य करने के लिए एकमात्र रूप से नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
- (ड) "अपेक्षा" (सॉलिसिटेशन) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए संभावित ग्राहक को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से बीमाकर्ता अथवा मध्यवर्ती द्वारा संभावित ग्राहक के साथ संपर्क के रूप में परिभाषित है;

- (द) "दूरविपणनकर्ता" (टेलीमार्केटर) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान विनियम, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अध्याय III के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत संस्था है;
- (ए) "बीमा वेब-संग्राहक" (इंश्योरेंस वेब-ऐग्रिगेटर) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत व्यक्ति है।
- (त) "वेबसाइट" ऐसे संबंधित वेब पृष्ठों का समूह है जो एकल वेब क्षेत्र से व्यवहृत हैं। एक वेबसाइट कम से कम एक वेब सर्वर पर आयोजित की जाती है, जिसमें इंटरनेट अथवा एकरूप संसाधन स्थापक के रूप में ज्ञात इंटरनेट पते के माध्यम से किसी निजी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जैसे नेटवर्क द्वारा प्रवेश किया जा सकता है। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "वेबसाइट" शब्द में वेब पोर्टल और/या मोबाइल साइट शामिल है।
- (थ) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "नामित वेबसाइट" ऐसी वेबसाइट है जिसका क्षेत्र नाम (डोमेन नेम) पंजीकृत है, तथा जो बीमा वेब-संग्राहक के स्वामित्व में विद्यमान है और केवल बीमा वेब-संग्राहक के कार्य करने के लिए ही प्रयुक्त है;
- (द) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं भी विनियमों/दिशानिर्देशों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

बीमा वेब-संग्राहक का पंजीकरण

3. बीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए पात्रता-मानदंड:

क. बीमा वेब-संग्राहक का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करने के लिए आवेदक उन शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं :

- आवेदक विनियम 2(के) के अंतर्गत यथापरिभाषित व्यक्ति है।
 - कंपनी की संस्था के ज्ञापन पत्र अथवा आवेदक के इस प्रकार के अन्य दस्तावेजों में केवल बीमा उत्पादों के वेब संग्रहण का व्यवसाय ही उनका मुख्य उद्देश्य होगा।
 - आवेदक अपने मुख्य उद्देश्य (बीमा उत्पादों का वेब संग्रहण) को छोड़कर किसी भी अन्य कारोबार में लिस्त नहीं है।
 - आवेदक प्राधिकरण द्वारा बनाये गये संबंधित विनियमों के अंतर्गत बीमा एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, सूक्ष्म बीमा एजेंट, अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए), सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, बीमा विपणन फर्म अथवा किसी अन्य बीमा मध्यवर्ती के रूप में नियुक्त/पंजीकृत नहीं हैं।
 - किसी बीमाकर्ता के साथ आवेदक की कोई निर्दिष्ट (रेफरल) व्यवस्था नहीं होगी।
 - एक आवेदक अथवा उसके समूह की संस्थाओं को बीमा मध्यस्थता के लिए सामान्यतः केवल एक ही पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकता है। तथापि, बीमा वेब-
- संग्राहक के पंजीकरण के लिए, जहाँ आवेदक का कोई सदस्य बीमा मध्यस्थता में पहले से ही नियुक्त हो, वहाँ आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर और हितों के संघर्ष के बिना विचार किया जाएगा।
- टिप्पणी:** इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "समूह" की परिभाषा का आशय वही होगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 तथा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये किसी अन्य निदेश में परिभाषित है।
- आवेदक के पास बीमा की अपेक्षा करने हेतु बीमा वेब संग्रहण करने के लिए एक नामित वेबसाइट है।

- viii. प्रधान अधिकारी के पास अनुसूची I के फार्म सी (प्रधान अधिकारी के लिए पात्र शैक्षिक अर्हताएँ) में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं।
- ix. बीमा वेब-संग्राहक के प्रधान अधिकारी ने प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- x. प्रधान अधिकारी/निदेशक/प्रवर्तक/शेयरधारक/भागीदार/प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक अनुसूची I के फार्म डी (प्रधान अधिकारी/ निदेशकों/ भागीदारों/ प्रवर्तकों/ शेयरधारकों/ प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों का विवरण) में विनिर्दिष्ट रूप में योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों में निहित शर्तों को पूरा करते हैं।
- xi. प्राधिकृत सत्यापक ने निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त किया है और प्राधिकरण के द्वारा अनुसूची VI के तहत फार्म-टी के पारा 8 में विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- xii. वेब संग्राहक ने इन विनियमों की अनुसूची VII के फार्म V (बीमा वेब-संग्राहकों के दायित्व) में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों तथा अनुसूची VII के फार्म डब्ल्यू (बीमा वेब-संग्राहकों के लिए आचरण-संहिता) में यथाविनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।
- xiii. आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से प्राधिकरण ने पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकार नहीं किया है अथवा आवेदक ने आवेदन को वापस नहीं लिया है।
- xiv. वर्तमान उद्यम के विदेशी निवेशक अथवा भारतीय प्रवर्तक ने आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी कारण से किसी भी समय उद्यम से वहिर्मन नहीं किया है।
वर्तमान के प्राधिकरण पॉलिसीधारकों के हितों तथा बीमा क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षा के दो वर्ष की शर्त को ऐसे समय तक शिथिल कर सकता है जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे।
- xv. प्राधिकरण की राय में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हित में होगा।

4. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की अपेक्षा करते हुए आवेदन

- (क) बीमा वेब-संग्राहक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की अपेक्षा करनेवाला आवेदक इन विनियमों की अनुसूची I के आवेदन फार्म-ए (बीमा वेब-संग्राहक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन) में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
 - (ख) आवेदन के साथ पञ्चास हजार रुपये का वापस न करने योग्य शुल्क इसके लिए लागू करों सहित अदा किया जाएगा जो हैदराबाद में देय 'भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' के नाम आहरित माँग ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में संलग्न होगा अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा।
 - (ग) आवेदन शुल्क के बिना किसी भी आवेदन का प्रसंस्करण नहीं किया जाएगा।
 - (घ) बाह्य स्रोत-उपयोग (आउटसोर्सिंग) और दूरविपणन कार्य/सुविधा के लिए अनुमति चाहतेवाले आवेदक अपने आवेदन फार्म में विशेष रूप से इसका उल्लेख करेंगे।
- टिप्पणी :** बीमा वेब-संग्राहक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज इन विनियमों की अनुसूची I के फार्म बी (आवेदन फार्म ए के साथ संलग्न किये जानेवाले फार्म) में उल्लिखित हैं।
- (ड) बीमा वेब-संग्राहक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की अपेक्षा करनेवाला आवेदक विनियम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आवेदन पर विचार करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा तथा इन विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करेगा।
 - (च) बीमा वेब-संग्राहक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा प्रयोज्य उपबंधों के अनुसार और इन विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

5. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो -

- (क) आवेदन जो हर प्रकार से पूर्ण नहीं होगा, अस्वीकृत किये जाने की संभावना के अधीन होगा। वर्तमान कि, ऐसे किसी भी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने से पहले आवेदक को प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर ऐसी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा।
- (ख) प्राधिकरण आवेदक से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे जो प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।
- (ग) यदि प्राधिकरण से पत्र भेजने के बाद 30 दिन के अंदर अपेक्षाएँ प्रेषित/दाखिल/प्रस्तुत नहीं की जातीं, तो आवेदन को लौटाया जा सकता है तथा आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि वह एक नया आवेदन प्रस्तुत करे।

6. सूचना का प्रस्तुतीकरण, स्पष्टीकरण और वैयक्तिक निरूपण-

- (क) प्राधिकरण आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदक से कोई भी अतिरिक्त सूचना और/या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और/या कुछ अपेक्षा(ओं) का पालन करने के लिए आवेदक को निर्देश दे सकता है।
- (ख) यदि अपेक्षित हो तो आवेदक अथवा उसका प्रधान अधिकारी आवेदन के संबंध में वैयक्तिक निरूपण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।
- (ग) प्राधिकरण उसके पास इस प्रकार प्रस्तुत किये गये आवेदन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की जानेवाली सूचना/स्पष्टीकरण और/या उसे प्रस्तुत करने की विधि निर्धारित कर सकता है।
- (घ) आवेदक ऐसी अतिरिक्त सूचना और/या स्पष्टीकरण स्वयं ही प्राधिकरण की जानकारी में लाएगा, जो उसके आवेदन पर विचार किये जाने से संबंधित हो।

7. बीमा वेब-संग्राहक के लिए आवेदन पर विचार:

- (क) प्राधिकरण पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, बीमा वेब-संग्राहक द्वारा कार्य किये जाने से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा।
- (ख) उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, प्राधिकरण विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
- उपर्युक्त विनियम 3 में दिये गये रूप में पात्रता की शर्तों की पूर्ति
 - क्या कोई निदेशक, भागीदार, मुख्य कार्यकारी चाहे किसी भी नाम से कहलाएँ अथवा प्रबंध निदेशक अथवा प्रधान अधिकारी, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, उसका कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता से ग्रस्त तो नहीं है;
 - क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा कोई लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रदान करने से अतीत में कभी इनकार किया गया है।

स्पष्टीकरण:- – इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध" से किसी फर्म, अथवा कंपनी अथवा निगमित निकाय के मामले में आवेदक की किसी सहयोगी संस्था, सहायक संस्था अथवा सामूहिक संस्था अभिप्रेत है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शब्दों के अर्थ वही होंगे जो कि समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, जैसी स्थिति हो, में इनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

- क्या आवेदक विनियम 8 में विनिर्दिष्ट रूप में पूँजीगत और निवल मालियत (नेट वर्थ) संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करता है।
- क्या प्रधान अधिकारी और/या प्राधिकृत सत्यापक ने इन विनियमों की यथाप्रयोज्य अनुसूची VII के फार्म डब्ल्यू (बीमा वेब-संग्राहक के लिए आचरण-संहिता) में यथाविनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन किया है।
- क्या आवेदक संस्था में निवेश करने के लिए आवेदक के प्रवर्तक(प्रवर्तकों)/ शेयरधारकों/भागीदारों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है।

- vii) क्या वीमा वेब-संग्राहक की ओर से वीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए दूर-विपणन कार्यकलापों में नियुक्त प्राधिकृत सत्यापक इन विनियमों की अनुसूची VI के फार्म टी (दूर-विपणन विधि और वीमा वेब-संग्राहक के अन्य दूरस्थ विपणन कार्यकलापों द्वारा वीमा उत्पादों का विक्रय) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- viii) क्या आवेदक के पास एक नामित वेबसाइट है जो वीमा की अपेक्षा करने के लिए वीमा वेब संग्रहण प्रदान कर सकती है।
- ix) क्या आवेदक ने पञ्चीस हजार रुपये का शुल्क और लागू करों का भुगतान किया है।

8. पूँजीगत और निवल मालियत (नेट-वर्थ) संबंधी अपेक्षाएँ-

(क) पूँजीगत अपेक्षाएँ

- i) इन विनियमों के अंतर्गत वीमा वेब-संग्राहक बनने की अपेक्षा करनेवाले आवेदक के पास पञ्चीस लाख रुपये की न्यूनतम प्रदत्त पूँजी/ अंशदान होगा।
- ii) जहाँ वीमा वेब-संग्राहक कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनी है, वहाँ वीमा वेब-संग्राहक की पूँजी का निर्गम और अभिदान ईक्सिटी शेयरों के रूप में किया जाएगा।
- iii) एलएलपी के मामले में भागीदारों का अंशदान केवल नकदी में होगा।
- iv) आवेदक भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण के संबंध में जारी किये गये नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदि का भी पालन करेगा।
- v) पूँजी के रूप में धारित वीमा वेब-संग्राहक के शेयर ऋण अथवा कोई अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप अथवा विधि में गिरवी नहीं रखे जाएँगे तथा हर समय भार-रहित होंगे।

(ख) विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ईक्सिटी पूँजी के परिकलन की विधि

- i. संविभाग निवेशकों सहित, विदेशी निवेशकों द्वारा धारित वीमा वेब-संग्राहक के ईक्सिटी शेयरों की कुल धारिताएँ अथवा अंशदान किसी भी समय वीमा वेब-संग्राहक की प्रदत्त ईक्सिटी पूँजी के उनचास प्रतिशत अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित ऐसी विदेशी निवेश सीमा से अधिक नहीं होगा।
- ii. अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, आवेदक कंपनी में एक या उससे अधिक विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्सिटी शेयरों की धारिता का परिकलन अनुसूची XII के फार्म एए (विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ईक्सिटी पूँजी के परिकलन की विधि) में दिये गये विवरण के अनुसार होगा।

(ग) निवल मालियत (नेट-वर्थ) की अपेक्षाएँ

- i. वीमा वेब-संग्राहक की निवल मालियत (नेट वर्थ) पंजीकरण प्रमाणपत्र की अवधि के दौरान किसी भी समय उपर्युक्त उप-विनियम (क)(i) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षाओं अथवा अंशदान के 100% से कम नहीं होगी।
स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, "निवल मालियत" (नेट- वर्थ) का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 में इसके लिए निर्धारित किये गये और समय-समय पर यथासंशोधित रूप में होगा।
- ii. प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक उपर्युक्त उप-विनियम (i) में विनिर्दिष्ट नेट-वर्थ की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक छमाही में 30 सितंबर और 30 अप्रैल को करेगा तथा यदि कोई अनुपालन हो तो उसके संबंध में 15 दिन के अंदर प्राधिकरण को सूचित करेगा एवं उसके बाद 30 दिन के अंदर अपेक्षाओं को बहाल करेगा और प्राधिकरण को अनुपालन की पुष्टि करेगा।
- iii. यदि वीमा वेब-संग्राहक 30 दिन के बाद भी न्यूनतम नेट-वर्थ को बनाये रखने में समर्थ नहीं है, तो वह वीमा व्यवसाय/कार्यकलाप करना तत्काल बंद करेगा।

iv. बीमा वेब-संग्राहक लेखा-वहियों को अंतिम रूप देने के बाद प्रत्येक वर्ष सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक नेट-वर्थ प्रमाणपत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(घ) शेयरों का अंतरण

- i. शेयरों अथवा अंशदान का हितकारी स्वामित्व और नियंत्रण सर्वथा और संपूर्ण रूप से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संस्था/व्यक्ति के पास रहेगा।
- ii. वेब-संग्राहक के शेयरों के अंतरण की प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची XII के फार्म एबी (शेयरों का अंतरण) में दिये गये रूप में होगी।

9. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया

- (क) इन विनियमों में उल्लिखित अपेक्षाओं को आवेदक द्वारा पूर्ण किये जाने तथा प्राधिकरण का यह अभिमत होने पर कि पंजीकरण प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हित में होगा, प्राधिकरण इन विनियमों की अनुसूची I के फार्म ई (पंजीकरण प्रमाणपत्र) के अनुसार बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
- (ख) पंजीकरण प्रमाणपत्र समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों और आचरण-संहिता का पालन आवेदक द्वारा किये जाने के अधीन जारी किया जायेगा।
- (ग) यदि इन विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रचलित इस विषय से संबंधित विनियमों के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जाता है/ अभ्यर्पित किया जाता है अथवा उसके नवीकरण से इनकार किया जाता है, तो आवेदक ऐसे निरसन/ अभ्यर्पण अथवा पंजीकरण के नवीकरण से अस्वीकरण की प्रभावी तारीख से केवल एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही पंजीकरण प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के विचारार्थ नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

10. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए शर्तें

विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण अथवा विनियम 13 के अधीन प्रदान किया गया नवीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (क) इन विनियमों के अधीन पंजीकृत बीमा वेब-संग्राहक को केवल विनियम (26) में यथाविनिर्दिष्ट बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने के लिए अनुमति दी जाएगी;
- (ख) बीमा वेब-संग्राहक अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन जारी किये गये विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों के उपबंधों और किन्हीं अन्य अनुदेशों का पालन करेगा;
- (ग) किसी महत्वपूर्ण विवरण के संबंध में बीमा वेब-संग्राहक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई कोई सूचना अथवा कोई व्योरा असत्य अथवा भ्रामक पाया जाता है अथवा यदि पहले से ही प्रस्तुत सूचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है तो बीमा वेब-संग्राहक तत्काल प्राधिकरण को लिखित में इसकी सूचना देगा;
- (घ) बीमा वेब-संग्राहक पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए ऐसी शिकायत की प्राप्ति से 14 दिन के अंदर पर्याप्त कदम उठायेगा तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जानेवाले फार्मेट में और तरीके से ऐसे पॉलिसीधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप और अन्य विवरण के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा;
- (ङ) बीमा वेब-संग्राहक अपने संसाधनों और प्राधिकृत सत्यापकों की संख्या के अनुरूप उचित संख्या में बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा और प्राप्त करेगा;
- (च) बीमा वेब-संग्राहक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में अभिलेख रखेगा जो पॉलिसी-वार और प्राधिकृत सत्यापक-वार विवरण प्राप्त करेंगे जिनमें प्राधिकृत सत्यापक के माध्यम से बीमा वेब-संग्राहक द्वारा अपेक्षित प्रत्येक पॉलिसी को उस प्राधिकृत सत्यापक के साथ संबद्ध किया जाएगा। बीमा वेब-संग्राहक ऐसी प्रणालियाँ स्थापित करेगा जो प्राधिकरण द्वारा ऐसे अभिलेखों और विवरण तक नियमित पहुँच के लिए अनुमति देंगी;

(छ) वीमा वेब-संग्राहक अपने निदेशकों, प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापकों के द्वारा उनके लिए लागू आचरण-संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा;

(ज) प्राधिकरण किसी भी समय वीमा वेब-संग्राहक की बहियों अथवा अभिलेखों अथवा कार्यकलापों की जाँच करने के लिए एक अन्वेषण प्राधिकारी को नियुक्त कर सकता है;

11. पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता:

जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि इन विनियमों के अनुसरण में उसे निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।

12. आवेदन का अस्वीकरण:

(क) आवेदन जो हर प्रकार से पूर्ण नहीं होगा, अस्वीकृत किये जाने की संभावना के अधीन होगा। वर्तमान कि, ऐसे किसी भी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने से पहले आवेदक को प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर ऐसी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा।

(ख) प्राधिकरण आवेदक से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे जो प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।

(ग) यदि प्राधिकरण से पत्र भेजने के बाद तीस दिन के अंदर अपेक्षाएँ प्रेषित/ दाखिल/प्रस्तुत नहीं की जातीं; तो आवेदन लौटाया जा सकता है तथा आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि वह एक नया आवेदन प्रस्तुत करे, जब तक कि इस प्रकार प्रस्तुति न करने के लिए कारण प्रस्तुत करने के बाद प्राधिकरण द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

(घ) आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश आवेदक को ऐसे अस्वीकरण से तीस दिन के अंदर प्राधिकरण द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा तथा उसमें वे कारण बताये जाएँगे जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

(ङ) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक ऐसी सूचना की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को आवेदन कर सकता है।

अध्याय III

वीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण का नवीकरण

13. वीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण का नवीकरण

(क) वीमा वेब-संग्राहक पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण को पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले अनुसूची || के फार्म एफ (वीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन) में प्रस्तुत करेगा। तथापि, वीमा वेब-संग्राहक नवीकरण के लिए पंजीकरण की समाप्ति से नब्बे दिन पहले प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से आवेदन कर सकता है।

(ख) नवीकरण आवेदन फार्म के साथ आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजों की सूची अनुसूची || के फार्म जी (नवीकरण आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जानेवाले फार्म एफ) में दी गई है।

(ग) पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन पञ्चीस हजार रुपये के नवीकरण शुल्क और लागू करों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जो हैदराबाद में देय 'भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' के नाम आहरित बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ संलग्न होगा अथवा मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण द्वारा भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को इसका भुगतान किया जा सकेगा।

(घ) यदि पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण का प्रचलन समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास नहीं पहुँचता, तो आवेदकों को दंड के रूप में एक सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा।

यह भी शर्त है कि विलंब के लिए पिछले परंतुक द्वारा सम्मिलित नहीं किये गये पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा लिखित में प्रस्तुत किये जाने पर प्राधिकरण नवीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र

की समाप्ति से साठ दिन की अवधि तक आवेदक द्वारा सात सौ पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क अदा करने पर स्वीकार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त है कि पंजीकरण की समाप्ति के साठ दिन के बाद नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से बारह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा। तथापि, अंतराल की अवधि के दौरान बीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण की विद्यमानता समाप्त होगी तथा वह किसी नये व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेगा और कोई अन्य कार्य नहीं करेगा जिनके लिए पंजीकरण प्रदान किया गया हो।

(ङ) किसी भी बीमा वेब-संग्राहक को प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना बीमा वेब-संग्राहक के कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) बीमा वेब-संग्राहक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विनियम 3 और 7 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

(छ) बीमा वेब-संग्राहक पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की अपेक्षा करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापकों ने नवीकरण प्रशिक्षण प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से ऐसी अवधि में प्राप्त किया है जो उसके अपने पिछले नये/ नवीकरण प्रशिक्षण की तीन वर्ष की वैधता की समाप्ति से छह महीने से पहले न हो।

(ज) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक पंजीकरण के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुसूची ॥ के फार्म एच (पंजीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र) के अनुसार पंजीकरण का नवीकरण करेगा।

(झ) जहाँ भी यह पाया जाता है कि बीमा वेब-संग्राहक पिछले पंजीकरण की पूरी/ आंशिक अवधि के दौरान कोई बीमा व्यवसाय नहीं कर रहा है, वहाँ प्राधिकरण पंजीकरण का नवीकरण करने से इनकार कर सकता है।

14. प्रक्रिया जहाँ पंजीकरण का नवीकरण प्रदान नहीं किया गया है -

(क) जहाँ विनियम 13 के अधीन पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन विनियम 7 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करने से इनकार कर सकता है।

वशर्ते कि किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर नहीं दिया जाता।

(ख) पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करने से अस्वीकरण की सूचना प्राधिकरण द्वारा आवेदक को ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर वे कारण बताते हुए दी जाएगी जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया हो।

(ग) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक उस तारीख, जब उसके द्वारा उपर्युक्त उप-विनियम (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आदेश की प्रति प्राप्त की गई हो, से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को एक अपील, ऐसी अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकता है।

15. पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण से अस्वीकरण का प्रभाव— आवेदक, जिसका नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के द्वारा अस्वीकृत किया गया हो, सूचना की प्राप्ति की तारीख को और उस तारीख से बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा।

16. पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डॉक्यूमेंट) का निर्गम -

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने अथवा कटे-फटे होने की स्थिति में बीमा वेब-संग्राहक प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डॉक्यूमेंट) जारी करने का अनुरोध करते हुए एक हजार रुपये के शुल्क और लागू करों सहित पंजीकरण का और उसके खो जाने, नष्ट हो जाने अथवा कटे-फटे होने का पूरा व्योरा देते हुए एक घोषणा-पत्र के साथ अनुसूची ॥ के फार्म आई (पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि के लिए आवेदन) प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्राधिकरण इस बात से स्वयं संतुष्ट होने पर कि मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र खो गया है, नष्ट हो गया है अथवा कटा-फटा है, अनुसूची ॥ के फार्म जे (पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि) में पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डॉक्यूमेंट) जारी करेगा तथा उसपर एक पृष्ठांकन (इंडॉसर्मेट) दर्ज करेगा कि यह एक अनुलिपि (डॉक्यूमेंट) है।

अध्याय IV

बीमा वेब-संग्राहक से संबंधित कॉरपोरेट अभिशासन के विषय

17. बीमा उत्पादों की तुलना और वितरण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति -

- (क) प्रत्येक बीमा वेब-संग्राहक के पास बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने के तरीके के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। उक्त नीति में अन्य बातों के साथ-साथ बहुविध संबंध (टाई-अप), विक्रीत उत्पादों के प्रकार, शिकायत निवारण तंत्र, सूचना-प्रणाली की आवश्यकता और किसी अन्य विषय के संबंध में बीमा वेब-संग्राहक द्वारा अनुसरण किया जानेवाला दृष्टिकोण शामिल होगा।
- (ख) बीमा वेब-संग्राहक का बोर्ड कम से कम तीन वर्ष में एक बार इसकी समीक्षा करेगा।

18. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा -

- (क) प्रत्येक बीमा वेब-संग्राहक एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा प्राप्त करेगा और उसे बनाये रखेगा तथा उसे प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की सारी अवधि के दौरान हर समय चालू रखेगा, जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची ||| के फार्म के (व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा) में विनिर्दिष्ट किया गया है। वर्तमान प्राधिकरण उपयुक्त मामलों में नये तौर पर पंजीकृत बीमा वेब-संग्राहक को इस बात की अनुमति दे सकता है कि वह पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम की तारीख से छह महीने के अंदर ऐसी पॉलिसी प्रस्तुत करे।

19. बीमा वेब-संग्राहक के नाम में परिवर्तन: बीमा वेब-संग्राहक अपने नाम में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगा।

20. उत्पादों के वितरण के लिए बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्था

- क) बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा ऐसे बीमाकर्ताओं के साथ कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, जो पॉलिसीधारकों के हितों के विरुद्ध हों;
- ख) बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा बीमाकर्ताओं के साथ की जानेवाली व्यवस्था से संबंधित विवरण इन विनियमों की अनुसूची ||| के फार्म एल (उत्पादों के वितरण के लिए बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्था) में दिया गया है।

21. हितों का संघर्ष -- बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और प्राप्ति करते समय बीमा वेब-संग्राहक निम्नलिखित का पालन करेंगे:

- (क) व्यवसाय की एक विशिष्ट श्रेणी में एक से अधिक बीमाकर्ताओं के साथ संबंध (टाई-अप) रखनेवाले बीमा वेब-संग्राहक संभावित ग्राहक को उन बीमाकर्ताओं की सूची प्रदर्शित करेंगे जिनके साथ उत्पादों का वितरण करने के लिए उनकी व्यवस्था है तथा उन्हें वह ब्योरा उपलब्ध कराएँगे जैसे बीमारक्षा का विस्तार, पॉलिसी की अवधि, देय प्रीमियम, प्रीमियम की शर्तें और कोई अन्य सूचना जिसकी माँग उनके पास उपलब्ध सभी उत्पादों के संबंध में ग्राहक करता है;
- (ख) विक्रय किया जानेवाला उत्पाद संभावित ग्राहक की आवश्यकता के विश्लेषण पर आधारित होगा।
- (ग) कोई भी बीमा वेब-संग्राहक किसी विशिष्ट कंपनी के किसी विशिष्ट उत्पाद को अपनी वेबसाइट के माध्यम से अथवा सहायताप्राप्त टेली-कॉलिंग अथवा निर्गमी टेली-कॉलिंग के माध्यम से बढ़ावा नहीं देगा अथवा प्रोत्साहित नहीं करेगा।

22. खाता-बहियों, अभिलेखों, आदि का अनुरक्षण -

- क) प्रत्येक बीमा वेब-संग्राहक प्रत्येक लेखांकन वर्ष के लिए निम्नलिखित को तैयार करेगा –
- i. प्रत्येक लेखांकन अवधि की समाप्ति पर तुलन-पत्र अथवा स्थिति विवरण;
 - ii. उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा;
 - iii. आय-व्यय विवरण;
 - iv. नकदी/निधि प्रवाह का विवरण;
 - v. प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित रूप में बीमा वेब-संग्राहकों के व्यवसाय संबंधी अतिरिक्त विवरण।

टिप्पणी 1: इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, लेखांकन वर्ष 12 महीने (अथवा कम जहाँ व्यवसाय 1 अप्रैल के बाद प्रारंभ किया गया हो) की अवधि का होगा जो वर्ष के अप्रैल के पहले दिन प्रारंभ होगा और अनुवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन समाप्त होगा, तथा खातों का अनुरक्षण उपचय के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी 2: उनके वित्तीय विवरणों की एक अनुसूची होगी जिसमें बीमाकर्ताओं और बीमाकर्ताओं की सामूहिक कंपनियों से प्राप्त समस्त आय का बीमाकर्ता-वार विवरण तथा किसी भी बीमाकर्ता से बीमा वेब-संग्राहक की सामूहिक कंपनियों और/या सहयोगी संस्थाओं द्वारा प्राप्त भुगतानों का विवरण भी बीमा वेब-संग्राहक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) बीमा वेब-संग्राहक की खाता-बहियों, अभिलेखों, आदि के रखरखाव से संबंधित विवरण इन विनियमों की अनुसूची III के फार्म एम (खाता-बहियों, अभिलेखों, आदि का अनुरक्षण) में दिया गया है।

23. प्राधिकरण को प्रकटीकरण-

(क) बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा प्राधिकरण को किये जानेवाले प्रकटीकरण से संबंधित विवरण इन विनियमों की अनुसूची III के फार्म एन (प्राधिकरण को प्रकटीकरण) में दिया गया है।

(ख) बीमा वेब-संग्राहक प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल से पहले प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेटों में जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा के संबंध में अलग-अलग रखे गये बीमाकर्ता-वार व्यवसाय की छमाही विवरणियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(ग) प्रस्तुत की गई विवरणियों की जाँच करने के बाद प्राधिकरण बीमा वेब-संग्राहक को ऐसे निर्देश अथवा परामर्श जारी कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे तथा बीमा वेब-संग्राहक द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

24. वैध पंजीकरण के बिना बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई

(क) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से कोई भी व्यक्ति बीमा वेब-संग्राहक के रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसको एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता।

(ख) कोई भी बीमाकर्ता ऐसे किसी व्यक्ति को बीमा वेब-संग्राहक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा जो प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं है।

(ग) ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो इन विनियमों के अधीन जारी किये गये वैध पंजीकरण को धारण किये बिना बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करता है, तथा ऐसे बीमाकर्ता के विरुद्ध जो किसी ऐसे वेब संग्राहक को नियुक्त करता है जिसे प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया है, कोई आपाधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के बावजूद और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण अधिनियम अथवा फिलहाल प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई लागू कर सकता है।

(घ) जहाँ उप-विनियम (क) के अंतर्गत आनेवाला व्यक्ति एक कंपनी अथवा फर्म अथवा निगमित निकाय है, वहाँ उक्त कंपनी अथवा फर्म अथवा निगमित निकाय के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा की जानेवाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी तथा फर्म का प्रत्येक भागीदार, जो जान-बूझकर ऐसे उल्लंघन का पक्षकार है, भी उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार होगा।

बाढ़ाया V

प्राधिकृत सत्यापक की भूमिका और दायित्व

25. प्राधिकृत सत्यापक

(क) बीमा वेब-संग्राहक अपनी ओर से नियोजित प्राधिकृत सत्यापक की भूल-चूक के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) प्राधिकृत सत्यापक की भूमिका और दायित्व इन विनियमों के फार्म ओ (प्राधिकृत सत्यापक की भूमिका और दायित्व) में दिये गये हैं।

अध्याय VI

बीमा वेब-संग्राहकों की गतिविधियाँ और उनके द्वारा निष्पादित किये जानेवाले कार्य

26. बीमा वेब-संग्राहक की वेबसाइट पर उत्पादों की तुलनाओं का प्रदर्शन – बीमा वेब-संग्राहक की नामित वेबसाइट पर उत्पादों की तुलना के प्रदर्शन से संबंधित शर्तें इन विनियमों की अनुसूची IV के फार्म क्यू (वेबसाइट पर उत्पादों की तुलनात्मक प्रदर्शन) में दी गई हैं।

27. बीमाकर्ता को बीमा वेब-संग्राहक द्वारा अग्रताओं का प्रेषण: बीमा वेब-संग्राहक द्वारा अग्रताओं की विधि और साझेदारी इन विनियमों की अनुसूची IV के फार्म आर (अग्रताओं की विधि और साझेदारी) में दी गई है।

28. बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा बीमे का ऑनलाइन विक्रय -- बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा बीमे के ऑनलाइन विक्रय की विधि और प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची V के फार्म एस (बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा बीमे के ऑनलाइन विक्रय की विधि और प्रक्रिया) में दी गई है।

29. बीमा वेब-संग्राहक द्वारा दूर-विपणन विधि और अन्य दूरस्थ विपणन कार्यकलापों से बीमे का विक्रय -- बीमा वेब-संग्राहक अपनी नामित वेबसाइट से उत्पन्न की गई अग्रताओं के आधार पर बीमे की अपेक्षा के लिए, इन विनियमों की अनुसूची VI के फार्म टी (बीमा वेब-संग्राहक द्वारा दूर-विपणन विधि और अन्य दूरस्थ विपणन कार्यकलापों से बीमा उत्पादों का विक्रय) में दिये गये अनुदेशों के अनुसार दूरविपणन/दूरस्थ विपणन विधियों का उपयोग कर सकता है।

अध्याय VII

पारिश्रमिक

30. बीमा वेब-संग्राहक को पारिश्रमिक –

(क) बीमा वेब-संग्राहक को पारिश्रमिक के भुगतान अथवा बीमा वेब-संग्राहक द्वारा पारिश्रमिक की प्राप्ति को प्राधिकरण द्वारा इस आशय से अधिसूचित विनियमों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(ख) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा वेब-संग्राहकों को किसी भी रूप में पारिश्रमिक निम्नलिखित उपबंधों का पालन करते हुए देय होगा:

- i. बीमाकर्ता को बीमा वेब-संग्राहक द्वारा अग्रताओं के प्रेषण के लिए कोई प्रभार अदा नहीं किये जाएँगे।
- ii. बीमा पॉलिसियों के विक्रय के रूप में परिवर्तित अग्रताएँ बीमा वेब-संग्राहक को बीमा मध्यवर्तियों के लिए लागू पारिश्रमिक अर्जित करने के लिए हकदार बनाएँगी।
- iii. बीमा वेब-संग्राहक द्वारा अपनी वेबसाइट के तुलनात्मक चार्टों में प्रदर्शित किये गये प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रति वर्ष पचास हजार से अनधिक एकसमान शुल्क जो प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट प्रतिफल अंश के अंतर्गत उल्लिखित रूप में समग्र उच्चतम सीमा के अधीन होगा।
- iv. बीमा वेब-संग्राहक अपने द्वारा प्राप्त की गई पॉलिसियों के संबंध में इन विनियमों की अनुसूची VII के फार्म यू (बीमा आउटसोर्सिंग सेवाएँ जो बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा की जा सकती हैं) के अनुसार 'बीमा सेवाएँ' प्रदान करने के लिए बाह्य-स्रोत उपयोग (आउटसोर्सिंग) कार्य कर सकता है। ऐसे दृष्टिकोणों में बीमाकर्ता बीमा वेब-संग्राहकों के साथ किये गये सेवा करारों में निर्धारित, पारस्परिक रूप में सहमत दरों पर उचित सेवा प्रभारों का भुगतान बीमा वेब-संग्राहकों को कर सकता है।

(ग) बीमा वेब-संग्राहक को इस कारण से पारिश्रमिक का भुगतान करने से इनकार नहीं किया जाएगा कि उसके माध्यम से प्राप्त की जानेवाली बीमा पॉलिसियाँ बीमा कंपनियों द्वारा बीमा पॉलिसियों की प्रत्यक्ष ऑनलाइन विक्रय हैं, जब तक कि उत्पाद अनुमोदन विनियमों के अधीन अनुमोदित उत्पाद एक शून्य कमीशन उत्पादन न हो।

स्पष्टीकरण: तथापि, यदि बीमाकर्ता इस प्रकार चाहता है तो बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के प्रतिफल अंश के अंतर्गत शून्य कमीशन उत्पाद के लिए भुगतान कर सकता है।

(घ) सभी वर्तमान अनुमोदित उत्पाद, जिनका विक्रय बीमाकर्ता वेब-संग्राहक के माध्यम से करना चाहता है, तथा जिनके लिए उत्पाद के फाइल एण्ड यूज़ आवेदन में एक वितरण माध्यम के रूप में वेब-संग्राहक का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया गया है, उक्त फाइल एण्ड यूज़ विनियमों के अधीन वर्तमान अनुमोदित उत्पाद का आशोधन करने की किसी आवश्यकता के बिना वेब-संग्राहक द्वारा बेचे जा सकते हैं। बशर्ते कि ऐसे वर्तमान उत्पादों के लिए, नियुक्त बीमांकक यह प्रमाणित करेगा कि वेब-संग्राहक को किया जा रहा कमीशन/ पारिश्रमिक आईआरडीएआई द्वारा पहले से ही अनुमोदित व्यय सीमाओं के अंदर है तथा प्रीमियम दरें व्यवहार्य और युक्तियुक्त हैं।

(ङ) बीमा वेब-संग्राहक संभावित ग्राहक को कोई रिवेट अथवा छूट अथवा कोई अन्य प्रलोभन नहीं देगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 का उल्लंघन होगा।

अध्याय VII

बीमा वेब-संग्राहकों के व्यवसाय का संचालन

31. बीमा वेब-संग्राहक के कर्तव्य और कार्य -- बीमा वेब-संग्राहकों के कर्तव्य और कार्य इन विनियमों की अनुसूची IV के फार्म पी (बीमा वेब-संग्राहकों के कर्तव्य और कार्य) में दिये गये हैं।

32. बीमा वेब-संग्राहक के व्यवसाय का संचालन.

1) बीमा वेब-संग्राहक व्यवसाय का संचालन एक उचित तरीके से करेगा तथा

निम्नलिखित का पालन करेगा-

- i) अनुसूची VII के फार्म वी (बीमा वेब-संग्राहकों के दायित्व) में दिये गये बीमा वेब-संग्राहकों के दायित्व।
- ii) अनुसूची VIII के फार्म डब्ल्यू (बीमा वेब-संग्राहक के लिए आचरण-संहिता) में दी गई बीमा वेब-संग्राहकों की आचरण-संहिता।

2) बीमा वेब-संग्राहक इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के उल्लंघन सहित, अपने मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा प्रधान अधिकारी, प्राधिकृत सत्यापक और अन्य कर्मचारियों के सभी कार्यों और चूकों के लिए उत्तरदायी होगा तथा अधिनियम की धारा 102 के उपबंधों के अधीन दंड के लिए भागी होगा।

अध्याय IX

बीमा वेब-संग्राहक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्रक्रिया

33. बीमा वेब-संग्राहक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्रक्रिया – बीमा वेब-संग्राहक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची IX के फार्म एक्स (अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्रक्रिया) में दी गई है।

अध्याय X

विविध

34. बीमा वेब-संग्राहक के विरुद्ध कार्रवाई:

क) यदि बीमा वेब-संग्राहक समुचित सावधानी नहीं बरतता अथवा इन विनियमों के अंतर्गत किसी दायित्व का पालन नहीं करता अथवा अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम, 1999, उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये ऐसे अन्य निदेशों के उपबंधों के विरुद्ध कार्य करता है तो प्राधिकरण बीमा वेब-संग्राहक को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है अथवा अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त समझी जानेवाली कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है।

बशर्ते कि विनियम 33 के अनुसार बिना सूचना के निलम्बन को छोड़कर बीमा वेब-संग्राहक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर दिये बिना प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी और उसके बाद आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

35. दंड संबंधी उपबंध

यदि कोई पंजीकृत बीमा वेब संग्राहक बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 और उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी परिपत्र/दिशानिर्देशों/आदेशों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण उल्लंघन के स्वरूप/ गंभीरता के आधार पर उपयुक्त दंड लागू कर सकता है।

36. वीमाकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई: वीमाकर्ता अधिनियम, वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और उनके अधीन बनाये गये संबंधित विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई के लिए बाध्य होगा, यदि:

- क) वीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची XI के फार्म जेड में दर्शये गये रूप में वीमाकर्ताओं के दायित्वों का पालन नहीं करता; अथवा
- ख) वीमाकर्ता वीमा वेब-संग्राहक के साथ करार और लेनदेनों के संबंध में प्राधिकरण को कोई सूचना नहीं प्रस्तुत नहीं करता अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करता है, अथवा;
- ग) वीमाकर्ता इन विनियमों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये ऐसे अन्य निदेशों का पालन नहीं करता।

वर्षों के वीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर दिये विना प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी और उसके बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

37. प्राधिकरण का निरीक्षण करने का अधिकार –

क) वीमा वेब-संग्राहक के परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में अपने एक अथवा उससे अधिक अधिकारियों अथवा अर्हता-प्राप्त सनदी लेखाकारों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिससे यह पता लगाया जा सके और देखा जा सके कि कारोबार कैसे संचालित किया जा रहा है तथा किसी भी प्रयोजन के लिए वीमा वेब-संग्राहक की खाता-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया जा सके।

ख) इन विनियमों में उल्लिखित प्रयोजन निम्नानुसार हैं:

- (i) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है;
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि अग्रता प्रवंध प्रणाली की व्यवस्था इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार की जा रही है;
- (iii) वीमा व्यवसाय के समुचित विकास के हित में अथवा पॉलिसीधारकों के हित में अपने आप वीमा वेब-संग्राहक के कार्यों की जाँच-पड़ताल करना।

38. स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्राधिकरण का अधिकार:

इन विनियमों के किसी भी उपबंध की प्रयोज्यता अथवा व्याख्या के संबंध में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष परिपत्रों के रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण, निदेश और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

39. पंजीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण:

(1) इन विनियमों के अधीन जिस वीमा वेब-संग्राहक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, वह अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

(2) वीमा वेब-संग्राहक द्वारा अभ्यर्पण के लिए प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृति देने के बाद प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आदेश पारित कर सकता है।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण हेतु प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज/सूचना इन विनियमों की अनुसूची X के फार्म वाई (पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के लिए दस्तावेज) में दिये गये अनुसार हैं।

40. अनुपालन का प्रमाणीकरण

प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक का प्रधान अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्राधिकरण को

इस बात की पुष्टि करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वीमा वेब-संग्राहक ने वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों के सभी उपबंधों का पालन किया है।

41. निरसन और बचतः

- i. पिछले विनियमों अधीन वेब संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक इन विनियमों के अधीन विधिमान्य होगा।
- ii. वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक प्रदत्त ईक्रिटी पूँजी और निवल मालियत (नेट-वर्थ) की अपेक्षाओं से संबंधित उपबंधों का अनुपालन इन विनियमों के निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन इन विनियमों के निर्गम की तारीख से छह महीने के अंदर सुनिश्चित करेगा।
- iii. वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक अधिनियम, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट "भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित" का अनुपालन ऐसी अवधि के अंदर सुनिश्चित करेगा जिसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- iv. तथापि, प्राधिकरण वर्तमान वेब-संग्राहक द्वारा वैध कारणों से उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन पर उपर्युक्त विनियम का अनुपालन करने के लिए छह महीने की अतिरिक्त अवधि प्रदान कर सकता है, वशर्ते कि उपर्युक्त उप-विनियम (III) का अनुपालन करने के लिए वर्तमान वीमा वेब-संग्राहक द्वारा लिया गया कुल समय ऐसे विनियमों के निर्गम की तारीख से अठारह महीने से अधिक न हो।
- v. इस आशय का एक वचन-पत्र कि विनियम के अंतर्गत अपेक्षित रूप में "भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित" का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, सभी वीमा वेब-संग्राहकों द्वारा, निदेशक बोर्ड की जिस बैठक में ऐसे अनुपालन की पुष्टि की गई हो, उस बैठक की तारीख से 45 दिन के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित रूप में दाखिल किया जाएगा।
- vi. प्रत्येक वचन-पत्र के साथ इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा: (1) उपर्युक्त उप-विनियम (ii) के अनुपालन की पुष्टि करते हुए निदेशक बोर्ड द्वारा पारित किये गये संकल्प की एक प्रमाणित प्रति; (2) जहाँ लागू हो, वहाँ करार/संयुक्त उद्यम करार की प्रमाणित प्रति जहाँ करार/संयुक्त उद्यम करार में अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए संशोधन किये गये हों।

42. सामान्य –

- क. वीमा वेब-संग्राहक और वीमाकर्ता के बीच उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद को उस व्यक्ति के द्वारा प्राधिकरण के पास भेजा जा सकता है जो इस प्रकार प्रभावित हुआ हो; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण शिकायत की जाँच कर सकता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।
- ख. कठिनाइयों को दूर करने और स्पष्टीकरण देने की शक्ति - इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के आवेदन या व्याख्या में उत्पन्न किसी भी संदेह या कठिनाइयों को दूर करने के लिए, प्राधिकरण के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार उपर्युक्त स्पष्टीकरण या दिशा निर्देशों को जारी कर सकते हैं।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.|||/4/असाधारण/161/17]

भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(वीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

अनुसूची ।

फार्म ए

[विनियम 4 देखें]

वीमा वेब-संग्राहकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

फार्म भरने के लिए अनुदेश :

- 1) यह महत्वपूर्ण है कि यह फार्म भरने से पहले भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए।
- 2) आवेदक अनिवार्यतः सभी उपर्युक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ, विधिवत् भरा गया आवेदन फार्म प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।

- 3) आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह सभी प्रकार से पूर्ण हो।
- 4) आवेदक अपने आवेदनपत्रों पर स्वयं हस्ताक्षर करें।
- 5) जो सूचना अधिक विस्तार से देने की आवश्यकता हो, वह अलग पत्रकों (शीटों) पर दी जाए जिन्हें आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम : _____

1.2 पता – व्यवसाय का प्रधान स्थान/पंजीकृत कार्यालय

पिन कोड	ईमेल
टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या

1.3 पत्रव्यवहार के लिए पता:

पिन कोड	ईमेल
टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या

1.4 प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम

--	--

2. संगठन – संरचना

2.1 आवेदक की स्थिति :

(उदा. लिमिटेड कंपनी-निजी/सरकारी, एलएलपी, अन्य। यदि सूचीबद्ध हो तो शेयर बाजारों के नाम और नवीनतम शेयर मूल्य दिये जाएँ)

कंपनी का नाम	स्थिति	संस्थापन की तारीख दिन_माह_वर्ष_____	संस्थापन का स्थान	शेयर बाजारों का नाम जहाँ सूचीबद्ध है

2.2 व्यवसाय का विस्तार जैसा कि संस्था के बहिर्नियमों में वर्णित है

(संस्था के बहिर्नियमों और संस्था के अंतर्नियमों की प्रतिलिपि के साथ दिया जाए)

2.3 प्रमुख शेयरधारकों की सूची (जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सहयोगियों के साथ 5% और उससे अधिक धारित करते हैं)

_____ को शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल चुकता पूँजी का प्रतिशत (%)

2.4 सभी निदेशकों/नामित भागीदारों (एलएलपी के मामले में) का विवरण –

नाम	पदनाम/ स्थिति	योग्यता	आवेदक कंपनी में शेयर का %	अन्य कंपनियों में निदेशन	डीआईएन संख्या	पैन/ आधार संख्या

2.5 सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं के नाम और कार्यकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/ निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी का स्वरूप और हित

क्या सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं के कोई एक या उससे अधिक व्यक्ति आवेदक के व्यवसाय में हित रखते हैं?

2.6 आवेदक के प्रधान बैंकरों का नाम और पता

2.7 संविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम और पता

3. व्यवसाय संबंधी सूचना

3.1 तीन वर्ष के लिए कार्यकलापों और आय की पूर्वानुमानित मात्रा (प्रत्याशित सहित) के साथ व्यवसाय का योजना प्रलेख जिसके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा की गई है, विशिष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और इस आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

3.2 कार्यात्मक दायित्व अलग से दर्शनेवाला संगठन चार्ट संलग्न किया जाना चाहिए।

3.3 प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का व्योरा

नाम	पदनाम/स्थिति	योग्यता	वीमा संबंधी अनुभव	नियुक्ति की तारीख	कार्यात्मक क्षेत्र	पैन/आधार संख्या

3.4 वीमा वेब संग्रहण व्यवसाय के लिए प्रस्तावित/प्रयुक्त वेबसाइटों का विवरण

(डोमेन नाम के पंजीकरण का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए)

क्रम सं.	वेबसाइट (डोमेन नाम) पता	प्राथमिक/अनुषंगी/श्रेणी विशिष्ट	वेब सर्वर के होस्टिंग का स्थान	वेबसाइट का होस्टिंग करनेवाले विक्रेता का नाम व पता

आवेदक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्वरूप से संबंधित समझी जानेवाली कोई अन्य सूचना

4. वित्तीय सूचना

4.1 पूँजी विन्यास

क्रम सं.	पूँजी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष
		वर्ष का उल्लेख करें	वर्ष का उल्लेख करें	वर्ष का उल्लेख करें
		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
1	प्राधिकृत पूँजी (क)			
2	निर्गमित पूँजी (ख)			
3	चुकता पूँजी (ग)			
4	निर्वध प्रारक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर)(घ)			

5	कुल (ग + घ)			
6	निवल मालियत (नेट-वर्धा)			

(सहयोगी कंपनियों/ फर्मों में किये गये निवेशों, ऋणों व अग्रिमों का विवरण जहाँ प्रवर्तकों/निदेशकों का हित हो, अलग से दिया जाना चाहिए)।

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष
		(वर्ष का उल्लेख करें)	(वर्ष का उल्लेख करें)	(वर्ष का उल्लेख करें)
		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
1	अचल आस्तियाँ			
2	संयंत्र और मशीनरी			
3	कार्यालय उपस्कर			
4	निर्दिष्ट भाव वाले निवेश			
5	अनिर्दिष्ट भाव वाले निवेश			
6	चल परिसंपत्तियों का विवरण			
7	अन्य			

टिप्पणी: कृपया तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे संलग्न करें। यदि पिछले लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों के बाद न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा पुरी की गई हो तो बाद की किसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए लेखा-परीक्षित लेखा-विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. अन्य जानकारी, यदि कोई हो

5.1 सभी निपटाये गये और लंबित विवादों का विवरण : (अलग शीट संलग्न करें और नीचे दर्शाये गये कार्फैट में परी जानकारी दें)

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटाये गये

****यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें**

5.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि आवेदक अथवा किसी निवेशक, मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबंध निवेशक अथवा प्रधान अधिकारी अथवा किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका विवरण दें।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

पुस्तकालय

पुढ़नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

(स्पष्ट अक्षरों में)

संग्रहीत

तिरंक

दूरविपणन/बाह्य स्रोत-उपयोग (आउटसोर्सिंग) कार्य के लिए अनुमति हेतु आवेदन

1.1 आवेदक का नाम : _____

1.2 पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या: _____

1.3 वैधता अवधि: _____ से _____ तक

1.4 टीआरएआई (ट्राई) पंजीकरण सं.:

1.5 वैधता अवधि: _____ से _____ तक

1.6 प्राधिकृत सत्यापकों की सूची:

नाम	योग्यता	प्रायोजक संस्था	प्रमाणपत्र सं.	कब तक वैध	पैन/आधार सं.

यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त चार्ट संलग्न करें।

1.7 कोई अन्य सूचना।

घोषणा

इस घोषणा पर दो निदेशकों/पदनामित भागीदारों के हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

मैं/हम इसके द्वारा बीमे से संबंधित दूरविपणन/बाह्य स्रोत-उपयोग (आउटसोर्सिंग) कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

मैंने/हमने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 का अवलोकन किया है तथा मैं/हम इस बात से संतुष्ट हूँ/हैं कि मैं/हम बीमा वेब- संग्राहक के पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हूँ/हैं।

मैं/हम यह स्पष्ट करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना उपलब्ध कराई है जो मेरे/हमारे पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संबंधित मानी जा सकती है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम पंजीकरण प्रमाणपत्र की अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं दूँगा/दूँगी/देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करूँगा/करूँगी/करेंगे।

के लिए और उनकी ओर से

के लिए और उनकी ओर से

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

पदनाम

पदनाम

{स्पष्ट अक्षरों में}

{स्पष्ट अक्षरों में}

स्थान :

दिनांक :

अनुसूची ।

फार्म बी

[विनियम 4 देखें]

आवेदन फार्म ए के साथ संलग्न किये जानेवाले फार्म

1. कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
2. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित संस्था के बहिर्नियमों और संस्था के अंतर्नियमों अथवा एलएलपी करार की प्रतिलिपियाँ
3. कंपनी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
4. योग्यता प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियों के साथ निदेशकों/एलएलपी के पदनामित भागीदारों के सी.वी.
5. योग्यता प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियों के साथ प्रधान अधिकारी का सी.वी.
6. विधिवत् नोटरीकृत दो निदेशकों अथवा एलएलपी के दो पदनामित भागीदारों द्वारा निष्पादित स्वप्रमाणीकरण यह प्रमाणित करते हुए कि :
 - क) कंपनी के निदेशक और प्रधान अधिकारी वयस्क हैं तथा सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा विक्षिप्त नहीं पाये गये हैं तथा पिछले पाँच वर्षों में सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वासघात अथवा धोखाधड़ी अथवा जालसाजी अथवा इस प्रकार का कोई अपराध करने के प्रयास के लिए अवप्रेरित करने के दोषी नहीं पाये गये हैं। आवेदक/निदेशक पिछले तीन वर्षों में किसी आर्थिक अपराध में संबद्ध नहीं हैं।
 - ख) कंपनी का कोई भी निदेशक/कर्मचारी वीमा संबंधी किसी अन्य संस्था में निदेशन/ रोजगार धारित नहीं करता है अथवा उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
 - ग) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि पंजीकरण प्रमाणपत्र की अवधि के दौरान किसी भी समय कंपनी की निवल मालियत (नेट-वर्थ) पच्चीस लाख रुपये से कम नहीं होगी।
 - घ) आवेदक कंपनी अथवा उसके निदेशक अथवा अन्य प्रधान अधिकारी भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संबंधित विनियमों के अधीन वीमा एंजेंट अथवा कॉर्पोरेट एंजेंट अथवा सूक्ष्म वीमा एंजेंट अथवा टीपीए अथवा सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारिक अथवा वीमा दलाल अथवा वीमा मध्यवर्ती के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।
 - ङ) आवेदक कंपनी अथवा उसके निदेशक अथवा प्रधान अधिकारी वीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय किसी वीमाकर्ता, वीमा दलाल, कॉर्पोरेट एंजेंट, सूक्ष्म वीमा एंजेंट, टीपीए, सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारिक अथवा किसी अन्य वीमा मध्यवर्ती का संबंधित पक्षकार नहीं हैं तथा भविष्य में पंजीकरण प्रमाण पत्र की अवधि के दौरान समान स्थिति बरकरार रखेगा।
7. डोमेन नाम के पंजीकरण के प्रमाण के साथ प्रस्तावित वेबसाइट की विषय-वस्तु के स्लैप शॉट।
8. वेबसाइट के होस्टिंग के स्थान, जैसे पंजीकृत कार्यालय, परिचालन कार्यालय की पुष्टि।
9. वीमा वेब-संग्रहण के संबंध में वेबसाइट की विषय-वस्तु पर नियंत्रण अथवा उसके लिए उत्तरदायित्व रखनेवाले व्यक्तियों की सूची।
10. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को विद्यमान स्थिति के अनुसार कंपनी की निवल मालियत (नेट-वर्थ) और शेरधारिता के स्वरूप के लिए सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) का प्रमाणपत्र।
11. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित खातों की प्रतियाँ।

12. अगले तीन वर्षों के लिए व्यवसाय की योजना।
13. उपलब्ध आईटी बुनियादी संरचना सहित बुनियादी संरचना का विवरण।
14. कार्यात्मक उत्तरदायित्व दर्शनेवाला संगठनात्मक चार्ट।
15. प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापकों के प्रशिक्षण और परीक्षा के प्रमाणपत्र।
16. फार्म डी में विनिर्दिष्ट रूप में उचित और योग्य (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों के संबंध में प्रधान अधिकारी/प्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों/प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का विवरण और उनकी घोषणाएँ।
17. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी.) विभाग द्वारा संग्रहण वेबसाइट(टों) /पोर्टल/एलएमएस का सत्यापन करने के लिए यूजर आई.डी. और अस्थायी पासवर्ड (केवल देखने की अनुमति के साथ) एक बंद लिफाफे में।

टिप्पणी : दस्तावेजों की सभी प्रतियाँ प्रधान अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जानी चाहिए।

अनुसूची ।

फार्म सी

[विनियम 3 देखें]

1) प्रधान अधिकारी के लिए पात्रता की शैक्षिक योग्यताएँ नीचे सूचीबद्ध रूप में हैं :

- क. किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/ विश्वविद्यालय से प्राप्त कला, विज्ञान, अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य अथवा इंजीनियरिंग अथवा विधि अथवा प्रबंधन में स्नातक/मास्टर की उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा
 - ख. भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
 - ग. बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर अर्हता; अथवा
 - घ. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
 - ड. इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
 - च. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
 - छ. भारतीय बीमांकक संस्थान का एसोसिएट/ फेलो; अथवा
 - ज. भारतीय बैंकर संस्थान, मुंबई का सर्टिफाइड एसोसिएटशिप; अथवा
 - झ. इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य योग्यता।
- 2) आवेदक के प्रधान अधिकारी को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से बीमे के संबंध में प्रशिक्षण पूरा कर लेना चाहिए तथा उपर्युक्त प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी परीक्षक निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।**

भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(वीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

अनुसूची ।

फार्म डी

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का विवरण

[विनियम 3 देखें]

प्रधान अधिकारी/निदेशक/भागीदार/प्रवर्तक/प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का वैयक्तिक विवरण

1. वैयक्तिक विवरण

पूरा नाम	
संपर्क का ब्योरा	
पता	
फोन सं.	
सेल सं.	
ई-मेल आईडी	
जन्मतिथि	
राष्ट्रियता	
पैन कार्ड सं.	
आधार कार्ड सं.	

2. कर्तव्यों/दायित्वों का विवरण

क. योग्यताएँ, अनुभव और उपलब्धियाँ

संस्थान का नाम	देश	योग्यताएँ	अध्ययन का वर्ष

ख. व्यावसायिक योग्यताएँ

संस्थान का नाम	देश	योग्यताएँ	अध्ययन का वर्ष

ग. कार्य अनुभव

नियोक्ता का नाम	व्यवसाय का स्वरूप	पदनाम	कर्तव्यों का विवरण	अवधि

3. कंपनी के साथ संबंध

क. इस कंपनी में वर्तमान शेयरधारिता -- _____ को विद्यमान स्थिति

कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी में धारित शेयरों का %

ख. अन्य कंपनियों में ईड्किटी हित/अन्य कंपनियों में शेयरधारिता

कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी में धारित शेयरों का प्रतिशत

ग. अन्य कंपनियों में धारित निदेशन /भागीदारी /स्वामित्व की स्थितियाँ

कंपनी का नाम	संगठन में धारित स्थिति	अवधि (_____ से _____ तक)

1) मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई समस्त जानकारी वास्तविक और सही है।

2) मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैंने योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) विवरण भर दिया है और इस आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया है।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

योग्य और उचित मानदंड

(विनियम 3 देखें)

आवेदक को इस बात के लिए प्राधिकरण को संतुष्ट करना चाहिए कि-

- क) प्रधान अधिकारी योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है;
- ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और निदेशक अपना पद संभालने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
- ग) उसके सभी पर्याप्त शेयरधारक/भागीदार योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;

- घ) आवेदक पर प्रभावी नियंत्रण रखनेवाले सभी व्यक्ति कारोबार को संचालित करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
 झ) आवेदक के सभी प्रमुख प्रबंध कार्मिक योग्य और उपयुक्त हैं।

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के लिए घोषणा और वचन-पत्र

- च) प्रधान अधिकारी/निदेशकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/प्रमुख प्रबंध कार्मिकों की 'योग्य और उपयुक्त' स्थिति तय करने के लिए समुचित सावधानी बरतने के प्रयोजन हेतु निर्धारित 'घोषणा और वचन-पत्र' नीचे दिया गया है। बीमा वेब-संग्राहक को चाहिए कि वह अब से वर्तमान प्रधान अधिकारी और निदेशकों/भागीदारों एवं प्रधान अधिकारी और निदेशक/भागीदार के रूप में नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति से घोषणा और वचन-पत्र प्राप्त करने के लिए इस फार्मेट का प्रयोग करें।

- छ) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग फार्म प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

बीमा वेब-संग्राहक का नाम : _____		
I.	वैयक्तिक विवरण	
क.	पूरा नाम	
ख.	बीमा वेब-संग्राहक कंपनी/एलएलपी में स्थिति	
ग.	जन्मतिथि	
घ.	शैक्षिक अर्हताएँ	
ङ.	संगत पृष्ठभूमि और अनुभव	
च.	स्थायी पता	
छ.	वर्तमान पता	
ज.	ई-मेल पता	
झ.	टेलीफोन संख्या	
ञ.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन/आयकर मंडल का नाम और पता	
ट.	आधार कार्ड सं.	
ठ.	डीआईएन संख्या (यदि आवंटित हो) और आरओसी का स्थान	
ड.	बीमे से संबंधित ज्ञान और अनुभव	
ढ.	स्थिति से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
	योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड	
	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
II.	क्या आप कभी किसी कानून के अंतर्गत सेवी, रिजर्व बैंक, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, आदि किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत हैं अथवा आपने उनसे लाइसेंस प्राप्त किया है	
	क्या आपने इस आवेदन में बताये गये नाम के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से कभी कारोबार संचालित किया है	

ग.	क्या कोई कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय संचालित करने के संबंध में किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा आपको अस्वीकार किया गया है अथवा प्रतिबंधित किया गया है जिसके लिए कानूनन विशिष्ट लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य प्राधिकार अपेक्षित है	
घ.	क्या कोई व्यावसायिक कार्यकलाप संचालित करने के लिए किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कभी आपके संबंध में निंदा अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की गई है अथवा आपको निलंबित किया गया है अथवा अनुमति या लाइसेंस देने या पंजीकरण करने से इनकार किया गया है	
ड.	क्या कभी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा आप किसी जाँच अथवा अनुशासनिक कार्रवाही के अधीन रहे हैं अथवा आपको चेतावनी या फटकार दी गई है	
च.	क्या कभी आपको कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा आप किसी लंबित कार्रवाही के अधीन रहे हैं	
छ.	क्या कभी आपको किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है	
ज.	आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए पूर्व में लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा दोष-सिद्धि में परिणत अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
झ.	आपके विस्तृ पूर्व में लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा दोष-सिद्धि में परिणत आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
ञ.	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित कोई भी अनर्हता आपके संबंध में लागू है?	
ट.	क्या सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के कहने पर आप किसी जाँच के अधीन रहे हैं?	
ठ.	क्या कभी आप सीमाशुल्क/उत्पाद-शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाये गये हैं? यदि हाँ, तो व्योरा दें	
ड.	क्या कभी आप सेवी, आईआरडीएआई, एमसीए, पीएफआरडीए जैसे विनियमनकर्ता की जानकारी में प्रतिकूल रूप से आये हैं? (यद्यपि यह आवश्यक नहीं होगा कि उम्मीदवार विनियमनकर्ताओं द्वारा किये गये उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में इस स्तंभ में उल्लेख करे जो बाद में पूर्ण रूप से उलट दिये गये हों/रद्द किये गये हों, तथापि उनका उल्लेख करना आवश्यक होगा यदि उक्त विपर्यय/निरसन, परिसीमन अथवा क्षेत्राधिकार के अभाव आदि जैसे तकनीकी कारणों से हो और गुण-दोष के आधार पर न हो। यदि विनियमनकर्ता का आदेश अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया हो और अपीलीय/न्यायालय की कार्रवाही लंबित हो, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)	
ढ.	क्या आपकी किसी समूह कंपनी/सहयोगी कंपनी/संबंधित पक्षकार के पास आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रहा है?	
॥।	मद । और ॥ के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी तथा आवेदक के योग्य और उपयुक्त मानदंड का निर्णय करने के लिए संगत समझी गई कोई अन्य सूचना	
	वचन-पत्र	
	मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और पूर्ण है। मैं प्राधिकरण को यथाशीघ्र ऐसी सभी घटनाओं के बारे में पूर्णतः सूचित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ जो मेरी नियुक्ति के बाद घटित होंगी और जो ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना के साथ	

संबंधित होंगी।	
स्थान :	हस्ताक्षर :
दिनांक :	नाम :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

अनुसूची ।

फार्म ई

[विनियम 9 देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके

द्वारा.....

को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत **बीमा वेब-संग्राहक** के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

उक्त बीमा वेब-संग्राहक के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र कूट.....है।

1. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र से तक वैध है।
2. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

दूरविपणनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए और बाह्य स्रोत-उपयोग (आउटसोर्सिंग) कार्य के लिए अनुमोदन

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा मैसर्स.....

.....को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत बीमा दूरविपणन और बीमा बाह्य स्रोत-उपयोग (आउटसोर्सिंग) कार्य करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।

उक्त बीमा वेब-संग्राहक के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र कूट.....है।

- 1) यह पंजीकरण प्रमाणपत्र से तक वैध होगा ।
- 2) यह पंजीकरण प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है ।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

अनुसूची ॥

फार्म एफ

[विनियम 13 देखें]

बीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन

फार्म भरने के लिए अनुदेश :

- 1) यह महत्वपूर्ण है कि यह नवीकरण आवेदन फार्म भरने से पहले भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए।
- 2) आवेदक अनिवार्यतः सभी उपयुक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ, विधिवत् भरा गया नवीकरण आवेदन फार्म प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
- 3) पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब नवीकरण आवेदन फार्म सभी प्रकार से पूर्ण हो।
- 4) आवेदक अपने आवेदनपत्रों पर स्वयं हस्ताक्षर करें।
- 5) जो सूचना अधिक विस्तार से देने की आवश्यकता हो, वह अलग पत्रकों (शीटों) पर दी जाए जिन्हें नवीकरण आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम : _____

1.2 पता – व्यवसाय का प्रधान स्थान/पंजीकृत कार्यालय

पिन कोड	ईमेल
टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या

1.3 पत्रव्यवहार के लिए पता:

पिन कोड	ईमेल
टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या

1.4 प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम (यदि कोई परिवर्तन हो तो प्रस्तुत किया जाए)

--	--

2 संगठन – संरचना (यदि आवेदन फार्म में क्रम सं. 2 के अंतर्गत किसी मद में कोई परिवर्तन हो तो प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा "कोई परिवर्तन नहीं" का उल्लेख करें)

3. व्यवसाय संबंधी सूचना

3.1 तीन वर्ष के लिए कार्यकलापों और आय की पूर्वानुमानित मात्रा (प्रत्याशित सहित) के साथ व्यवसाय का योजना प्रलेख किसके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा की गई है, विशिष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और इस आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

3.2 प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का व्योरा

नाम	पदनाम/स्थिति	योग्यता	वीमा अनुभव	संबंधी	नियुक्ति तारीख	कार्यात्मक क्षेत्र

4. अन्य जानकारी, यदि कोई हो

4.1 सभी निपटाये गये और लंबित विवादों का विवरण : (अलग शीट संलग्न करें और नीचे दर्शाये गये फार्मेट में पूरी जानकारी दें)

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटाये गये

**यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें

4.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि आवेदक अथवा किसी निदेशक, अथवा किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका विवरण दें।

5. दूरविपणन/बाह्य स्रोत-उपयोग (आउटसोर्सिंग) कार्य के लिए अनुमति का नवीकरण

5.1 क्या आप दूरविपणन/आउटसोर्सिंग कार्य जारी रखना चाहते हैं/चाहती हैं: हाँ/ नहीं

5.2 क्या टीआरएआई (ट्राई) पंजीकरण वैध है: हाँ/नहीं

5.3 प्राधिकृत सत्यापकों की अद्यतन सूची:

नाम	योग्यता	प्रायोजक संस्था	प्रमाणपत्र सं.	कब तक वैध	पैन/आधार सं.

यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त चार्ट संलग्न करें।

5.4 कोई अन्य सूचना।

के लिए और उनकी ओर से

के लिए और उनकी ओर से

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

पदनाम

पदनाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

(स्पष्ट अक्षरों में)

स्थान :

दिनांक :

अनुसूची ॥

फार्म जी

[विनियम 13 देखें]

नवीकरण आवेदन फार्म एफ के साथ संलग्न किये जानेवाले फार्म

1. अनुबंध "1" में दिये गये फार्मेट में स्वयं-प्रमाणित वचन-पत्र।
2. वेबसाइट के होस्टिंग के स्थान की पुष्टि जैसे पंजीकृत कार्यालय, परिचालन कार्यालय, केवल तभी जब कोई परिवर्तन हो।
3. बीमा वेब-संग्राहक के संबंध में वेबसाइट की विषय-वस्तु पर नियंत्रण अथवा उसके लिए उत्तरदायित्व रखनेवाले व्यक्तियों की सूची, केवल तभी जब कोई परिवर्तन हो।
4. अगले तीन वर्षों के लिए व्यवसाय की योजना।
5. प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापकों के नवीकरण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
6. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम हैदराबाद में देय किसी अनुमति बैंक से आहरित पच्चीस हजार रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की विधि द्वारा अंतरण।

टिप्पणी: दस्तावेजों की सभी प्रतियाँ प्रधान अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत की जानी चाहिए।

अनुबंध "1"

वचन-पत्र का फार्मेट

संदर्भ सं.

दिनांक

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन,

वशीर बाग

हैदराबाद-500004

महोदय,

वचन-पत्र

हम इसके द्वारा निम्नलिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करते हैं और निम्नानुसार वचन देते हैं कि:

1. अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रवर्तकों/प्रबंधन /आवेदक कंपनी के संबंध में किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण का हस्तक्षेप नहीं है (यदि कोई हस्तक्षेप है तो हस्तक्षेप का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।
2. आवेदक कंपनी के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी भी निदेशक/ भागीदार/ प्रधान अधिकारी/ शेयरधारक/ कर्मचारी/ व्यक्ति को पूर्व में आईआरडीए द्वारा लाइसेंस प्रदान करने से इनकार नहीं किया गया है।
3. प्रधान अधिकारी ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 में विनिर्दिष्ट किये गये रूप में आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।
4. आवेदक कंपनी प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये संस्था के बहिर्नियमों के मुख्य उद्देश्यों तक सीमित विनियम का पालन करेगी।
5. प्रधान अधिकारी उक्त विनियमों के अंतर्गत केवल बीमा वेब-संग्राहक के कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा किसी अन्य बीमा संबंधी अथवा किसी अन्य संस्था में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर किसी निदेशन/ नियोजन/ समनुदेशन को धारण नहीं कर रहा है और न ही उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि ऐसा है, तो यह प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के साथ है। (जो लागू न हो, उसे काट दें)।
6. कंपनी का कोई भी निदेशक/ भागीदार अथवा कर्मचारी किसी अन्य बीमा संबंधी संस्था में किसी निदेशन/ नियोजन को धारण नहीं कर रहा है और न ही उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि ऐसा है, तो यह प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के साथ है। (जो लागू न हो, उसे काट दें)।
7. हमारी कोई भी सहयोगी कंपनी/ निदेशक/ प्रवर्तक/ प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ प्रधान अधिकारी/ कर्मचारी एजेंसी/ कॉरपोरेट एजेंसी/ टीपीए/ सर्वेक्षक के लाइसेंस को धारण नहीं कर रहा है।
8. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीं के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता की है तथा हर समय ग्राहकों की ओर से प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है।
9. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 का अनुपालन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से देय कमिशन अथवा दर्शाये गये प्रीमियम के संबंध में पूर्णतः अथवा अंशतः कोई रिवेट नहीं दिया है।
10. हम पुष्टि करते हैं कि न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा को उसका उपयोग शेयर और प्रतिभूतियाँ खरीदने में तथा अंतर-कंपनी जमाराशियाँ रखने और ऋण देने आदि में करने के द्वारा कम नहीं किया है।
11. हम पुष्टि करते हैं कि पंजीकरण की अवधि के दौरान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के विनियम 31 में विनिर्दिष्ट रूप में कार्यों का अनुपालन किया गया है।

हम पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त विवरण हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

हम इसके अतिरिक्त, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में सभी लागू विनियमों/ नियमों/ सूचनाओं/ परिपत्रों का पालन करने का भी वचन देते हैं।

प्रधान अधिकारी

(निदेशक, प्रधान अधिकारी को छोड़कर अन्य) हस्ताक्षर

नाम

नाम

दिनांक

दिनांक

टिप्पणी: जो घोषणा लागू नहीं है उसे काट दें तथा संबंधित सूचना अलग से संलग्न करें।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

अनुसूची ॥

फार्म एच

[विनियम 13 देखें]

पंजीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा
.....को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत **बीमा वेब-संग्राहक** के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

उक्त बीमा वेब-संग्राहक के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण का कूट.....है।

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र का यह नवीकरण.....से.....तक वैध होगा।
2. पंजीकरण का यह नवीकरण प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938, बीमा नियम, 1939, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

दूरविपणनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए और बाह्य स्रोत-उपयोग (आउटसोर्सिंग) कार्य के लिए अनुमोदन का नवीकरण

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके
.....द्वारा
मैसर्स.....
.....को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत बीमा दूरविपणन और बीमा संबंधी बाह्य स्रोत-उपयोग (आउटसोर्सिंग) कार्य करना जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।

उक्त बीमा वेब-संग्राहक के लिए पंजीकरण के नवीकरण प्रमाणपत्र का कूट.....है।

- 1) पंजीकरण का यह नवीकरण प्रमाणपत्र से तक वैध होगा।
- 2) पंजीकरण का यह नवीकरण प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938, बीमा नियम, 1939, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-

संग्राहक) विनियम, 2017 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

अनुसूची ॥

फार्म आई

[विनियम 16 देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डॉप्लिकेट) के लिए आवेदन

1. मैं आपको सूचित करते हुए स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि मेरा/हमारा पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या.....

1. खो गया है

2. नष्ट किया गया है

3. कटा-फटा है

जोकि	निम्नलिखित	कारणों	से	हुआ
है.....				
.....				

2. शुल्क का भुगतान :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को वापस न करने योग्य 1000/- रुपये के शुल्क का भुगतान किया गया है।

भुगतान का विवरण :

माँग ड्रॉफ्ट (डीडी) सं.: _____ दिनांक: _____ बैंक का नाम: _____

भुगतान की अन्य विधियाँ :

3. घोषणा

मैं इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के विनियम 16 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डॉप्लिकेट) के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ।

अतः मैं/हम प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि कृपया ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों के आलोक में पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डॉप्लिकेट) जारी करें।

मैं.....सत्यनिष्ठापूर्वक
यह घोषित करता हूँ/करती हूँ और यह पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार
उपर्युक्त विवरण सही है।

निदेशक के हस्ताक्षर/ भागीदार 1

निदेशक के हस्ताक्षर/ भागीदार 2

भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(वीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

अनुसूची ॥**फार्म जे**

[विनियम 16 देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (हूलिकेट)**पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या :**

1. वीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण
इसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के अधीनको वीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

2. यह पंजीकरण प्रमाणपत्रसेतक वैध होगा।
3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र वीमा अधिनियम, 1938, वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) तथा भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के अधीन है एवं इसे किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन के रूप में अथवा उनके अनुरूप होने के तौर पर नहीं माना जाएगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से

भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(वीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017

अनुसूची ॥॥**फार्म के**

[विनियम 18 देखें]

व्यावसायिक क्षतिपूर्ति वीमा**व्यावसायिक क्षतिपूर्ति वीमे का अनुरक्षण -**

- (1) उक्त वीमा रक्षा अनिवार्यतः निम्नलिखित के संबंध में वीमा वेब-संग्राहक की क्षतिपूर्ति करेगी :

- क. उसकी ओर से अथवा उसके कर्मचारियों और निदेशकों की ओर से कोई त्रुटि अथवा भूल-चूक अथवा उपेक्षा;
- ख. धनराशि अथवा अन्य संपत्ति की कोई हानि जिसके लिए किसी वित्तीय अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा भूल-चूक के परिणामस्वरूप बीमा वेब- संग्राहक कानूनी तौर पर वाध्य है;
- ग. दस्तावेजों की हानि तथा ऐसे दस्तावेजों को प्रतिस्थापित करने अथवा पुनःस्थापित करने में आई लागत और किया गया व्यय;
- घ. बीमा वेब-संग्राहक के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा किये गये बेर्इमानी के अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा भूल-चूक।

(2) उक्त क्षतिपूर्ति बीमा-रक्षा –

- क. पंजीकरण की पूरी अवधि के लिए वार्षिक आधार पर होगी;
- ख. इस आशय की किन्हीं शर्तों से युक्त नहीं होगी कि दावों के भुगतान पहले बीमा वेब-संग्राहक द्वारा देयता की पूर्ति करने के आधार पर होंगे;
- ग. उस समय का विचार किये बिना बीमे की अवधि के दौरान किये गये सभी दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जब दावे को उत्पन्न करनेवाली घटना घटित हुई हो। वर्षते कि उपर्युक्त अपेक्षाओं के लिए जो क्षतिपूर्ति बीमा-रक्षा पूर्णतः अनुरूप नहीं होगी उसके लिए अनुमति प्राधिकरण द्वारा लिखित में उसके द्वारा दर्ज किये जानेवाले कारणों के लिए विशेष मामलों में दी जाएगी।
- (3) क्षतिपूर्ति की सीमा बीमा वेब-संग्राहकों के मामले में किसी एक दावे के लिए और वर्ष के लिए समग्र रूप में न्यूनतम पञ्चीस लाख रुपये और अधिकतम एक सौ करोड़ रुपये की सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की दुगुनी होगी।
- (4) प्रत्येक दावे के संबंध में अवीमाकृत आधिक्य, व्यवसाय में बीमा वेब-संग्राहक द्वारा लगाई गई पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (5) बीमा पॉलिसी भारत में किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी, जिसने निम्नलिखित के लिए सहमति दी हो—

- क) बीमा वेब-संग्राहक को बीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या सहित उसका नाम और पता, पॉलिसी संख्या, क्षतिपूर्ति की सीमा, आधिक्य तथा बीमाकर्ता के नाम के साथ युक्त एक वार्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना जो इस बात के साक्ष्य के रूप में होगा कि उक्त बीमा-रक्षा प्राधिकरण की अपेक्षाएँ पूरी करती है।

अनुसूची III

फार्म एल

[विनियम 20 देखें]

उत्पादों के वितरण के लिए बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्थाएँ

1. बीमा वेब-संग्राहक के साथ बीमाकर्ता का करार:

- (क) बीमा वेब-संग्राहक से अग्रताएँ प्राप्त करने का इच्छुक बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बीमा वेब-संग्राहक के साथ एक "करार" करेगा जिसमें आवश्यक रूप से निम्नलिखित से संबंधित, परंतु इन्हीं तक सीमित न रहनेवाला विवरण शामिल होगा:
 - i. साझेदारी की जानेवाली अग्रताओं की निर्धारित समय-सीमा और प्रेषण की विधि
 - ii. करार से संबंधित दोनों पक्षकारों पर विनियामक और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का पालन करने का दायित्व
 - iii. साझेदारी किये जानेवाले विभिन्न डेटा घटकों (उदा. संभावित ग्राहक (वेब साइट के विजिटर) का नाम, संपर्क का व्योरा आदि) की पहचान करना

iv. करार कर लेने के बाद वीमा वेब-संग्राहक को सहमत उत्पादों का प्रीमियम और विशेषताओं की सारणियाँ उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित समय-सीमा निर्दिष्ट करना तथा उन्हें अद्यतन बनाये रखना।

(ख) वीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण की विधिमान्यता के अधीन, वीमाकर्ता और वीमा वेब-संग्राहक के बीच किया जानेवाला करार उसकी तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(ग) वीमा वेब-संग्राहक प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षित हो तब निरीक्षण के लिए उक्त करार को तैयार रखेगा।

2. वीमा उत्पादों के वितरण के लिए बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्थाएँ – वीमा वेब-संग्राहक निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा:

क) इस प्रकार के करार करते समय कोई भी वीमा वेब-संग्राहक किसी विशिष्ट बीमाकर्ता के उत्पादों का वितरण करने के लिए बादा नहीं करेगा और कोई भी बीमाकर्ता वीमा वेब-संग्राहक को ऐसा करने के लिए विवश नहीं करेगा;

ख) पॉलिसीधारकों के प्रति वीमा वेब-संग्राहकों के कर्तव्य और दायित्व, बीमाकर्ताओं और वीमा वेब-संग्राहकों के कर्तव्य और दायित्व, व्यवस्थाओं के समापन के लिए शर्तें शामिल करने के लिए उक्त व्यवस्थाओं में प्रावधान होंगे;

ग) यदि कोई वीमा वेब-संग्राहक किसी बीमाकर्ता के साथ की गई व्यवस्था का समापन करना चाहता है, तो वह व्यवस्था के समापन के लिए कारण बीमाकर्ता और प्राधिकरण को सूचित करने के बाद ऐसा कर सकता है। ऐसे मामलों में, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित और बीमाकर्ता के पास रखी गई पॉलिसियों की सर्विसिंग पॉलिसियों की समाप्ति तक बीमाकर्ता द्वारा की जाएगी;

घ) यदि कोई वीमाकर्ता किसी वीमा वेब-संग्राहक के साथ की गई व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, तो वह वीमा वेब-संग्राहक और प्राधिकरण को व्यवस्था के समापन के लिए कारण सूचित करने के बाद ऐसा कर सकता है। ऐसे मामलों में वीमा वेब-संग्राहक द्वारा प्राप्त की गई पॉलिसियों की सर्विसिंग करने का दायित्व संबंधित बीमाकर्ता ग्रहण करेगा;

इ) कोई भी बीमाकर्ता उसका वीमा वेब-संग्राहक बनने के लिए संबंधित विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुमति-प्राप्त किसी भुगतान को छोड़कर कोई सांकेतिक (साइरिंग) शुल्क अथवा कोई अन्य प्रभार, चाहे किसी भी नाम से कहलाएँ, वीमा वेब-संग्राहक को अदा नहीं करेगा तथा कोई भी वेब-संग्राहक इस प्रकार का कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा।

ज) प्राधिकरण किसी भी समय किसी बीमाकर्ता अथवा वीमा वेब-संग्राहक को वितरण की व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए, इसके लिए कारण अभिलिखित करते हुए निदेश दे सकता है।

अनुसूची III

फार्म एम

[विनियम 22 देखें]

खाता-बहियों, अभिलेखों, आदि का अनुरक्षण

क) प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक लेखांकन वर्ष की समाप्ति से नव्वे दिन के अंदर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपि उनपर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण को कारोबार के संचालन, लेखा-विवरण आदि के संबंध में लेखा-परीक्षकों की अभ्युक्तियों अथवा टिप्पणियों, यदि कोई हों, सहित प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये ऐसे खातों के साथ इस प्रकार की टिप्पणियों पर उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

ख) प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से नव्वे दिन के अंदर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई कमियाँ यदि कोई हों तो उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएगा और तदनुसार प्राधिकरण को सूचित करेगा।

ग) सभी खाता-बहियों, विवरणों, दस्तावेजों, आदि का अनुरक्षण वीमा वेब-संग्राहक के प्रधान कार्यालय में किया जाएगा तथा उन्हें प्राधिकरण के उन अधिकारियों को सभी कार्यदिवसों पर उपलब्ध कराया जाएगा जो निरीक्षण के लिए उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किये जाएँगे।

घ) इन विनियमों में उल्लिखित और वीमा वेब-संग्राहक द्वारा अनुरक्षित सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, बहियों और दस्तावेजों, विवरणों, संविदा नोटों आदि को उनके संबंधित वर्ष की समाप्ति से कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा। तथापि,

उन मामलों से संबंधित डिजिटल अभिलेख/दस्तावेज जहाँ कानूनी विवाद सूचित किये गये हैं और उनका निपटान न्यायालयों के फैसले के लिए लंबित है, यह अपेक्षित है कि ऐसे अभिलेख न्यायालय द्वारा मामले का निपटान होने तक रखे जाएँ।

ड) प्रत्येक बीमा वेब-संग्राहक इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थित अभिलेखों सहित, निम्नलिखित अभिलेखों का अनुरक्षण बीमाकर्ता-वार करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा तब उन्हें उपलब्ध कराएगा:

- i. उत्पन्न और प्रेषित की गई अग्रताएँ
- ii. पॉलिसियों के रूप में परिवर्तित अग्रताएँ
- iii. प्राप्त और निपटाई गई शिकायतें
- iv. तुलना के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्पाद
- v. प्रदर्शित उत्पादों के लिए प्राप्त पारिश्रमिक
- vi. पॉलिसियों में परिवर्तित अग्रताओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक
- vii. बाह्य-स्रोत उपयोग (आउटसोर्सिंग) के कार्यकलापों से प्राप्त पारिश्रमिक
- viii. बीमाकर्ताओं से प्राप्त कोई अन्य पारिश्रमिक (ब्योरा लिखें)
- ix. संबंधित प्राधिकरण के दिशानिर्देशों एवं धन-शोधन निवारण n अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ग्राहक के 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) अभिलेख;
- x. ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर विधिवत् हस्ताक्षरित और बीमाकर्ता को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव फार्म की प्रति;
- xi. एक रजिस्टर जिसमें ग्राहकों की सूची, पॉलिसी का विवरण जैसे पॉलिसी का प्रकार, प्रीमियम राशि, पॉलिसी जारी करने की तारीख, प्राप्त प्रभार अथवा शुल्क आदि निहित हों;
- xii. एक रजिस्टर जो प्राप्त शिकायतों के विवरण से युक्त हो जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत का स्वरूप, जारी की गई/ अपेक्षित की गई पॉलिसी का विवरण और उसपर की गई कार्रवाई शामिल हों;
- xiii. प्राधिकरण के साथ किये गये पत्र-व्यवहार की प्रतियाँ;
- xiv. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई भी अन्य अभिलेख।

अनुसूची |||

फार्म एन

[विनियम 23 देखें]

प्राधिकरण को प्रकटीकरण

1. बीमा वेब-संग्राहक प्राधिकरण को जब भी उसके द्वारा अपेक्षित किया जाता है तब ऐसी अपेक्षा करने से लेकर किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक तीस दिन की अवधि में निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा, अर्थात्-
 - i. पूर्व में प्रस्तुत की गई सूचना अथवा विवरण में कोई भी परिवर्तन, जिसका संबंध उन्हें प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र से हो;
 - ii. उन ग्राहकों के नाम जिनके बीमा संविभाग का प्रबंध वे कर रहे हैं अथवा पहले कर चुके हैं;

- iii. उनके विरुद्ध किन्हीं अन्य विनियामक अथवा सरकारी निकायों द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही एक उचित समय के अंदर, परंतु ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से 30 दिन के भीतर। ऐसे अन्य निकायों द्वारा कोई भी कार्रवाई अथवा जारी किये गये कोई निदेश भी प्राधिकरण को ऊपर निर्धारित समय-सीमाओं के अंदर प्रकट किया जाना चाहिए।
- iv. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य सूचना/अपेक्षा।
2. बीमा वेब-संग्राहक प्राधिकरण को ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो बीमा वेब- संग्राहक की संरचना में हो, का प्रकटीकरण स्वयं ही ऐसा परिवर्तन होने के 30 दिन के अंदर करेगा;
3. बीमा वेब-संग्राहक निम्नलिखित के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा :
- प्रधान अधिकारी का परिवर्तन;
 - निदेशक/निदेशकों अथवा नामोदिष्ट भागीदार/भागीदारों, जैसी स्थिति हो, में परिवर्तन;
 - कंपनी के नाम में परिवर्तन;
 - पंजीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालय के पते में परिवर्तन;
 - निम्नलिखित जैसे, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, बीमा वेब- संग्राहक के मुख्य कार्यकलापों के लिए सेवा प्रदाताओं अथवा अन्य पक्ष विक्रेताओं की सेवाओं का नियोजन करना :
 - अग्रता प्रबंध प्रणाली
 - वेब होस्टिंग
 - अन्य मुख्य कार्यकलाप
- (vi) तुलना दर्शनेवाली वेबसाइट(वेबसाइटों) का होस्टिंग करनेवाले सर्वरों के स्थान में परिवर्तन
4. बीमा वेब-संग्राहक प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना कार्रवाई से तीन दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।
- शाखा कार्यालयों का प्रारंभ/समाप्त;
 - दूरविषयन/दूरस्थ विषयन विधियों के माध्यम से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करनेवाले प्राधिकृत सत्यापकों की अद्यतन सूची;
 - व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में;
 - किसी संपत्ति का अधिग्रहण;
- v) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा माँगी जानेवाली कोई अन्य सूचना
5. यदि आवेदन दाखिल करने के बाद या आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान, उनके आवेदन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की गई सूचना में कोई परिवर्तन हो तो ऐसा परिवर्तन प्राधिकरण को आवेदक द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्राधिकरण के विचारार्थ प्रकट किया जाएगा।
6. प्राधिकरण बीमा वेब-संग्राहक से समय-समय पर सूचना/डेटा/दस्तावेज इस विषय में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

अनुसूची IV

फार्म ओ

[विनियम 25 देखें]

प्राधिकृत सत्यापक की भूमिका और दायित्व

- क) प्राधिकृत सत्यापक से निम्नलिखित अपेक्षाएँ होंगी:
 - i) बीमा वेब-संग्राहक अथवा दूर-विपणनकर्ता की कर्मचारी-सूची में उसका नाम सम्मिलित होगा।
 - ii) बीमा व्यवसाय की अपेक्षा केवल दूर-विपणन विधि के माध्यम से करेगा।
 - iii) संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक जो उत्पाद खरीदना चाहते हैं उनके संबंध में सहायता अथवा स्पष्टीकरण माँगते हुए उनसे आनेवाले टेलीफोन कॉल रिसीव करेगा।
 - iv) संभावित ग्राहक की आवश्यकता के विशेषण के आधार पर बीमा उत्पाद का विक्रय करेगा।
 - v) चयन करने में ग्राहक की सहायता करने के लिए अन्य कंपनियों के इसी प्रकार के उत्पाद की मुख्य विशेषताएँ स्पष्ट करेगा।
 - vi) बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने के लिए कोई भी अनपेक्षित निर्गमी (आउटबाउण्ड) टेलीफोन कॉल नहीं करेगा।
 - vii) बीमा उत्पाद के अंतर्गत लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने के द्वारा संभावित ग्राहकों से कोई झूठा वादा नहीं करेगा अथवा उनको कोई प्रलोभन नहीं देगा।
- ख) बीमा वेब-संग्राहक प्राधिकृत सत्यापक द्वारा बेची गई प्रत्येक बीमा पॉलिसी को उसकी पहचान के साथ संबद्ध करेगा जिससे विक्रय का पता लगाया जा सके तथा शिकायतें, यदि कोई हों, तो उन्हें दूरस्थ आधार पर प्राधिकरण तक पहुँचाया जा सके।
- ग) प्राधिकृत सत्यापक एक बीमा वेब-संग्राहक/ दूर-विपणनकर्ता से अन्य वेब-संग्राहक/ दूर-विपणनकर्ता के पास परिवर्तन अपने पूर्ववर्ती नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद अथवा 30 दिन से पहले, जो भी पहले हो, कर सकता है।

अनुसूची IV

फार्म पी

[विनियम 31 देखें]

बीमा वेब-संग्राहक के कर्तव्य और दायित्व

- क) बीमा वेब-संग्राहक निम्नलिखित कार्य करेगा-
 - i) बीमा वेब-संग्राहकों के साथ करार पर जिन बीमाकर्ताओं ने हस्ताक्षर किये हैं, उनके उत्पादों से संबंधित जानकारी अपनी नामित वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।
 - ii) बीमाकर्ताओं के लिए अग्रता उत्पादन के प्रयोजन हेतु कार्यकलाप संपन्न करेगा।
 - iii) यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रहण वेबसाइट(टों)/पोर्टलों, अग्रता प्रबंध प्रणाली तथा वेबसाइट(टों)/पोर्टल(लों)/ अग्रता प्रबंध प्रणाली का पोषण (होस्टिंग) करनेवाले डेटा केंद्रों सहित सूचना प्रणालियाँ (दोनों हार्डवेयर और साफ्टवेयर) समय-समय पर भारत में प्रचलित सामान्यतः स्वीकृत सूचना सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हों।
 - iv) यह सुनिश्चित करेगा कि अग्रताओं और अन्य डेटा का प्रेषण 128 बिट कोडीकरण (इन्क्रिप्शन) जैसी सुरक्षित स्तर की डेटा कोडीकरण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करनेवाले बीमाकर्ताओं और अन्यों को किया जाए।

v) वीमा वेब-संग्राहक को जब वीमाकर्ता की ओर से प्रीमियम का संग्रहण करने के लिए वीमाकर्ता द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तब प्रीमियम के संग्रहण और वीमाकर्ताओं को प्रीमियम का अंतरण करने के लिए केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत भुगतान संबंधी गेटवेओं का ही प्रयोग करेगा।

vi) भारत में होस्टिंग की जा रही संग्रहण वेबसाइट(टों)/पोर्टलों, अग्रता प्रबंध प्रणाली तथा वेबसाइट(टों)/ पोर्टल(लों) / अग्रता प्रबंध प्रणाली का पोषण करनेवाले डेटा केंद्रों सहित सूचना प्रणालियों (दोनों हार्डवेयर और साफ्टवेयर) की वित्तीय वर्ष में एक बार सर्ट-इन द्वारा सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षक संगठनों द्वारा लेखा-परीक्षा करवाना एवं लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र/रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर उसकी एक प्रतिलिपि भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और उन वीमाकर्ताओं को जिनके साथ वीमा वेब-संग्राहक ने करार किया है, प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करेगा।

vii. वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक तौर पर सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्राप्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वीमा वेब-संग्राहक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के सभी उपबंधों और रूपरेखा का अनुपालन कर रहा है।

घ) वीमा वेब-संग्राहक निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा :

i) अन्य वित्तीय संस्थाओं/एफएमसीजी के उत्पादों अथवा सेवाओं या किसी उत्पाद अथवा सेवा से संबंधित कोई सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित करना।

ii) वीमा वेब-संग्राहक की वेबसाइट पर वीमा उत्पाद या सेवा सहित, किसी उत्पाद या सेवा, अन्य वित्तीय उत्पादों या सेवा/अथवा किसी अन्य उत्पाद या सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करना।

iii) निम्नलिखित अपवादों के अधीन बहुविध वेबसाइटों का परिचालन अथवा अग्रणी उत्पादन/उत्पाद की तुलना आदि के लिए अन्य अनुमोदित/अनन्तुमोदित/अपंजीकृत संस्थाओं/वेबसाइटों के साथ गठजोड़ करना:

क. वीमा उत्पादों की तुलना के लिए प्रयुक्त वीमा वेब-संग्राहक की प्राथमिक वेबसाइट हेतु बहुविध डोमेन नामों अथवा .com अथवा .in अथवा .co.in जैसे प्रत्ययों के साथ उन्हीं डोमेन नामों का उपयोग करने की अनुमति है वर्तमाने के

1) प्राथमिक अथवा अनुषंगी अथवा उत्पाद श्रेणी विशिष्ट वेबसाइटों अथवा मोबाइल साइटों के डोमेन नाम वीमा वेब- संग्राहक के स्वामित्व में हों तथा वीमा वेब- संग्राहक के नाम से पंजीकृत हों।

2) वीमा वेब-संग्राहक से अपेक्षित है कि वह पंजीकरण प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन में ऐसी वेबसाइटों अथवा मोबाइल साइटों के पंजीकरण की तारीख और साथ ही उनके डोमेन नाम प्रबर्तित करने की तारीख के बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचित करे तथा उसके बाद वर्तमान वेबसाइटों अथवा नई वेबसाइटों के नाम(नामों) में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में क्रमशः डोमेन नाम के पंजीकरण की तारीख और प्रारंभ करने की तारीख से 15 दिन के अंदर उसके बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचित करे।

iv. उत्पादों की तुलना आदि के लिए अन्य वित्तीय/वाणिज्यिक/विपणन अथवा विक्रय अथवा सेवा संस्थाओं की वेबसाइटों अथवा अन्य सोशल मीडिया साइटों आदि का परिचालन करना।

v) इन विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर वीमा व्यवसाय में लिस किसी भी संस्था को अग्रताओं का प्रेषण करने के प्रयोजन के लिए किसी अन्य प्रकार से परिचालन करना।

ग) वीमा वेब-संग्राहकों के नाम

i) सभी वीमा वेब-संग्राहकों के लिए 'वीमा वेब-संग्रहण' कंपनी के नाम में 'वीमा वेब संग्राहक' शब्द होगा जिससे उनके कार्यकलाप की दिशा प्रतिबिंबित हो सके तथा जनसाधारण के लिए अन्य वीमा संबंधी संस्थाओं से भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा पंजीकृत वीमा वेब-संग्राहकों का अंतर स्पष्ट हो सके। नाम संबंधी इस अपेक्षा का पालन न होने की स्थिति में वीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण की अपेक्षा करते हुए आवेदन प्रस्तुत करनेवाली नई आवेदक कंपनियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii) प्रत्येक पंजीकृत वीमा वेब-संग्राहक सभी हितधारकों के साथ अपने समस्त पत्र-व्यवहार में प्राधिकरण के पास पंजीकृत अपना नाम, पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय का पता, आईआरडीएआई पंजीकरण संघर्षा और पंजीकरण की विधिमान्यता की अवधि प्रदर्शित करेगा।

iii) वीमा वेब-संग्राहकों को प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने पत्र-व्यवहार /साहित्य /पत्रशीर्षों में किसी भी अन्य नाम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

अनुसूची IV

फार्म क्यू

[विनियम 26 देखें]

वेबसाइट पर उत्पादों की तुलनाओं का प्रदर्शन

क. वीमा वेब-संग्राहक होम पेज पर प्रमुख रूप से एक सूचना प्रकट करेंगे कि :

i. संभावित ग्राहक/विजिटर के विवरण की साझेदारी वीमाकर्ताओं के साथ की जा सकती है;

ii."इस वेबसाइट पर दर्शाई गई सूचना उन वीमाकर्ताओं की है जिनके साथ हमारी कंपनी ने करार किया है"

ख. वीमा वेब-संग्राहकों द्वारा प्रदर्शित की गई उत्पाद संबंधी जानकारी प्रामाणिक होगी और केवल वीमाकर्ताओं से प्राप्त सूचना पर आधारित होगी।

ग. वीमा वेब-संग्राहक अपनी वेबसाइट पर वीमा उत्पादों के श्रेणी निर्धारण (रेटिंग), स्थान निर्धारण (रैंकिंग), समर्थन (इन्डॉर्समेन्ट) अथवा सर्वाधिक विक्री वालों (वेस्ट सेलर्स) का प्रदर्शन नहीं करेंगे। वीमा वेब-संग्राहकों की वेबसाइटों की विषय-वस्तु निष्पक्ष और तथ्यात्मक स्वरूप की होगी; वे अपने संपादकीयों में अथवा अपनी वेबसाइटों में किसी अन्य स्थान पर वीमाकर्ताओं अथवा उनके उत्पादों के संबंध में टिप्पणी करने से बचेंगे।

घ. उत्पादों का श्रेणीकरण निम्नानुसार होगा :

1) जीवन वीमा:

- i. आजीवन पॉलिसियाँ
- ii. मीयादी वीमा उत्पाद
- iii. बंदोबस्ती उत्पाद
- iv. स्वास्थ्य वीमा उत्पाद
- v. सेवानिवृत्ति – तात्कालिक वार्षिकी
- vi. सेवानिवृत्ति – आस्थगित वार्षिकी
- vii. बच्चों के लिए उत्पाद
- viii. यूलिप उत्पाद
- ix. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कोई अन्य उत्पाद

2) साधारण

- i. गृह वीमा
- ii. मोटर वीमा
- v. ग्रामीण वीमा
- vi. स्वास्थ्य वीमा
- v. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कोई अन्य उत्पाद

3) स्वास्थ्य

i. स्वास्थ्य बीमा

ii. यात्रा बीमा

iii. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा

iv. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कोई अन्य उत्पाद

ङ. उपर्युक्तानुसार एक श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले उत्पादों की तुलना की जा सकती है।

च. उत्पादों की मूलभूत विशेषताओं की तुलना की जा सकती है, जैसे :

i. पात्रता के मानदंड

ii. योजना/पॉलिसी अवधि/प्रीमियम अवधि/न्यूनतम और अधिकतम बीमाकृत राशि (एस.ए.)/आयु/न्यूनतम और अधिकतम परिपक्वता आदि

iii. अंतर्निहित लाभ/अनुलाभ (राइडर) (अतिरिक्त अनुलाभों की तुलना अलग से की जानी चाहिए)

iv. विभिन्न आयु-वर्गों के लिए प्रीमियम

v. अभ्यर्पण (सरंडर) लाभ/ऋण आदि

vi. लाभ जैसे जीवित रहने के लाभ/परिपक्वता लाभ/मृत्यु होने पर लाभ आदि

vii. समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित रूप में लाभ निर्दर्शनों के अनुसार प्रतिलाभ

viii. उत्पादों से संबंधित कोई अन्य अतिरिक्त सूचना/उत्पाद के विशेष लक्षण

छ. बीमा वेब-संग्राहक की नामित वेबसाइट पर प्रदर्शित तुलनात्मक चार्ट ग्राहक को वेब-पृष्ठों के माध्यम से ले जाएगा जिनकी अभिस्वीकृति उसके द्वारा निम्नलिखित क्रम में दी जाएगी:

i) बीमा-रक्षा

ii) अपवर्जन

iii) लाभ

iv) अवधियाँ

v) शर्तें और

vi) कीमत

ज. सॉचे (टेम्प्लेट) बीमा वेब-संग्राहकों और बीमाकर्ताओं, जिनके उत्पादों की तुलना की जा रही है, के बीच पारस्परिक तौर पर तैयार किये जा सकते हैं।

झ. उत्पादों की तुलनाएँ जो प्रदर्शित की जाती हैं, अद्यतन होंगी तथा उत्पादों की सही स्थिति प्रतिविवित करेंगी।

ञ. उत्पादों की तुलनाएँ समग्र आधार पर सभी करों और शुल्क सहित होंगी ताकि संभावित ग्राहक समान विशेषताओं की तुलना कर सके।

ट. बीमा वेब संग्राहक उत्पादों से संबंधित जानकारी पूर्ण रूप से बीमाकर्ताओं द्वारा उन्हें दी गई सूचना के आधार पर प्रदर्शित करेंगे।

अनुसूची IV

फार्म आर

[विनियम 27 देखें]

अग्रताओं की विधि और साझेदारी:

- (क) बीमा वेब-संग्राहक की नामित वेबसाइट में आनेवाले आगंतुकों (विजिटरों) का पूरा व्योरा दर्ज करने की क्षमता रखने वाली एक अग्रता प्रबंध प्रणाली (एलएमएस) एवं आगंतुक के अधिमान सहित उत्पन्न की गई अग्रताओं का उपयोग बीमा वेब-संग्राहक करेगा।
- (ख) एलएमएस डेटा की साझेदारी उन बीमा कंपनियों के साथ की जानी चाहिए जिन्होंने बीमा वेब-संग्राहकों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- (ग) एलएमएस को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
- (घ) बीमा वेब-संग्राहक होम पेज में प्रमुख रूप से प्रकट करेंगे कि संभावित ग्राहक/आगंतुक के विवरण की साझेदारी बीमाकर्ताओं के साथ की जा सकती है।
- (ङ) बीमा वेब-संग्राहक को आगंतुक द्वारा तीन बीमाकर्ताओं तक का चयन करने के लिए विकल्प की व्यवस्था करनी चाहिए जिन्हें एक ही समय अग्रता का प्रेषण किया जा सके।
- (च) बीमा वेब-संग्राहक संभावित ग्राहक का डेटा संभावित ग्राहक द्वारा वरीयता दिये गये बीमाकर्ता(ओं) को छोड़कर किसी(किन्हीं) अन्य बीमाकर्ता(ओं) को प्रेषित नहीं करेगा। वर्तमान कि यदि संभावित ग्राहक बीमे की खरीद करने में रुचि दर्शाता है, परंतु किसी बीमाकर्ता को वरीयता नहीं देता तो बीमा वेब-संग्राहक अग्रता का प्रेषण संभावित ग्राहक की आवश्यकता के विश्लेषण के आधार पर बीमा व्यवसाय की एक ही श्रेणी में तीन से अधिक बीमाकर्ताओं को नहीं करेगा।
- (छ) बीमा वेब-संग्राहक संभावित ग्राहकों के डेटा से युक्त अग्रता बीमाकर्ता को निम्नानुसार प्रेषित करेगा
 - i. वेबसाइट में विजिट करने से तीन दिन के अंदर।
 - ii. अनधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से संभावित ग्राहकों की सूचना की रक्षा यथोचित रूप से करते हुए;
 - iii. उचित स्तर की उपयुक्ता, विश्वसनीयता और विशुद्धता के साथ, तथा;
 - iv. सामान्य रूप से स्वीकृत सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) संबंधी सुरक्षा की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए।
- (ज) बीमा वेब-संग्राहकों को चाहिए कि वे कम से कम 12 महीनों में एक बार एलएमएस प्रणालियों की प्रक्रिया की लेखा-परीक्षा करने के लिए एक लेखा-परीक्षा फर्म को अभिनियोजित करें।
- (झ) लेखा-परीक्षा फर्म की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एवं उन बीमाकर्ताओं, जिन्होंने बीमा वेब-संग्राहकों के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं, को रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (ञ) बीमाकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे अग्रता को पॉलिसी में परिवर्तित करने के बाद पॉलिसी संबंधी विवरण उस बीमा वेब-संग्राहक की एलएमएस पर वापस दर्ज करें जिससे अग्रता उन्होंने प्राप्त की थी।
- (ट) विक्रय की जमा (क्रेडिट) को पारित करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा बीमा वेब-संग्राहक की एलएमएस पर प्राप्त अग्रताओं का पता लगाने के लिए समय-सीमा बीमाकर्ता और वेब संग्राहक द्वारा आपस में तय की जानी चाहिए जो उनके द्वारा किये गये करार में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

अनुसूची V

फार्म एस

[विनियम 28 देखें]

बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा बीमे के ऑनलाइन विक्रय की विधि और प्रक्रिया – बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा बीमे का ऑनलाइन विक्रय प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये बीमा नेटवर्क प्लेटफार्म संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

अनुसूची VI

फार्म टी

[विनियम 29 देखें]

दूर-विपणन विधि और बीमा वेब-संग्राहक के अन्य दूरस्थ विपणन कार्यकलापों द्वारा बीमा उत्पादों का विक्रय

1. विस्तार और प्रयोज्यता – इसमें विक्रय के प्रस्ताव और निष्कर्ष के स्तरों सहित बीमा वेब-संग्राहक के दूर-विपणन और दूरस्थ विपणन कार्यकलाप शामिल हैं।

क) दूर-विपणन और दूरस्थ विपणन में निम्नलिखित विधियों के माध्यम से बीमा उत्पादों की अपेक्षा और विक्रय की प्रत्येक गतिविधि सम्मिलित है:

- (i) स्वर (वॉइस) विधि जिसमें टेलीफोन कॉलिंग शामिल है;
- (ii) संक्षिप्त संदेश-प्रेषण सेवा (एसएमएस);
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक विधि जिसमें ई-मेल और परस्पर सक्रिय (इंटर-एक्टिव) टेलीविज़न (डीटीएच) शामिल हैं;
- (iv) दूरस्थ विपणन के अंतर्गत समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित किसी भी साधन से अपेक्षा (सॉलिसिटेशन)।

(ख) ये अनुदेश इस प्रकार की अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यकलापों के मामले में विशेष रूप से लागू हैं :

- (i) बीमा खरीदने के संबंध में संभावित ग्राहक के उद्देश्य को जानने के लिए दूरस्थ विधि का उपयोग।
- (ii) दूरस्थ विधि के द्वारा अपेक्षा (सॉलिसिटेशन) एवं विक्रय; और
- (iii) संभावित ग्राहकों के द्वारा सूचना अथवा बीमा उत्पादों के विक्रय की अपेक्षा करते हुए अनुरोध।

2. दूरविपणन और दूरस्थ विपणन

बीमा व्यवसाय की अपेक्षा के प्रयोजन के लिए 'दूरविपणन' और 'दूरस्थ विपणन' करने का इच्छुक बीमा वेब-संग्राहक

क) एक 'दूरविपणनकर्ता' के रूप में पंजीकरण करवाएगा।

ख) दूरविपणन और दूरस्थ विपणन संबंधी कार्य करने के लिए इन विनियमों के विनियम 2 (ठ) में दी गई परिभाषा के अनुसार 'प्राधिकृत सत्यापक' को नियुक्त करेगा।

ग) आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण यदि अपेक्षित हो तो समर्थक दस्तावेजों सहित आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना का जाँच कर सकता है तथा आवेदक के कार्यालयों और मूलभूत संरचना का निरीक्षण भी कर सकता है।

घ) प्राधिकरण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में आवेदन पर विचार करने के बाद दूरविपणनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए बीमा वेब-संग्राहक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है, जो इस प्रकार का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा पंजीकरण की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए विधिमान्य होगा।

3. अनुपालन

बीमा वेब-संग्राहक इन अनुदेशों के अतिरिक्त, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, आईटी अधिनियम, 2000, टीआरएआई अधिनियम, 1997, दूरसंचार अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार (संशोधन) विनियम, 2008 तथा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, परिपत्रों अथवा दिशानिर्देशों, जैसा लागू हो, के सभी प्रयोज्य उपबंधों का पालन करेगा।

4. दूरविपणन के लिए बीमा वेब-संग्राहक द्वारा नियुक्त व्यक्ति :

क) 'दूरविपणन' और 'दूरस्थ विपणन' के माध्यम से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के प्रयोजन के लिए बीमा वेब-संग्राहक इन विनियमों के विनियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार केवल प्राधिकृत सत्यापक को नियुक्त करेंगे।

ख) बीमा वेब-संग्राहक अपनी ओर से नियोजित प्राधिकृत सत्यापक की भूल-चूक के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।

ग) दूरस्थ पद्धति में बीमा उत्पादों के विक्रय के लिए प्राधिकृत सत्यापक जिम्मेदार होंगे।

5. बीमाकर्ता और बीमा वेब-संग्राहक के बीच करार.

बीमाकर्ता और बीमा वेब-संग्राहक के बीच करार में अन्य वातों के साथ-साथ निम्नलिखित खंड शामिल होंगे :

क) बीमा वेब-संग्राहक सभी टेली-कॉलों के सभी रिकॉर्डिंगों का अनुरक्षण/परिरक्षण 5 वर्ष की अवधि के लिए करेगा।

ख) दूरविपणनकर्ता अपने द्वारा नियुक्त सभी प्राधिकृत सत्यापकों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन विवरण सहित उनके अभिलेख (रिकार्ड) रखेगा।

ग) दूरविपणनकर्ता प्राधिकृत सत्यापक की पहचान के प्रमाण के रूप में उसके पैन/आधार कार्ड की प्रति रखेगा।

घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत उल्लिखित अभिलेख प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

6. बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा दूरस्थ विपणन

क) बीमा वेब-संग्राहक केवल किसी विशिष्ट बीमाकर्ता के उत्पादों का प्रवर्तन नहीं करेंगे तथा एक मानक पूर्व-अपेक्षा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए वाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम उत्पाद सुझाएँगे जो संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो।

ख) प्रदर्शित किये जानेवाले तुलना वाले चार्ट अद्यतन होंगे और सही स्थिति को प्रतिविवित करेंगे।

ग) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में भुगतानों को छोड़कर बीमाकर्ता बीमा वेब-संग्राहकों को किसी भी अन्य पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेंगे। वेब संग्रहण और दूरस्थ पद्धति के द्वारा अपेक्षित और प्राप्त पॉलिसियों पर अदायगियों को छोड़कर बीमाकर्ता बीमा वेब-संग्राहकों अथवा उनके संबंधित पक्षकारों को वृनियादी संरचना अथवा अन्य कारण से किसी भी नाम (अनुसूची VII के तहत आउटसोर्सिंग गतिविधियों को छोड़कर) से कोई भुगतान नहीं करेंगे।

घ) बीमाकर्ता विशिष्ट रूप से दूरस्थ पद्धति से बीमा वेब-संग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की पहचान करेंगे तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में सभी संगत अभिलेख प्राप्त करेंगे। बीमा वेब-संग्राहक द्वारा आचरण-भंग संबंधी आरोपित उल्लंघन से संबद्ध विवाद की स्थिति में बीमाकर्ता ऐसे अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

7. प्राधिकृत सत्यापक की भूमिका:

क) दूरविपणनकर्ता प्राधिकृत सत्यापकों को नियुक्त करेंगे, केवल जिन्हें बीमा उत्पादों के विक्रय की अपेक्षा करने और निर्णय करने की अनुमति दी गई है।

ख) प्राधिकृत सत्यापक बीमा उत्पादों के विक्रय के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र के अनुसार बीमा वेब-संग्राहकों को समनुदेशित किये जाएँगे।

ग) ऐसे समनुदेशन में किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी तथा इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राधिकरण से प्राप्त किया जाएगा जिसके बिना प्राधिकृत सत्यापक को बीमा उत्पादों के विक्रय की अपेक्षा करने और निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. प्राधिकृत सत्यापक का प्रशिक्षण

क) प्रत्येक प्राधिकृत सत्यापक को प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी संस्थान में प्रशिक्षित किया जाएगा।

ख) उक्त प्रशिक्षण विनियमों, प्रकटीकरणों, व्यवसाय के नैतिक आचरण और कॉल करते समय पालन किये जानेवाले विशिष्ट अनुदेशों से संबंधित विषयों में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले पाठ्यक्रम के अनुसार होगा।

- ग) प्राधिकृत सत्यापक प्राधिकरण के द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।
- घ) बीमा वेब-संग्राहक बीमा व्यवसाय की अपेक्षा के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा नियुक्त सभी व्यक्तियों का रजिस्टर रखेंगे। इस रजिस्टर में प्राधिकृत सत्यापक के नाम और पते के अलावा, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान के सबूत और अन्य संबंधित प्रत्यय-पत्रों (क्रेडिनिशयल्स) की विधिमान्य प्रतियाँ भी होंगी। बीमाकर्ता प्रत्येक प्राधिकृत सत्यापक को एक विशिष्ट कूट संचया आवंटित करेंगे और इस संचया को इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

9. अपेक्षा की प्रक्रिया

- क) टेली-कॉलिंग के द्वारा बीमे की अपेक्षा केवल बीमा वेब-संग्राहक की वेबसाइट के माध्यम से उत्पन्न की गई अग्रताओं के आधार पर होगी।
- ख) संभावित ग्राहक बीमा वेब-संग्राहक की नामित वेबसाइट को विजिट करने के बाद निम्नानुसार कर सकता है:
- बीमा उत्पाद और उस कंपनी का चयन कर सकता है जहाँ से वह खरीदना चाहता है तथा स्पष्ट रूप से चयन करने के उपरांत प्रीमियम के लिए भुगतान करने के लिए अग्रसर हो सकता है, जिस स्थिति में जोखिम को स्वीकार करने के अधीन बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी; अथवा
 - बीमा उत्पाद का चयन कर सकता है, लेकिन बीमा कंपनी को वरीयता नहीं देता। ऐसी स्थिति में बीमा वेब-संग्राहक अग्रता अधिकतम तीन बीमाकर्ताओं को प्रेपित करता है जो प्रत्यक्ष रूप से संभावित ग्राहक का अनुसरण करते हुए अथवा अपने द्वारा नियुक्त किये गये दूर-विपणनकर्ता के माध्यम से विक्रय को समाप्त करते हैं; अथवा
 - उत्पाद और कंपनी का चयन करने में बीमा वेब-संग्राहक से सहायता माँग सकता है, जिस स्थिति में बीमा वेब-संग्राहक आवश्यकता के आधार पर बीमा उत्पाद और बीमा कंपनी के विषय में संभावित ग्राहक की सहायता कर सकता है उसको परामर्श दे सकता है
- ग) बीमा उत्पाद के विक्रय के लिए अग्रता के उत्पादन से लिये गये समय को उचित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए जो तीन महीने से अधिक न हो, जिसके बाद बीमा वेब-संग्राहक उत्पाद के विक्रय के लिए श्रेय (क्रेडिट) प्राप्त नहीं करेगा और बीमा वेब-संग्राहक को कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाएगा।
- घ) बीमा वेब-संग्राहक संभावित ग्राहक की स्पष्ट रूप से सहमति के बिना निर्गमी टेली-कॉलिंग के द्वारा संभावित ग्राहक से संपर्क नहीं करेगा। तथापि, यदि बीमा वेब-संग्राहक को संभावित ग्राहक द्वारा टेली-कॉल अथवा उत्पाद के बारे में सहायता माँगते हुए आनेवाले टेली-कॉल किये जाते हैं, तो बीमा वेब-संग्राहक तब संभावित ग्राहक को समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा।

10. मानकीकृत स्क्रिप्ट

वेबसाइट से उत्पन्न की गई अग्रताएँ निम्नलिखित मानदंडों का विशिष्ट रूप से पालन करेंगी:

- बीमाकर्ता बीमा वेब-संग्राहकों के साथ परामर्श करने के बाद दूरस्थ पद्धतियों के द्वारा बेचने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक उत्पाद के अंतर्गत लाभों, विशेषताओं और प्रकटीकरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए मानकीकृत स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। दूरस्थ पद्धति के अंतर्गत अपेक्षा मानकीकृत स्क्रिप्ट के अनुरूप होगी।
- उक्त स्क्रिप्ट उत्पाद की सभी मुख्य विशेषताओं को समाविष्ट करेंगे तथा संबंधित बीमाकर्ताओं के अनुपालन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये जाएँगे। ये स्क्रिप्ट बीमाकर्ता द्वारा 15 दिन के अंदर उत्पाद अनुमोदन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण के पास दाखिल किये जाएँगे।
- प्रत्येक स्क्रिप्ट अधिदेशात्मक तौर पर पर्यह उल्लेख करेगा कि संभावित ग्राहक को बीमाकर्ता की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत प्रॉस्पेक्टस का अवलोकन करने के लिए सूचित किया गया है तथा जहाँ भी उपलब्ध हो वहाँ यह संभावित ग्राहक को उसकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

क) परिचय

- सूचना में बीमाकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।
- यह तथ्य कि संपर्क का उद्देश्य अग्रता का उत्पादन/बीमे की अपेक्षा है, स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ब) संभावित ग्राहक की सहमति

- i) प्राधिकृत सत्यापक यह पता लगायेगा कि संभावित ग्राहक इस विषय पर संपर्क जारी रखने में रुचि रखता है अथवा नहीं, तथा अपेक्षा की प्रक्रिया केवल स्पष्ट रूप से ग्राहक की सहमति प्राप्त करने पर ही आगे बढ़ेगी।
- ii) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों की स्थिति में विषय में संपर्क आगे जारी रखने अथवा पेज से बाहर निकल जाने के लिए संभावित ग्राहक को प्रत्येक स्तर पर विकल्प दिया जाएगा। घटे जिनके दौरान कॉल किये जाते हैं, समय-समय पर टीआरएआई (ट्राईड) / दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होंगे।
- iii) टेलीफोन के माध्यम से अपेक्षा के मामले में प्राधिकृत सत्यापक का नाम प्रकट किया जाएगा तथा भाषा के उपलब्ध विकल्प अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट किये जाएँगे। उसके बाद संवाद केवल संभावित ग्राहक द्वारा चयन की गई भाषा में ही जारी रहेगा।
- iv) प्राधिकृत सत्यापक संभावित ग्राहकों को सूचित करेंगे कि कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है और यदि ग्राहक चाहता है तो पॉलिसी की अवधि के दौरान अथवा दावे का संतोषजनक निपटान होने तक, जो भी बाद में हो, किसी भी समय वॉइस कॉपी प्राप्त करने के लिए वह हकदार है।
- v) संवाद प्रारंभ करते समय प्राधिकृत सत्यापक संभावित ग्राहक को निम्नलिखित की सूचना इसी क्रम में देगा- क) वीमा वेब-संग्राहक का नाम जो संभावित ग्राहक को कॉल कर रहा है; ख) प्राधिकृत सत्यापक का नाम; ग) उत्पाद का नाम जिसे स्पष्ट किया जा रहा है; घ) वीमाकर्ता का नाम जिससे उत्पाद संबंधित है।
- vi) अपेक्षा करने के दौरान अथवा उसके बाद संभावित ग्राहकों को कोई भी असुविधा, परेशानी अथवा हानि नहीं होनी चाहिए। दूरस्थ विषयन की सभी पद्धतियों के अंतर्गत संभावित ग्राहकों को पूरी तरह प्रकटीकरण किये जाएँगे तथा गोपनीयता, व्यक्तिगतता और प्रकट न करने की आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा।

ग) संभावित ग्राहक संबंधी जानकारी

- i) संभावित ग्राहक एवं वीमाकृत किये जानेवाले व्यक्ति/वीमाकृत की जानेवाली परिसंपत्ति के संबंध में सारी संगत सूचना प्राप्त की जाएगी, तथा अपेक्षा पूर्णतः संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर होगी।
- ii) वीमा वेब-संग्राहक स्वर-प्रतिलिपि (वॉइस ट्रैस्क्रिप्ट) संभावित ग्राहक को उसकी ई-मेल आईडी पर भेजेगा जो उसके द्वारा घोषित की गई थी।

घ) उत्पाद के लाभ और विशेषताएँ

उत्पाद के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान मानकीकृत स्क्रिप्ट के अंतर्गत निम्नलिखित मद्देश शामिल होंगी :

- i) दूरस्थ अपेक्षा की सभी पद्धतियों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्येक मद के संबंध में, जैसा लागू हो, सहमत हूँ/सहमत नहीं हूँ, हाँ/नहीं, स्वीकार करता हूँ/स्वीकार नहीं करता हूँ, समझता हूँ/नहीं समझता हूँ, के रूप में संभावित ग्राहक की विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ।
- ii) सुझाये गये उत्पाद का नाम तथा उसका स्वरूप और मानदंड (पैरामीटर)।
- iii) वार्षिक प्रीमियम की एक विशिष्ट राशि के लिए उत्पाद के अंतर्गत उपलब्ध वीमा रक्षा, अथवा विलोमतः, एक विशिष्ट परिमाण की वीमा रक्षा के लिए प्रभार्य प्रीमियम।
- iv) रक्षा का विस्तार, रक्षित/अरक्षित जोखिम, अपवर्जन, कटौती-योग्य राशियाँ अथवा विशेष विक्रय अधिकार (फैन्चाइज़), सह-भुगतान, प्रीमियमों के संबंध में वृद्धि/छूट, संवर्धित रक्षा (एड-ऑन कवर), शर्तें, अन्य निवंधन और लाभ, मध्यावधि समावेशन, अल्पावधि मान, वीमाकृत राशि का आधार, वारंटियाँ, वाक्य-खंड और पृष्ठांकन, वीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीं का अनुपालन – जोखिम के प्रारंभ से पहले प्रीमियम का भुगतान आदि, जैसा लागू हो।
- v) प्राधिकरण द्वारा जैसा और जब विनिर्दिष्ट हो, तब उस प्रकार से "मुख्य विशेषताओं से युक्त दस्तावेज़" (केएफडी) की विषय-वस्तु।

vi) सभी जीवन संविदाओं और क्रेडिट/डेबिट/अन्य कार्डों से संबद्ध रक्षाओं के अंतर्गत तथा दूरस्थ पद्धति से बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली वैयक्तिक दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी संविदाओं के लिए पॉलिसी की शर्तों के साथ असहमति की स्थिति में पॉलिसी की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर पॉलिसी को निरस्त करने का अधिकार।

vii) संभावित ग्राहक के अनुरोध पर अपेक्षित उत्पाद के संबंध में उपलब्ध कमीशन की दरों का प्रकटीकरण।

11. जीवन बीमा की बिक्री के मामले में प्रीमियम की उच्चतम सीमाएँ

- (i) बीमा वेब-संग्राहक दूरविपणन पद्धति (वाइस एवं एसएमएस) से 1,50,000/- रुपये से अधिक वार्षिकीकृत प्रीमियमों के लिए एकल से इतर (तॉन-सिंगल) प्रीमियम के प्रकार वाली पॉलिसियों की अपेक्षा नहीं करेंगे।
- (ii) दूरविपणन पद्धति के द्वारा 1,50,000/- रुपये से अधिक के प्रीमियम के लिए एकल (सिंगल) प्रीमियम वाली पॉलिसियों की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

12. अपेक्षा के बाद की प्रक्रिया

संभावित ग्राहक जब एक बार पॉलिसी खरीदने के लिए सहमति देता है, तब प्रस्ताव फार्म और प्रीमियम स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा :

- (i) पॉलिसी के लिए प्रीमियम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित क्रियाविधियों और नियंत्रणों का पालन करने के अधीन ऑनलाइन अथवा पारस्परिक क्रियाशील स्वर प्रतिक्रिया माध्यम (इंटर-ऐक्टिव वॉइस रेस्पांस मीडियम) द्वारा नामे डाला जाएगा अथवा हस्तचालित वसूली के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- (ii) दूरस्थ विपणन पद्धति के द्वारा पॉलिसी बेचने की प्रक्रिया में एएमएल और पीएएन के संबंध में बीमाकर्ताओं के लिए लागू मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होगी।
- (iii) उन सभी स्थितियों में जहाँ पॉलिसी प्रत्यक्ष (फिजिकल) रूप में प्रस्ताव प्राप्त किये बिना जारी की गई हो, बीमाकर्ता पॉलिसी बांड के साथ, किये गये प्रश्नों और उनके लिए दिये गये उत्तरों के वॉइस/इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का शाविक प्रतिलेखन भी प्रेषित करेंगे जिसके आधार पर पॉलिसी का जोखिम-अंकन किया गया है।
- (iv) दूरस्थ पद्धति के द्वारा अपेक्षित/बेची गई पॉलिसियों के लिए बीमाकर्ता बिलकुल उसी फार्मेट और माध्यम में पॉलिसियाँ जारी करेंगे जैसा कि प्रत्यक्ष इंटरफ़ेस द्वारा विक्रय की स्थिति में किया जाता है।
- (v) सेवा प्रदान करने की आवश्यकता अथवा शिकायत की स्थिति में पॉलिसीधारक द्वारा जिस कार्यालय से संपर्क किया जाना चाहिए, उसका पता और निःशुल्क (टोल-फ्री) संपर्क संख्या ग्राहक को सूचित की जाएगी।
- (vi) बिक्री का निर्णय करने से पहले प्राधिकृत सत्यापक संभावित ग्राहक को अपना नाम और विशिष्ट कूट संख्या प्रकट करेगा तथा यह भविष्य में सत्यापन के प्रयोजन के लिए अभिलिखित वार्तालाप का भाग बनेगा।
- (vii) बीमा वेब-संग्राहक द्वारा किये गये प्रत्येक कॉल और भेजे गये एसएमएस, जो पॉलिसी के रूप में परिणत होता है, से संबंधित अभिलेख बिक्री का निर्णय करने से 30 दिन के अंदर बीमाकर्ता के स्थान पर अंतरित किये जाएँगे। टेलीफोन कॉलों के मामले में अंतरित किये गये अभिलेख संपूर्ण वार्तालाप के अभिलेखन (रिकार्डिंग) होंगे।

13. बीमा रक्षा का कोई अनुचित अस्वीकरण न हो

जब कोई भावी ग्राहक बीमा रक्षा के लिए प्रस्ताव करते हुए दूरस्थ पद्धति से बीमा वेब-संग्राहक से संपर्क करता है, तब बीमा वेब-संग्राहक मामले पर गुण-दोष के आधार पर तथा विनियामक निदेशों और अपने स्वयं के मानदंडों के अनुसार विचार करने के लिए कर्तव्य-बद्ध हैं। किसी भी स्थिति में वे बीमे की अपेक्षा करनेवाले भावी ग्राहक को रक्षा उपलब्ध कराने से अनुचित अस्वीकरण करने का सहारा नहीं लेंगे।

14. अभिलेखों का परिकल्पना

बीमाकर्ता और बीमा वेब-संग्राहक अग्रता के उत्पादन/अपेक्षा और बीमे की बिक्री में निर्णय के साथ प्रारंभ करते हुए समूची प्रक्रिया का, जैसा लागू हो, स्वर/इलेक्ट्रॉनिक/प्रत्यक्ष अभिलेख एक अपरिवर्तनीय और सुगमतापूर्वक पुनःप्राप्त करने योग्य रूप में, पॉलिसी की मीयाद के बाद छह महीने की अवधि के लिए अथवा दावे का संतोषजनक निपटान होने तक अथवा दस वर्ष की अवधि के लिए, जो भी बाद में हो, परिरक्षित करेंगे। डेटा की विश्वसनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संचयन हेतु स्वर और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अंकरूपण (डिजिटाइजेशन) और कोडीकरण (इन्क्रिप्शन) किया जाएगा।

15. सत्यापन की प्रक्रिया

- क. बीमा वेब-संग्राहक कॉलों की उनके घटित होते समय निगरानी, कम से कम 1% कॉल सुनने की व्यवस्था करने के द्वारा करेंगे।
- ख. बीमा वेब-संग्राहक कॉलों का अभिलेखन सुनने के लिए समर्पित कर्मचारियों की एक टीम को नियुक्त करने के द्वारा अनुपालन के लिए विक्री तक कारणभूत होनेवाले कम से कम 3% कॉलों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान की गई टिप्पणियाँ कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः प्राप्त करने योग्य रूप में परिरक्षित की जाएँगी।
- ग. बीमाकर्ता प्रति माह दूरस्थ विषयन पद्धति के द्वारा बीमा खरीदनेवाले कम से कम 3% पॉलिसीधारकों तक, विक्री की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए कॉलों का सत्यापन करेंगे। कॉलों के सत्यापन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या भावी ग्राहक ने खरीदे गये उत्पाद के लाभों, विशेषताओं और प्रकटीकरणों को सही रूप में समझा है कि नहीं। सत्यापन कॉलों का भी एक मानकीकृत स्क्रिप्ट होगा और कॉलों का अभिलेख (क) गैर-जीवन संविदाओं के मामले में पॉलिसी की तारीख से कम से कम 15 महीने तक अथवा दावे का संतोषजनक निपटान होने तक, जो भी बाद में हो, तथा (ख) जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाएगा।
- घ. उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी और विक्री की प्रत्येक पद्धति का समावेश सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त (ii) और (iii) के अंतर्गत पॉलिसियों का चयन एक यादृच्छिक तरीके (रैण्डम पैटर्न) से किया जाएगा।

16. अनुपालन का प्रमाणीकरण

प्रत्येक बीमा वेब-संग्राहक का प्रधान अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इस बात की पुष्टि करते हुए प्राधिकरण को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि बीमा वेब-संग्राहक ने वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त अनुदेशों (पैरा 8 से 12 तक) के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

17. विवाद

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बीमे की संविदा के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि इसमें केएफडी की विषय-वस्तु और उत्पाद के संबंध में संभावित ग्राहक को कॉलों के अभिलेख शामिल किये गये हैं। पॉलिसी की विशिष्ट वाक्यरचना/शब्दावली को संबद्ध करनेवाले विवादों के मामले में ग्राहक को पॉलिसी की विशिष्ट वाक्यरचना/शब्दावली की तुलना में केएफडी की वाक्यरचना/शब्दावली और कॉलों को प्रमुखता देने का अधिकार होगा।

अनुसूची VII

फार्म यू

[विनियम 2(ज) और 30 देखें]

1. बीमा संबंधी आउटसोर्सिंग सेवाएँ जो बीमा वेब-संग्राहकों के द्वारा की जा सकती हैं

- क. यहाँ इसके नीचे उल्लिखित कार्यकलापों का आउटसोर्सिंग बीमाकर्ताओं के विवेकाधीन होगा। तथापि, यह दुहराया जाता है कि सेवाओं का निष्पादन बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले मुख्य कार्यकलाप के रूप में रहेगा।
- ख. बीमाकर्ताओं और बीमा वेब-संग्राहकों के बीच आउटसोर्सिंग संबंध बीमाकर्ता और बीमा वेब-संग्राहक के बीच लिखित संविदाओं द्वारा नियंत्रित होंगे जिनमें सेवाओं के लिए प्रभारों, सभी पक्षकारों के अधिकारों, जिम्मेदारियों और प्रत्याशाओं सहित आउटसोर्सिंग व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा।

2. कार्यकलाप जिन्हें बीमाकर्ता द्वारा बीमा वेब-संग्राहक को आउटसोर्स किया जा सकता है

बीमा वेब संग्राहक दूर-विषयन और दूरस्थ विषयन पद्धतियों के माध्यम से बीमाकर्ताओं की ओर से आउटसोर्सिंग कार्यकलाप कर सकता है।

अनुसूची VII

फार्म वी

[विनियम 32 देखें]

बीमा वेब-संग्राहकों के दायित्व

बीमा वेब-संग्राहक के निम्नलिखित दायित्व होंगे--

- क) प्राधिकरण से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र और पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता का विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।
- ख) उन बीमाकर्ताओं के नाम प्रमुख रूप से वेबसाइट के होम पेज में प्रदर्शित करेगा जिनके साथ अग्रताओं को सौंपने के लिए उसने करार किया हो।
- ग) सूचना के लिए उपलब्ध उत्पादों की सूची अपनी नामित वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।
- घ) विशिष्ट सूचना प्रदर्शित करेगा कि उसकी वेबसाइट में विजिट करनेवाले संभावित ग्राहकों का विवरण बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा करने के प्रयोजनों के लिए बीमाकर्ताओं के साथ साझा किया जाएगा।
- ङ) जब तक प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त न हो, तब तक अपनी नामित वेबसाइट पर किसी भी अन्य पक्षकार की सेवाओं अथवा उत्पादों का प्रवर्तन नहीं करेगा।
- च) जब तक प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त न हो, तब तक बीमा वेब-संग्राहक की वेबसाइट पर अपने ग्राहकों का विपथन करने के लिए किसी भी अन्य पक्षकार को अनुमति नहीं देगा।
- छ) दूरविपणन कार्यकलाप करने के इच्छुक बीमा वेब- संग्राहक को चाहिए कि वह दूरविपणनकर्ता के रूप में पंजीकरण करवा ले।
- ज) एक प्रभावी अग्रता प्रवंध प्रणाली का अनुरक्षण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि एलएमएस प्रणाली के माध्यम से अग्रताओं को दर्ज किया जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी।
- झ) बीमाकर्ता के साथ किये गये करार के अंतर्गत अपने कार्यकलापों के अभिलेखों और रिपोर्टों का अनुरक्षण उस तरीके से करेगा जो बीमाकर्ता और बीमा वेब-संग्राहक के बीच किये गये करार में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- ञ) अपने कर्मचारियों के साथ (चाहे उनका पदनाम कोई भी हो) अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अन्य नियमों के सभी उपबंधों का पालन करेगा।
- ट) स्वयं अथवा अपने कर्मचारियों अथवा प्रवर्तकों के माध्यम से विनियम 30 में विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक को छोड़कर बीमाकर्ता से कोई अन्य भुगतान स्वीकार नहीं करेगा।

अनुसूची VIII

फार्म डब्ल्यू

[विनियम 32 देखें]

बीमा वेब-संग्राहक के लिए आचरण-संहिता

- क) ग्राहक-संबंध से संबंधित मामलों में आचरण -

प्रत्येक बीमा वेब-संग्राहक :

- i) हर समय अपने संभावित ग्राहकों से सर्वाधिक सद्भावना और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;
- ii) सावधानी और कर्मठता के साथ कार्य करेगा;
- iii) भावी ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी सूचना को पूर्णतः अपने तक और उन बीमाकर्ता(ओं) तक गोपनीय रखेगा जिन्हें व्यवसाय का प्रस्ताव किया जा रहा हो;
- iv) अपने कब्जे में स्थित गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा;

- v) जिस ग्राहक के साथ वह व्यवहार कर रहा है, उसके प्रकार को तथा जोखिम और बीमे के संबंध में ग्राहक की जानकारी की सीमा को समझेगा;
- vi) हितों के संघर्ष से बचेगा।
- ख) शिकायतों पर कार्रवाई से संबंधित आचरण –
- प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक :-
- i) शिकायतों को दर्ज करने और उनपर निगरानी रखने के लिए अपने पास एक प्रणाली रखेगा।
 - ii) यह सुनिश्चित करेगा कि वेबसाइटों में शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने की क्रियाविधियों का विवरण निहित होगा तथा शिकायतकर्ता को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;
 - iii) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों से किसी भी रूप में, लिखित में/ फोन से/फैक्स से/ईमेल से/संदेश आदि के द्वारा शिकायत मिलने की प्राप्ति-सूचना तत्परतापूर्वक दी जाएगी तथा इस प्रकार की शिकायत की प्राप्ति की तारीख से किसी भी हालत में पाँच कार्य-दिवसों के अंदर पावती दी जाएगी;
 - iv) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत का समाधान ग्राहक की अधिकतम संतोष के अनुरूप किया जाएगा;
 - v) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत के समाधान के संबंध में शिकायतकर्ता को जवाबी पत्र भेजे जाएँगे तथा शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा कि उसके लिए आगे समाधान की उपलब्ध प्रक्रिया क्या है;
 - vi) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों पर उचित रूप से मुख्य प्रबंधन अधिकारी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
- ग) विज्ञापन से संबंधित मामलों में आचरण-
- प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि नामित वेबसाइट में उपर्युक्त विनियम 31 के अंतर्गत निपिछ्व कोई भी विज्ञापन अथवा कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी।
- घ) पारिश्रमिक की प्राप्ति से संबंधित मामलों में आचरण – प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक यदि वीमाकृत व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जाता है तो पारिश्रमिक की राशि अथवा उस ग्राहक के लिए वीमा लागू करने के परिणामस्वरूप प्राप्ति की जानेवाली अन्य पारिश्रमिक की राशि प्रकट करेगा।
- इ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों से संबंधित आचरण –
- प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक :
- i) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका स्टाफ इस संहिता द्वारा उनसे प्रत्याशित मानकों को जानता है और उनका पालन करता है;
 - ii) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ सक्षम और उपयुक्त हैं तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है;
 - iii) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्टाफ द्वारा दिये गये परामर्श की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रणाली विद्यमान है;
 - iv) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ के सदस्य अपने कार्यकलापों को प्रभावित करनेवाले ऐंसी के कानून सहित कानूनी अपेक्षाओं के जानकार हैं; तथा वे केवल उन्हीं श्रेणियों के व्यवसाय को संभालेंगे जिनमें वे सक्षम हैं;
 - v) अधिनियम की धारा 41 की ओर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करेगा जो कमीशन में छूट और हिस्सेदारी को प्रतिबंधित करती है।
 - vi) प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक ऐसे प्रत्येक कार्यालय में जहाँ वह व्यवसाय का संचालन कर रहा है तथा जहाँ जनसाधारण के लिए प्रवेश है, इस आशय की सूचना प्रदर्शित करेगा कि अनुरोध करने पर आचरण-संहिता की प्रति उपलब्ध है तथा जनता का कोई भी सदस्य कोई शिकायत करना चाहता है अथवा किसी विवाद में समाधान के लिए प्राधिकरण की सहायता की अपेक्षा करता है, तो वह प्राधिकरण को लिख सकता है।
 - vii) प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक प्राधिकरण को ऐसे फार्मेट में विवरणियाँ ऐसी अवधि की समाप्ति से 15 दिन के अंदर अथवा ऐसे समय के अंदर प्रस्तुत करेगा जिस प्रकार से प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाएगी और विनिर्दिष्ट की जाएगी।

अनुसूची IX

फार्म एक्स

[विनियम 33 देखें]

अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

1. सूचना के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण अथवा निलंबन-

क) किसी बीमा वेब-संग्राहक का पंजीकरण प्रमाणपत्र उचित सूचना और उसको अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर देने के बाद निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है यदि वह-

- i) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है;
- ii) अनुसूची VIII के फार्म वी में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा वेब-संग्राहकों के दायित्वों के अनुसार कार्य नहीं करता तथा इन विनियमों की अनुसूची VI के फार्म टी में विनिर्दिष्ट रूप में दूरविपणन और दूरस्थ विपणन कार्य संचालित नहीं करता;
- iii) इन विनियमों की अनुसूची VIII के फार्म डब्ल्यू में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का पालन नहीं करता;
- iv) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करता है; अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है या प्रकट नहीं करता;
- v) प्राधिकरण द्वारा की गई अपेक्षानुसार बीमा वेब-संग्राहक के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता अथवा गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करता है अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि के दौरान प्राधिकरण से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है या प्रकट नहीं करता;
- vi) प्राधिकरण की अपेक्षानुसार आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता;
- vii) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी निरीक्षण अथवा जाँच में सहयोग नहीं करता;
- viii) पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान नहीं करता अथवा इस संबंध में प्राधिकरण को संतोषजनक उत्तर नहीं देता;
- ix) किसी संभावित ग्राहक अथवा संभावित ग्राहक के किसी भी निदेशक अथवा अन्य कर्मचारियों अथवा परिचयकर्ता के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति को छोड़ें अथवा नकद या वस्तु रूप में प्रलोभन देने में लिप्त हैं;
- x) इन विनियमों के विनियम 13 के अंतर्गत अपेक्षित शुल्क, लगाये गये दंड अथवा व्ययों की प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं करता;
- xi) इन विनियमों के विनियम 8 के उपबंधों के अनुसार पूँजीगत और निवल मालियत (नेट-वर्थ) की अपेक्षाओं का अनुरक्षण नहीं करता;
- xii) यदि प्रधान अधिकारी विनियम में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं करता;
- xiii) यदि बीमा वेब-संग्राहक भ्रमजनक कॉलों अथवा अप्रामाणिक छल-कपटपूर्ण कॉलों से स्वयं अथवा कॉल सेटरों के माध्यम से व्यवसाय की अपेक्षा करने में लिप्त है;
- xiv) कदाचार का दोषी पाया जाता है अथवा उनका आचरण अनुसूची VIII के फार्म डब्ल्यू में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अनुसार नहीं है, जो भी लागू है;
- xv) विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता;

घ) उन परिस्थितियों में जहाँ प्राधिकरण यह महसूस करता है कि वीमा वेब-संग्राहक की स्थापना केवल कंपनियों के समूह अथवा उनकी सहयोगी संस्थाओं के अंदर निधियों का विपथन करने के लिए है, वह अपने द्वारा की गई उचित जाँच के बाद वीमा वेब-संग्राहक को प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है।

ग) वीमा वेब-संग्राहक जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र उचित सूचना और उसे अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर देने के बाद निलंबित किया जाता है, ऐसे निलंबन आदेश की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय तक जब उक्त निलंबन को वापस नहीं लिया जाता, वीमा वेब-संग्राहक के किसी ऐसे नये व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेगा अथवा वीमा वेब-संग्राहक का कोई ऐसा अन्य कार्य नहीं करेगा जिसके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

घ) यदि तथ्यों, आंकड़ों, परिस्थितियों और अन्य पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि वीमा वेब-संग्राहक द्वारा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है/उनका अतिक्रमण किया गया है तो प्राधिकरण पॉलिसीधारकों के हित में ऐसे उल्लंघनों/अतिक्रमणों के लिए वीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण/निलंबन करने के बदले उस पर वित्तीय दंड लगाने के संबंध में विचार कर सकता है।

2. सूचना दिये बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण अथवा निलंबन – वीमा वेब- संग्राहक का पंजीकरण प्रमाणपत्र सूचना दिये बिना निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है, यदि वह-

- (क) धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया है अथवा दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है;
- (ख) ऐसी चूंके करता है जिनके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने निरस्तीकरण के लिए कारण लिखित में सूचित कर दिये हों;
- (ग) उसने पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद छह महीने के अंदर कारोबार प्रारंभ नहीं किया है।
- (घ) अनुसूची VIII के फार्म डब्ल्यू में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अंतर्गत एक अथवा उससे अधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है, जो भी लागू हो;
- (ङ) यदि वीमा वेब-संग्राहक का पंजीकरण प्रमाणपत्र सूचना दिये बिना निलंबित किया जाता है, तो इस प्रकार का पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार जाँच नहीं की जाती।
- (च) वीमा वेब-संग्राहक जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र सूचना दिये बिना निलंबित किया जाता है, ऐसे निलंबन आदेश की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय तक जब उक्त निलंबन को वापस नहीं लिया जाता, वीमा वेब-संग्राहक के किसी ऐसे नये व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेगा अथवा वीमा वेब-संग्राहक का कोई ऐसा अन्य कार्य नहीं करेगा जिसके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

3. निलंबन अथवा निरसन के पहले जाँच आयोजित करने की विधि- इन विनियमों के अंतर्गत जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है;

- (क) जाँच अधिकारी ऐसी जानकारी जो वह जाँच के संचालन के लिए आवश्यक समझता है, माँगते हुए वीमा वेब-संग्राहक को उसके पंजीकृत कार्यालय अथवा उसके व्यवसाय के प्रधान स्थान पर, जैसी स्थिति हो, एक नोटिस जारी करेगा।
- (ख) वीमा वेब-संग्राहक ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर ऐसे दस्तावेजी अथवा अन्य साक्ष्य, जिसपर वह निर्भर है अथवा जो जाँच अधिकारी द्वारा माँगा गया है, की प्रतिलिपियों के साथ एक उत्तर जाँच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;
- (ग) जाँच अधिकारी वीमा वेब-संग्राहक को सुनवाई का एक उचित अवसर देगा ताकि वह अपने द्वारा दिये गये उत्तर के समर्थन में प्रस्तुतीकरण कर सके;
- (घ) वीमा वेब-संग्राहक या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा अपने द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से मामला प्रस्तुत कर सकता है;

(ङ) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने एक अधिकारी के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करें;

(च) यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जाँच अधिकारी जाँच के दौरान बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य संबंधित संस्था से प्रतिसूचना/जानकारी माँग सकता है।

(छ) जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और बीमा वेब-संग्राहक द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखने के बाद जाँच की कार्यवाही के समाप्त के 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4. निलंबन के आदेश का प्रकाशन -- (1) विनियम 32 के अधीन किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन का आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा, ताकि निलंबित बीमा वेब-संग्राहक द्वारा नये व्यवसाय का पंजीकरण बीमाकर्ताओं द्वारा तत्काल रोका जा सके।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन की तारीख को और उस तारीख से बीमा वेब-संग्राहक, बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा।

5. प्राधिकरण को नये सिरे से आवेदन करने की क्रियाविधि, जहाँ प्राधिकरण ने पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त किया हो अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण को अस्वीकृत किया हो

क. उन मामलों में बीमा वेब-संग्राहक नये सिरे से पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है, जहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण किया गया हो और/या पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण को अस्वीकृत किया गया हो तथा इस प्रकार नया आवेदन वह प्राधिकरण के ऐसे निर्णय की तारीख से बारह महीनों की अवधि के बाद ही कर सकता है। इसके अलावा, यदि प्राधिकरण का निर्णय किसी मुकदमे में मान्य ठहराया गया है तो आवेदन पर न्यायालय के अंतिम निर्णय की तारीख से 12 महीनों के बाद विचार किया जाएगा।

ख. अभ्यर्पण अथवा अनुशासनिक कार्रवाई के कारण जिस कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त किया गया हो (अथवा नवीकरण अस्वीकृत किया गया हो) उस कंपनी द्वारा बीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए नये सिरे से प्रस्तुत किया गया आवेदन निम्नलिखित एक या उससे अधिक को संबद्ध करते हुए उचित सावधानी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद स्वीकार किया जाएगा :

- i. पिछले विनियामक उल्लंघनों की गंभीरता
 - ii. बीमा वेब-संग्राहक का एलएमएस मॉडल और वर्तमान बुनियादी संरचना की व्यवस्था
 - iii. वर्षों से कारोबार की निरंतरता
 - iv. विभिन्न बीमा कंपनियों/ग्राहकों द्वारा बीमा वेब-संग्राहक के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायतें
 - v. उचित सावधानी और वर्तमान व्यवसाय का पिछला रिकार्ड
 - vi. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित आवेदन के साथ प्राप्त अन्य जानकारी
 - vii. प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश अथवा दिशानिर्देश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य विषय
- ग. प्राधिकरण आवेदन की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा तथा उक्त समिति की सिफारिश के आधार पर नवीकरण को निरस्त करने/पंजीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

अनुसूची X

फार्म वाई

[विनियम 39 देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के लिए दस्तावेज

- i) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख की स्थिति के अनुसार आवश्यक शुल्क अदा किया गया है
- ii) पंजीकरण के अभ्यर्पण के लिए कारण दर्ज करनेवाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि

- iii) प्रधान अधिकारी से पुष्टीकरण कि पंजीकरण के अभ्यर्पण के लिए उनके अनुरोध की तारीख से कोई भी नया व्यवसाय नहीं रखा जाएगा।
- iv) वैध पंजीकरण/ पंजीकरण प्रमाणपत्र का मूल प्रमाणपत्र
- v) वर्तमान ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी के निदेशकों से एक वचनपत्र, जिनकी पॉलिसियाँ छह महीने की अवधि के लिए प्रचलित हैं जिस अवधि के अंदर किसी अन्य पंजीकृत वीमा वेब-संग्राहक द्वारा संविदाओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आपके द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
- vi) कंपनियों के रजिस्ट्रार को अधिसूचित करना और जानकारी देना तथा एमओए/ एओए के मुख्य उद्देश्यों को हटाने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उनकी अपेक्षाओं का पालन करना अथवा कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास अपंजीकृत (डीरजिस्टर) करने के लिए उठाये गये कदमों का प्रमाण प्रस्तुत करना। (अगर संलग्न है तो संदर्भ लिखें)
- vii) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए दावों, व्यवसायिक प्रीमियम से संबंधित सांख्यिकी प्रस्तुत करना।
- viii) कंपनी की जानकारी में आई प्रत्येक घटना का विवरण उपलब्ध कराना, जहाँ आपकी कंपनी ग्राहकों को क्षतिपूर्ति अथवा हर्जाना अदा करने के लिए बाध्य हो सकती है, यह बताया जाए कि क्या व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बांड द्वारा वीमारक्षा प्राप्त है अथवा नहीं, तथा निम्नलिखित सूचना दी जाएः
 - क) घटना की अवधि की तारीख।
 - ख) संबंधित ग्राहक का नाम।
 - ग) घटना का स्वरूप जो दावा उत्पन्न करने की संभावना से युक्त हो।
 - घ) दावे के आधार का संक्षिप्त विवरण।
 - ड) दावे की सूचित अथवा अनुमानित राशि।
 - च) दावे के लिए वीमा वेब-संग्राहक द्वारा अपनी बहियों में की गई व्यवस्था की राशि।
 - छ) दावे की वर्तमान स्थिति।
 - ज) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

अनुसूची XI

फार्म जेड

[विनियम 36 देखें]

बीमाकर्ताओं के दायित्व

- क) बीमाकर्ता वीमा वेब-संग्राहकों को विनियम 30 में निर्धारित रूप के अलावा और कोई शुल्क अथवा पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, अदा नहीं करेंगे।
- ख) बीमाकर्ता वीमा वेब-संग्राहकों को दूसरे वर्ष से लेकर और परवर्ती वर्षों के लिए देय किसी भी प्रकार के नवीकरण प्रीमियम/पॉलिसी के संबंध में कोई भी शुल्क अथवा पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, अदा नहीं करेगा।
- स्पष्टीकरण: साधारण वीमा और स्वास्थ्य वीमा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि वार्षिक वीमा पॉलिसियों, जैसे मोटर वीमा, स्वास्थ्य वीमा और अन्य इसी प्रकार की पॉलिसियों पर नवीकरण कमीशन देय है, वशर्ते कि वीमा पॉलिसियों का नवीकरण किसी क्रमबंग के किया जाए।
- ग) बीमाकर्ता वेब संग्रहण अथवा उत्पाद/कीमत की तुलना में लिस ऐसी वेबसाइट का स्वामित्व रखनेवाले/अनुरक्षण करनेवाले किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई शुल्क अथवा पारिश्रमिक अदा नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, जिसका अनुमोदन इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया हो।

- घ) वीमाकर्ता वीमा वेब-संग्राहक को अग्रिम के रूप में कोई भुगतान, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, नहीं करेगा।
- ङ) वीमाकर्ता वीमा वेब-संग्राहक के साथ करार की समाप्ति के बाद किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेगा।
- च) वीमाकर्ता वीमा वेब-संग्राहक को प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के समाप्त होने के बाद कोई पारिश्रमिक अदा नहीं करेगा।
- छ) वीमाकर्ता वीमा वेब-संग्राहक की अग्रता प्रबंध प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक वीमा वेब- संग्राहक से प्राप्त अग्रताओं/डेटा के अभिलेख, इस प्रकार प्राप्त अग्रताओं/डेटा में से बेची गई पॉलिसियों का विवरण और किये गये भुगतानों के संबंध में सूचना प्राप्त करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।
- ज) वीमाकर्ता प्राधिकरण को इन विनियमों के विभिन्न खंडों में उल्लिखित अभिलेख तथा जब भी कहा जाएगा तब इन विनियमों के प्रयोजन के लिए संबंधित रूप में अपने कार्यकलापों की रिपोर्टें, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेगा।
- झ) वीमाकर्ता करार में विनिर्दिष्ट रूप में समय-सीमा के अंदर वीमा वेब-संग्राहकों के साथ उत्पादों की सूचना और प्रीमियम दरों की साझेदारी करेंगे तथा इस प्रकार साझेदारी की गई जानकारी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उत्पाद के सदृश होगी।
- ज) वीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि यदि वीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दो या उससे अधिक बार संभावित ग्राहक के नामे डाला जाता है, तो संभावित ग्राहक को शीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में लेनदेन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर उसका प्रीमियम लौटाया जाएगा।

अनुसूची XII

फार्म एए

[विनियम 8(बी) देखें]

विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ईंक्रिटी पूँजी के परिकलन की विधि

- (1) अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए,
- क. भारतीय प्रवर्तक, भारतीय निवेशक और विदेशी निवेशक का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के (भारतीय वीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में दिया गया है।
- ख. भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए भारतीय प्रवर्तक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित रूप में होगा, जो उस अधिनियम की धारा 2(87) में परिभाषित रूप में एक सहायक संस्था नहीं है तथा उस प्रवर्तक कंपनी में सभी विदेशी निवेशकों द्वारा धारित निवेश की सीमा भी प्रस्तुत करेगा।
- ग. आवेदक कंपनी में एक या उससे अधिक विदेशी निवेशकों द्वारा ईंक्रिटी शेयरों की धारिता का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा और यह निम्नलिखित का कुल योग होगा:-
- i. आवेदक कंपनी में विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों सहित, विदेशी निवेशकों द्वारा धारित प्रदत्त ईंक्रिटी शेयर पूँजी की मात्रा; और
- ii. इस फार्म के उप-खंड (क) में उल्लिखित रूप में भारतीय प्रवर्तक (प्रवर्तकों) अथवा भारतीय निवेशक (निवेशकों) में ऐसे विदेशी निवेशक (निवेशकों) द्वारा स्वयं अथवा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से धारित अथवा नियंत्रित प्रदत्त ईंक्रिटी शेयर पूँजी का अनुपात बर्शर्टे कि खंड (ii) किसी भारतीय प्रवर्तक अथवा भारतीय निवेशक के लिए लागू नहीं होगा अर्थात् :
- (i) वैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धारा (ग) में यथापरिभाषित वैंकिंग कंपनी, परंतु भारत में कार्यरत कोई विदेशी बैंक या उसकी शाखा इसमें शामिल नहीं है;
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(72) में यथापरिभाषित एक सरकारी वित्तीय संस्था;

- (2) प्रत्येक वीमा वेब-संग्राहक, जिसे अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया हो, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर प्रवर्तक की प्रदत्त पूँजी के 10% से अधिक होनेवाले परिवर्तन निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- (3) तथापि, प्रवर्तकों की प्रदत्त पूँजी के 25% से अधिक किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को तत्काल दी जाएगी।

अनुसूची XII

फार्म एडी

[विनियम 8(डी) देखें]

शेररों का अंतरण

1) अंतरण का पंजीकरण

किसी वीमा वेब-संग्राहक के शेररों के अंतरण अथवा ईंकिटी पूँजी के निर्गम का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जहाँ :

- क. अंतरण के बाद वेब-संग्राहक के शेररों में अंतरिती (ट्रांसफरी) की कुल प्रदत्त धारिता उसकी प्रदत्त पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो; अथवा
- ख. किसी व्यक्ति अथवा समूह, समूह के घटक अथवा एक ही प्रबंधन के अंतर्गत निगमित निकाय द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से अंतरित किये जाने के लिए उद्दिष्ट शेररों का अभिहित (नॉमिनल) मूल्य वेब-संग्राहक की प्रदत्त पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक हो जब तक कि उपर्युक्त अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो

2) अंतरण के लिए आवेदन

प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन फार्म एसी में किया जाएगा। आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएँगे और फार्म एडी में विनिर्दिष्ट किये गये रूप में अंतरिती का पूरा विवरण दिया जाएगा, उसकी वित्तीय सुदृढता, निधियों के स्रोत जहाँ से प्रस्तावित निवेश करने का उद्देश्य है तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

3. हितकारी शेररधारिता की घोषणा

शेररों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तावित शेररधारकों से एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि क्या शेरर धारित करने का प्रस्ताव अपने स्वयं के लिए है या एक नामिती के रूप में, क्या संयुक्त रूप से है अथवा पृथक् रूप से, अथवा दूसरों की ओर से तथा ऐसी स्थिति में हिताधिकारी स्वामी या स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता एवं प्रत्येक के संबंध में लाभकारी हित की सीमा निर्दिष्ट की जाएगी।

4. उचित सावधानी

विनियमों के अधीन शेररों के अंतरण के पंजीकरण के लिए अथवा प्रस्तावित अंतरिती को शेररों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्राधिकरण प्रस्तावित अंतरण के संबंध में अपेक्षित उचित सावधानी संचालित करेगा।

5. अनुमोदन के लिए शर्तें

भारतीय प्रवर्तक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में वेब-संग्राहक में शेरर धारित करेंगे वशर्ते कि प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान करते समय अपने द्वारा उपर्युक्त समझे गये रूप में ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनमें निम्नलिखित शर्तें शामिल होंगी, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

- क. न्यूनतम अवरुद्धता (लॉक-इन) अवधि
- ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीमा कंपनी हर समय निवल मालियत (नेट-वर्थ) की अपेक्षाओं का पालन करती है, आवधिक अंतरालों पर उसकी शेररधारिता के अनुपात में अथवा अन्य प्रकार से अतिरिक्त पूँजी लगाना; और
- ग. प्रवर्तकों पर यदि कोई विनियामक शर्तें लागू की गई हों, तो उन सभी का पालन।

6. विदेशी निवेशक

विदेशी निवेशक वेब-संग्राहक में शेरर इस संबंध में जारी किये गये नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार धारित करेंगे। वर्तमान का प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करते समय ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकता है जो वह उपयुक्त समझेगा जिनमें निम्नलिखित शर्तें शामिल होंगी, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

- क. न्यूनतम अवरुद्धता (लॉक-इन) अवधि
- ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीमा कंपनी हर समय निवल मालियत (नेट-वर्थ) की अपेक्षाओं का पालन करती है, आवधिक अंतरालों पर उसकी शेररधारिता के अनुपात में अथवा अन्य प्रकार से अतिरिक्त पूँजी लगाना; और
- ग. प्रवर्तकों पर यदि कोई विनियामक शर्तें लागू की गई हों, तो उन सभी का पालन।

7. भारतीय निवेशकों के संबंध में उच्चतम सीमा

विदेशी निवेशकों को छोड़कर अन्य निवेशक किसी वीमा कंपनी में शेरर निम्नलिखित शर्तों के अधीन धारित करेंगे:

- क. जहाँ वेब-संग्राहक के संबंध में एक या उससे अधिक निवेशक हों, वहाँ कोई भी निवेशक ऐसे वेब-संग्राहक की प्रदत्त ईक्सिटी पूँजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेंगे।
- ख. ऊपर (क) में निर्दिष्ट रूप में सभी निवेशक संयुक्त रूप से वेब-संग्राहक की प्रदत्त ईक्सिटी शेरर पूँजी के पञ्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेंगे।
- ग. जबकि एक वेब-संग्राहक में एक निवेशक अन्य वेब-संग्राहकों में निवेशक हो सकता है, वहाँ वह एक से अधिक वेब-संग्राहकों में प्रवर्तक नहीं हो सकता।

अनुसूची XII

फार्म एसी

[विनियम 8(डी) देखें]

वीमा वेब-संग्राहक में शेररों के अंतरण की अपेक्षा करते हुए आवेदन

1. भारतीय वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के अनुसार _____ (वीमा वेब-संग्राहक का नाम) को वेब-संग्रहण व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. _____ (दिनांक) _____ को प्रदान किया गया है।
2. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के समय उक्त वीमा कंपनी की शेररधारिता निम्नानुसार थी

क्रम सं.	प्रवर्तक/ शेररधारक	धारित शेररों की संख्या	कुल शेरर-धारिता का प्रतिशत	अवरुद्धता (लॉक-इन) अवधि (वर्षों की संख्या)	अवरुद्धता अवधि समाप्त होने की तारीख
	1.				
	2.				
	3.				

3. उक्त वीमा वेब-संग्राहक के पंजीकरण के बाद, शेरर प्रवर्तकों/निवेशकों प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र सं. दिनांक (जहाँ लागू हो) के अनुसार

अनुमोदन प्रदान करने के बाद के नाम अंतरित किये गये।

उपर्युक्त शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय, प्राधिकरण ने निम्नानुसार प्रस्तुत किये गये विवरण के अनुसार पदधारी अंतरिती (अंतरितियों) पर एक अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) की शर्त लगाई।

क्रम सं.	प्रवर्तक/शेयरधारक	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर-धारिता का प्रतिशत	अवरुद्धता (लॉक-इन) अवधि (वर्षों की संख्या)	अवरुद्धता अवधि समाप्त होने की तारीख

4. उक्त (बीमा वेब-संग्राहक का नाम) इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के विनियम 8(घ) के अनुसार नीचे दिये गये ब्योरे के मुताबिक (i) प्रवर्तक (प्रवर्तकों) / निवेशक (निवेशकों) द्वारा धारित शेयरों के अंतरण के पंजीकरण और/ या (ii) निजी स्थानन के माध्यम से अधिमानी आधार पर शेयरों के आवंटन के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करता है:

क्रम सं.	वर्तमान प्रवर्तक/शेयरधारक	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर-धारिता का प्रतिशत	नये प्रवर्तक/शेयरधारक	अंतरण/आवंटन के बाद धारित शेयरों की संख्या	अंतरण/आवंटन के बाद शेयरधारिता का प्रतिशत

प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद हम कंपनी विधियों और लागू किन्हीं अन्य शर्तों सहित, परंतु इन्हीं तक असीमित सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

स्थान:

दिनांक:

(हस्ताक्षर)

प्रधान अधिकारी

(बीमा वेब-संग्राहक का नाम)

अनुलग्नक: फार्म ए डी

अनुसूची XI

फार्म एडी

[विनियम 8(बी) देखें]

शेररों के अंतरण के आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज और अंतरिती का विवरण

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	प्रस्तावित अंतरिती का नाम: (प्रस्तावित अंतरिती का नाम और पता एवं पूरा विवरण)	
2.	कानूनी रूप/स्थिति	व्यक्ति/ एलएलपी/ भागीदारी फर्म/ कॉर्पोरेट संस्था/ सहकारी समिति/ बैंक/ वित्तीय संस्था/ कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
3.	संस्थापन की संख्या और दिनांक: (व्यक्ति के मामले में जन्मतिथि)	
4.	आयकर अधिनियम के अधीन स्थायी खाता संख्या और आयकर मंडल का नाम और पता	
5.	(क) अंतरिती की स्थिति:	निवेशक/ प्रवर्तक
	(ख) क्या निवेशक और/ या प्रवर्तक या उसकी सामूहिक कंपनी भी बीमा मध्यवर्ती में शेयरधारक हैं (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
	(ग) क्या निवेशक और/या प्रवर्तक या उसकी समूह कंपनी की किसी अन्य बीमा कंपनी में शेयरधारिता है (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
6.	प्रस्तावित अंतरिती का सहमति पत्र (कॉर्पोरेट संस्था के मामले में अधिग्रहण का अनुमोदन करनेवाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रति संलग्न करें)	
7.	संबंधित अधिकार-क्षेत्र/ सेक्टर द्वारा आवश्यक अनुमोदनों की प्रतियाँ (जैसा लागू है)	
8.	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अधीन आवश्यक अनुमोदन की प्रतियाँ	
9.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुमोदन, यदि कोई हो, की प्रतियाँ	
10.	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली सभी शर्तों के पालन की पुष्टि करनेवाला प्रस्तावित अंतरिती का सहमति पत्र	
11.	संशोधित शेयरधारिता के स्वरूप पर चिंताएँ, यदि कोई हों, निर्दिष्ट करती बीमा कंपनी से पुष्टि (केवल	

	असूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में लागू)	
12.	शेयर जारी करने की अपेक्षा करनेवाला आवेदक कंपनी के बोर्ड का संकल्प, यदि लागू हो	
13.	<p>योग्य और उपयुक्त</p> <p>क. प्रस्तावित अंतरिती के विरुद्ध की गई/ लंबित दीवानी/ आपराधिक/ विनियामक कार्रवाई का विवरण देते हुए घोषणा</p> <p>ख. क्या अंतरिती या अंतरिती के निदेशकों को कभी कोई विनियमित वित्तीय कारोबार करने के लिए लाइसेंस या प्राधिकार देने से अस्वीकृत (या रद्द किया था) किया गया है (यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण दें)</p> <p>ग. किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय द्वारा की गई निंदा अथवा अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण</p> <p>घ. क्या किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या संगठन की कभी जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ निदेशक और प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हैं (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)</p>	
14.	बीमा कंपनी के साथ विद्यमान/ करने हेतु प्रस्तावित किसी करार का विवरण	
15.	हितकारी स्वामित्व के लिए घोषणा: अंतरिती के द्वारा एक घोषणा कि क्या वह शेयर अपने हित के लिए धारित करना चाहता है अथवा एक नामिती के रूप में, क्या संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से, क्या दूसरों की ओर से, ऐसा होने पर नाम निर्दिष्ट करें। हितकारी स्वामी या स्वामियों का व्यवसाय और पता, एवं प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा।	
16.	"भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित "के उपबंधों का अनुपालन (कृपया इस पर एक संक्षिप्त नोट संलग्न करें)	
17.	प्रस्तावित अंतरिती से संबंधित दस्तावेज (जैसा लागू हो)	<p>क. संस्था के वहिनियम और संस्था के अंतर्नियम</p> <p>ख. निदेशकों की सूची</p> <p>ग. शेयरधारिता का स्वरूप/ भागीदारों का विवरण</p> <p>घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक</p>

	<p>ड. पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरण</p> <p>च. पृष्ठभूमि, वित्तीय सुदृढता, आदि के बारे में संक्षिप्त नोट</p> <p>छ. पिछले पाँच वर्षों के लिए आयकर विवरण</p> <p>ज. अन्य संस्थाओं में निर्देशन/ भागीदारी/ शेयरधारिता (एक प्रतिशत और उससे अधिक ईक्स्ट्री शेयरों की धारिता) का विवरण</p> <p>झ. यह पुष्टि करते हुए स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र कि संलग्न फार्म एसी और एडी में प्रस्तुत सूचना सही और पूर्ण है, तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है अथवा दबाया नहीं गया है।</p> <p>ज. कोई अन्य सूचना, जो संगत समझी जाए।</p>
--	---

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./24/17]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 13th April, 2017

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

F. No. IRDAI/Reg/4/141/2017.—In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time, sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and sections 42D and 42E of Insurance Act, 1938, as amended from time to time, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

Objective: The objective of the Insurance Web Aggregator Regulations is to supervise and monitor Web Aggregator as an insurance intermediary who maintains a website for providing interface to the insurance prospects for price comparison and information of products of different insurers and other related matters.

CHAPTER I

1. Short title and commencement:

- (a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017.
- (b) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (c) These regulations supersede Insurance Regulatory and Development Authority (Web Aggregators) Regulations, 2013 with effect from date of Gazette Notification.

2. Definitions: In these regulations, unless the context requires otherwise—

- (a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time.
- (b) “Agreement” for the purpose of these regulations means an agreement entered into between an Insurance Web Aggregator and an Insurer;
- (c) “Authorised Verifier” for the purpose of these Regulations is a person employed by the Insurance Web Aggregator or a Tele-marketer for insurance solicitation and procurement through Telemarketing and Distance Marketing mode and who has undergone training and passed the examination as specified by the Authority;
- (d) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

- (e) “Distance Marketing” for the purpose of these regulations refers to the process of solicitation or sale of insurance products where the consumer is physically not present at the point of solicitation or sale or the conclusion of the sale, and the process is accomplished through telephone or Short Messaging Service (SMS) or email or Internet or web services;
- (f) “Key Management Personnel” for the purposes of these regulations means Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer, Head - Technical, Head – IT.
- (g) “Lead” for the purpose of these regulations means information pertaining to a person who has accessed the website of an Insurance Web Aggregator and has submitted contact information of any kind, for obtaining information on prices or features or benefits of insurance products;
- (h) “Lead Generation” for the purpose of these Regulations, is the process of collecting the details of the prospects to ascertain their intention to purchase insurance policy, before proceeding with solicitation of insurance products;
- (i) “Lead Management System” (LMS) for the purpose of these Regulations refers to the Software implemented by the Insurance Web Aggregator for recording, filtering, validating, grading, distribution, follow up and closure of leads from the enquiries received on the website of the Insurance Web Aggregator;
- (j) “Outsourcing” for the purpose of these Regulations means activities which can be carried out by the Insurance Web Aggregator to the extent as specified in Form U of Schedule VII;
- (k) “Person” means—
 - a. A company formed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or
 - b. A limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) with no partner being a non-resident entity/ person resident outside India as defined in clause (w) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) (FEMA), and not being a foreign limited liability partnership registered there under; or
 - c. Any other person recognized by the Authority to act as an Insurance Web Aggregator;
- (l) "Principal Officer" means —
 - a. a director/partner, who is exclusively responsible for the activities of the Insurance Web Aggregator in the case of a body corporate; or
 - b. the chief executive officer appointed exclusively to carry out the functions of an Insurance Web Aggregator;
- (m) “Solicitation” for the purpose of these Regulations is defined as the approach of a Prospect by an insurer or an intermediary with a view to convince the Prospect to purchase an insurance policy;
- (n) “Telemarketer” for the purpose of these Regulations, is an entity registered with Telecom Regulatory Authority of India under Chapter III of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (as amended from time to time);
- (o) “Insurance Web Aggregator” for the purpose of these regulations is a person registered by the Authority under these Regulations;
- (p) “Website” is a set of related web pages served from a single web domain. A website is hosted on at least one web server, accessible via a network such as the Internet or a private local area network through an Internet address known as a Uniform resource locator. The word “website” includes a web portal and/or a mobile site for the purpose of these regulations;
- (q) “Designated Website” for the purpose of these regulations is a website with domain name registered, owned by and used exclusively for the functions of the Insurance Web Aggregator;
- (r) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act, as amended from time to time, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any of the Regulations/Guidelines made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts/ Regulations/Guidelines.

CHAPTER II

Registration of Insurance Web Aggregator

3. Eligibility criteria for certificate of registration of the Insurance Web Aggregator:

- a. For the grant of certificate of registration or renewal of certificate of registration of the Insurance Web Aggregator, the applicant shall ensure the fulfilment of the conditions including but not limited to the following:
 - i. The applicant is a person as defined under regulation 2 (k).

- ii. The Memorandum of Association of the company or such other documents of applicant shall have the business of web aggregation of Insurance Products only as its main object.
 - iii. The applicant is not engaged in any other business other than the main object (Web Aggregation of Insurance Products) of the applicant;
 - iv. The applicant is not appointed/registered as an insurance agent, corporate agent, micro-insurance agent, TPA, surveyor and loss assessor, insurance marketing firm or any other Insurance Intermediary under the relevant Regulations framed by the Authority.
 - v. The applicant shall not have a referral arrangement with an Insurer.
 - vi. An applicant or its group entities ordinarily may be granted only one certificate of registration for insurance intermediation. However, an application for an insurance Web Aggregator registration where any group entity of the applicant is already engaged in insurance intermediation shall be considered on merits and with no conflict of interest.
- Note: For the purposes of these regulations, the definition of "group" shall have the same meaning as defined under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016 as amended from time to time, any other direction issued in this regard by the Authority.*
- vii. The applicant has a designated website to undertake insurance web aggregation for insurance solicitation.
 - viii. The Principal Officer possesses the qualification as specified in Form C (Eligible educational qualifications for Principal Officer) of Schedule I.
 - ix. The Principal Officer of the Insurance Web Aggregator has undergone training and passed the examination as may be specified by the Authority.
 - x. The Principal Officer/Directors/Promoter(s)/Shareholders/Partners/Key Management Personnel fulfil the conditions in the FIT and PROPER criteria as specified in Form D (Particulars of Principal Officer/ Directors/ Partners/ Promoters/ Shareholders/ Key Management Personnel) of Schedule I.
 - xi. The Authorised Verifier has undergone the prescribed training and passed the examination as specified by the Authority under para 8 of Form-T under Schedule VI.
 - xii. The Insurance Web Aggregator has not violated the obligations as specified in Form V (Obligations of Insurance Web Aggregators) of Schedule VIII and the code of conduct as specified in Form W (Code of Conduct for Insurance Web Aggregator) of Schedule VIII to these regulations.
 - xiii. The Authority has not rejected the application for grant of certificate of registration or the applicant has withdrawn the application for any reason at any time during the preceding financial year from the date of application.
 - xiv. The foreign investor or Indian Promoter of the existing venture have exited for any reason at any time during the preceding two financial years from the date of application:
Provided the Authority, considering the interests of the policyholders and overall growth and development of the insurance sector, may relax the condition of two year waiting to such time as it may so specify.
 - xv. The Authority is of the opinion that the grant of certificate of registration shall be in the interest of policyholders.

4. Application seeking grant of certificate of registration

- (a) An applicant, seeking grant of certificate of registration as Insurance Web Aggregator, shall make an application to the Authority in the application Form A (Application for grant of certificate of registration to an Insurance Web Aggregator) of Schedule I of these Regulations.
- (b) The application shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees ten thousand plus applicable taxes paid by way of a demand draft drawn in favour of 'Insurance Regulatory and Development Authority of India' payable at Hyderabad or by recognised electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India.
- (c) No application shall be processed without the application fee.
- (d) Applicants seeking permission for Outsourcing and Telemarketing functions/ facility shall mention the same specifically in the Application Form.

Note: The documents to be submitted along with the application for grant of certificate of registration as Insurance Web Aggregator are mentioned in Form B (Forms to be attached with the Application Form A) of Schedule I of these Regulations.

- (e) The applicant seeking grant of certificate of registration as Insurance Web Aggregator shall fulfil all the requirements for consideration of application as specified under Regulation 7 and fulfil the conditions mentioned in these Regulations.
- (f) The application for grant of certificate of registration as Insurance Web Aggregator shall be dealt by the Authority as per the applicable provisions and under these Regulations.

5. Application to conform to the requirements -

- (a) An application, which is not complete in all respects, shall be liable to be rejected:

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to complete such formalities within a period of thirty days from the date of receipt of communication from the Authority.

- (b) The Authority may require the applicant to furnish such further information or clarification as may be required by it.
- (c) In case the requirements are not furnished /filed/ submitted within 30 days of the communication from the Authority, the application may be returned and the applicant shall be required to file a fresh application.

6. Furnishing of information, clarification and personal representation —

- (a) The Authority may require an applicant to furnish any further information and/or clarification and/or may direct the applicant to comply with certain requirement(s) for consideration of the application.
- (b) The applicant or its principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with an application.
- (c) The Authority may prescribe the information/clarification to be provided and/or the manner in which it shall be provided for consideration of the application so made to it.
- (d) The applicant shall bring to the notice of the Authority, on its own, any such further information/or clarification, which might have bearing on consideration of its application.

7. Consideration of application for Insurance Web Aggregator:

- (a) The Authority while considering an application for grant of a registration shall take into account, all matters relevant to carrying out the functions by the Insurance Web Aggregator.
- (b) Without prejudice to the above, the Authority in particular, shall take into account the following, namely: -
 - i) Fulfilment of eligibility conditions as given in Regulation 3 above
 - ii) Whether any of the Directors, Partners, the chief executive by whatever name called or managing director or Principal Officer, key management personnel, its officers or other employees is suffering from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42 D of the Insurance Act, 1938;
 - iii) Whether any person, directly or indirectly connected with the Applicant, has been refused in the past the grant of any license or registration by the Authority.

Explanation: - For the purposes of this sub-clause, the expression “directly or indirectly connected” means in the case of a firm or a company or a body corporate, an associate, a subsidiary, or a group company of the Applicant. It is hereby clarified that these terms shall have the same meanings as ascribed to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013,) as amended from time to time or The Competition Act, 2002, as the case may be.

- iv) whether the applicant fulfils the capital and net-worth requirements as specified in Regulation 8.
- v) whether the principal officer and/ or authorised verifier has violated the code of conduct as specified in Form W (Code of Conduct for Insurance Web Aggregator) of Schedule VIII, as applicable, of these regulations
- vi) whether the Promoter(s)/Shareholders/Partners of the applicant are of sound financial position to make investment in the applicant entity.
- vii) whether the authorised verifier engaged in tele-marketing activities for solicitation of insurance business on behalf of Insurance Web Aggregator fulfill the requirements mentioned in Form T (Sale of Insurance products by tele-marketing mode and other distance marketing activities of Insurance Web Aggregator) of Schedule VI of these regulations.

- viii) whether the applicant has a designated website which can offer insurance web aggregation for insurance solicitation.
- ix) whether the applicant has paid a fee of rupees twenty five thousand plus applicable taxes.

8. Requirements of Capital and net-worth—

(a) Capital Requirements

- i. An applicant seeking to become an Insurance Web Aggregator under these regulations shall have a minimum paid up capital/ contribution of rupees twenty five lakhs.
- ii. The capital of the Insurance Web Aggregator shall be issued and subscribed in the form of Equity Shares where the Insurance Web Aggregator is a company registered under Companies Act, 2013.
- iii. The contribution of partners in case of LLP shall be only in cash
- iv. The applicant shall also comply with the Rule, Regulation, Circular, Guidelines, etc. issued in respect of Indian owned and controlled.
- v. The shares of the Insurance Web Aggregator held as capital shall not be pledged in any form or manner to secure credit or any other facility and shall at all times be unencumbered.

(b) Manner of calculation of equity capital held by foreign investors

- i. The aggregate holdings of equity shares or contribution of the Insurance Web Aggregator by foreign investors, including portfolio investors, shall not exceed forty-nine per cent of paid-up equity capital of Insurance Web Aggregator at any time or such foreign investment limit as prescribed by the Central Government.
- ii. For the purposes of the Act and these Regulations, the calculation of the holding of equity shares by one or more Foreign Investors in the applicant company, shall be as per details given in Form AA (Manner of calculation of equity capital held by foreign investors) of Schedule XII.

(c) Net-worth requirements

- i. The net-worth of an Insurance Web Aggregator shall at no time during the period of certificate of registration period fall below 100% of the minimum capital requirements or contribution specified under sub-regulation (a)(i) above.

Explanation: For the purposes of these regulations, “net worth” shall have the meaning assigned to it in Companies Act 2013 and as amended from time.

- ii. Every Insurance Web Aggregator shall review the status of the net-worth specified in sub-regulation (i) above, every half year as at 30th September, and 31st March every year and report non-compliance, if any, to the Authority within 15 days thereon and shall restore the requirements within 30 days thereafter and confirm compliance to the Authority.
- iii. In case the Insurance Web Aggregator is not able to maintain the minimum net-worth even after 30 days, then he shall immediately stop doing insurance related business/ activity.
- iv. The Insurance Web Aggregator shall submit to the Authority a net worth certificate duly certified by a Chartered Accountant every year after finalization of books of accounts.

(d) Transfer of shares

- i. The beneficial ownership and control of the shares or contribution shall totally and completely rest with the entity/individual approved by the Authority.
- ii. The process of transfer of shares of Web Aggregator shall be as given in Form AB (Transfer of shares) of Schedule XII of these regulations.

9. Procedure for Grant of Certificate of registration

- (a) On the applicant fulfilling the requirements mentioned in these Regulations and the Authority being of the opinion that the grant of registration will be in the interest of policyholders, the Authority shall grant certificate of registration to the applicant to function as an Insurance Web Aggregator as per Form E (Certificate of Registration) of Schedule I of these Regulations.
- (b) The certificate of registration shall be issued subject to the applicant adhering to the conditions and the code of conduct as may be specified by the Authority from time to time.

- (c) In case a certificate of registration issued under the regulations which were in force prior to the notification of these regulations, is cancelled/ surrendered or renewal rejected by the Authority for the reasons specified therein, the applicant may make a fresh application for grant of registration only after lapse of one year from the effective date of such cancellation/ surrender or rejection of renewal of registration, for consideration of the Authority. The Authority may consider such application on merit.

10. Conditions for grant of certificate of registration

The registration granted under regulation 9 or the renewal granted under regulation 13 shall, *inter alia*, be subject to the following conditions: -

- (a) The insurance Web Aggregator registered under these regulations shall be permitted to solicit insurance products as specified in regulation (26) only;
- (b) The insurance Web Aggregator shall comply with the provisions of the Act, IRDA Act, 1999 and the Regulations, Circulars, Guidelines and any other instructions issued there under;
- (c) The insurance Web Aggregator shall forthwith inform the Authority in writing, if any information or particulars previously submitted to the Authority by them are found to be false or misleading in respect of any material particular or if there is any material change in the information already submitted;
- (d) The insurance Web Aggregator shall take adequate steps for redressal of grievances of the policyholders within 14 days of receipt of such complaint and keep the Authority informed about the number, nature and other particulars of the complaints received from such policyholders in format and manner as may be specified by the Authority;
- (e) The insurance Web Aggregator shall solicit and procure reasonable number of insurance policies commensurate with their resources and the number of authorised verifiers engaged by them.
- (f) The insurance Web Aggregator shall maintain records in the format specified by the Authority which shall capture policy-wise and authorised verifier-wise details wherein each policy solicited by the insurance Web Aggregator through the authorised verifier is tagged to that authorised verifier. The insurance Web Aggregator shall put in place systems which allow regular access to such records and details by the Authority.
- (g) The insurance Web Aggregator shall ensure compliance of Code of Conduct applicable to them by their directors, principal officer and authorised verifiers;
- (h) The Authority may at any point appoint an investigating authority to examine the books or records or activities of the insurance Web Aggregator.

11. Validity of certificate of registration:

A certificate of registration issued shall be valid for a period of three years from the date of its issue, unless the same is suspended or cancelled pursuant to these Regulations.

12. Rejection of application:

- (a) An application, which is not complete in all respects, shall be liable to be rejected:

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to complete such formalities within a period of thirty days from the date of receipt of communication from the Authority.

- (b) The Authority may require the applicant to furnish such further information or clarification as may be required by it.
- (c) In case the requirements are not furnished/ filed/ submitted within thirty days of the communication from the Authority, the application may be returned and the applicant shall be required to file a fresh application, unless allowed by the Authority after furnishing reasons for non submission.
- (d) The order rejecting the application shall be communicated by the Authority within thirty days of such rejection to the applicant in writing stating therein the ground on which the application has been rejected.
- (e) An applicant aggrieved by the decision of the Authority may, within a period of forty-five days from the date of such communication, apply to the Securities Appellate Tribunal (SAT) against the decision of the Authority.

Chapter III

Renewal of Registration of Insurance Web Aggregator

13. Renewal of Registration of Insurance Web Aggregator

- (a) The Insurance Web Aggregator shall submit the application for renewal of registration to the Authority in Form F (Application for renewal of certificate of registration of insurance Web Aggregator) of Schedule II at least thirty days before the expiry of the registration. However, the Insurance Web Aggregator may apply for renewal, ninety days before the expiry of the registration in the manner specified by the Authority.
- (b) The documents that shall be submitted by the applicant along with the renewal application form are listed in Form G (Forms to be attached with the renewal application form F) of Schedule II.
- (c) The application for renewal of registration shall be submitted along with a renewal fee of Twenty Five thousand rupees plus applicable taxes paid by way of a bank draft in favour of ‘Insurance Regulatory and Development Authority of India’ payable at Hyderabad or by recognised electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India
- (d) The applicants shall have to pay an additional fee of one hundred rupees by way of penalty, if the application for renewal of the registration does not reach the Authority at least thirty days before the date on which the registration ceases to remain in force:

Provided that the Authority may for sufficient reasons offered in writing by the applicant for a delay not covered by the previous proviso, accept an application for renewal after the date of the expiry of the certificate of registration up to a period of sixty days of the expiry of certificate of registration on payment of an additional fee of seven hundred and fifty rupees by the applicant:

Provided further that the application for renewal received after sixty days of the expiry of the registration will be considered only after a lapse of twelve months from the date of expiry of registration. However, during the interregnum, the registration of the Insurance Web Aggregator shall cease to exist and he shall not solicit any new business or carry out any other functions for which the Registration was granted.

- (e) No Insurance Web Aggregator is allowed to carry out the functions of the Insurance Web Aggregator, without a valid certificate of registration issued by the Authority.
- (f) The application for renewal of certificate of registration as Insurance Web Aggregator shall be dealt with by the Authority in the manner as specified under Regulations 3 and 7.
- (g) An Insurance Web Aggregator, before seeking a renewal of certificate of registration, shall ensure that the Principal Officer and the Authorised Verifiers have undergone renewal training not before six months of the expiry of three years validity of his previous fresh/ renewal training from an institution recognized by the Authority.
- (h) The Authority, on being satisfied that the applicant fulfils all the conditions specified for renewal of registration, shall renew the registration as per Form H (Renewal Certificate of Registration) of Schedule II for a period of three years.
- (i) Wherever it is found that the Insurance Web Aggregator is not doing any insurance business during the entire/ part of the previous registration period, the Authority may refuse to renew the registration.

14. Procedure where renewal of registration is not granted –

- (a) Where an application for renewal thereof under regulation 13, does not satisfy the conditions set out in Regulation 7, the Authority may refuse to renew the Certificate of Registration:
- Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.
- (b) The refusal to renew a Certificate of Registration shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.
 - (c) Any applicant aggrieved by the decision of the Authority may make an appeal to Securities Appellate Tribunal, as per the procedure prescribed for such an appeal, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made by the Authority under sub-regulation (b) above is received by it.

15. Effect of refusal to renew certificate of registration— An applicant, whose application for renewal has been refused or rejected by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication cease to act as an Insurance Web Aggregator.

16. Issue of duplicate certificate of registration –

- (a) In the event of a certificate of registration being lost or destroyed or mutilated, an Insurance Web Aggregator shall submit to the Authority an application in Form I (Application for duplicate certificate of registration) of Schedule II alongwith a declaration giving full details of the registration and its loss or destruction or mutilation along with a fee of rupees one thousand, plus applicable taxes, to the Authority requesting issue of a duplicate certificate of registration.
- (b) The Authority, after satisfying itself that the original certificate of registration has been lost, destroyed or mutilated, shall issue a duplicate certificate of registration in Form J (Duplicate Certificate of Registration) of Schedule II with an endorsement thereon that it is a duplicate one.

Chapter IV

Corporate Governance Issues pertaining to Insurance Web Aggregator

17. Board Approved Policy for comparison and distribution of insurance products-

- (a) Every Insurance Web Aggregator shall have a Board approved policy on the manner of soliciting insurance products. The Policy, amongst others, shall include the approach to be followed by the Insurance Web Aggregator in having multiple tie-ups, type of products sold, grievance redressal mechanism, reporting requirements and any other item.
- (b) The Board of the Insurance Web Aggregator shall review the same atleast once in three years.

18. Professional indemnity insurance -

- (a) Every Insurance Web Aggregator shall take out and continue to maintain a professional indemnity insurance cover throughout the validity of the period of the certificate of registration granted to them by the Authority, as specified in Form K (Professional Indemnity Insurance) of Schedule III of these regulations:

Provided that the Authority may in suitable cases allow a newly registered Insurance Web Aggregator to produce such a policy within six months from the date of issue of certificate of registration.

19. Change in name of an Insurance Web Aggregator: An Insurance Web Aggregator shall take the prior approval of the Authority for change of its name.

20. Arrangements with insurers for distribution of products

- a) No arrangements shall be made by the Insurance Web Aggregators with the insurers which are against the interests of policyholders;
- b) The details pertaining to the arrangement made by the Insurance Web Aggregators with the insurers are given in Form L (Arrangements with insurers for distribution of products) of Schedule III of these regulations.

21. Conflict of interest – While soliciting and procuring the insurance business, the Insurance Web Aggregator shall comply with the following:

- (a) The Insurance Web Aggregator having tie-ups with more than one insurer in a particular line of business, shall display to the prospective customer the list of insurers, with whom they have arrangements to distribute the products and provide them with the details such as scope of coverage, term of policy, premium payable, premium terms and any other information which the customer seeks on all products available with them;
- (b) The product to be sold shall be based on the need analysis of the prospect.
- (c) No Insurance Web Aggregator shall promote or push a particular product of a particular company either through its web-site or through distance marketing approaches.

22. Maintenance of books of account, records, etc.:

- a) Every Insurance Web Aggregator shall prepare for every accounting year –
 - i. a balance sheet or a statement of affairs as at the end of each accounting period;
 - ii. a profit and loss account for that period;
 - iii. an income and expense statement;
 - iv. a statement of cash/fund flow;
 - v. Additional statements on Insurance Web Aggregators business as may be required by the Authority.

Note 1: For purposes of these Regulations, the accounting year shall be a period of 12 months (or less where a business

is started after 1st April) commencing on the first day of the April of a year and ending on the 31st day of March of the year following, and the accounts shall be maintained on accrual basis.

Note 2: *There shall be a schedule to their financial statements providing the details of all the incomes received from insurers and insurer's group companies, insurer-wise, by the Insurance Web Aggregator, and also the details of payments received by the group companies and/or associates of the Insurance Web Aggregator from any insurer and the details thereof.*

- b) The details pertaining to maintenance of the books of accounts, records, etc of the Insurance Web Aggregator are given in Form M (Maintenance of books of accounts, records, etc.) of Schedule III of these regulations.

23. Disclosures to the Authority-

- (a) The details pertaining to disclosure to be made by the Insurance Web Aggregators to the Authority are given in Form N (Disclosures to the Authority) of Schedule III of these regulations.
- (b) The Insurance Web Aggregator shall furnish half-yearly returns to the Authority insurer-wise business placed separately in respect of life, general and health insurance, in the formats specified by the Authority, before 31st October and 30th April every year.
- (c) The Authority on examination of the returns furnished may issue such directions or advices as it deem necessary to the Insurance Web Aggregator and they shall be complied with by the Insurance Web Aggregator.

24. Action against a person acting as an Insurance Web Aggregator without a valid registration

- (a) From the date of commencement of these Regulations no person can function as a Web Aggregator unless a certificate of registration has been granted to him by the Authority under these Regulations.
- (b) No insurer shall engage any person as insurance Web Aggregator who is not registered with the Authority.
- (c) Notwithstanding and without prejudice to initiation of any criminal proceedings against any person, who acts as an Insurance Web Aggregator without holding a valid registration made under these regulations and against the insurer who engages a Web Aggregator not granted certificate of registration by the Authority, the Authority may invoke against such a person penal action under the Act or any other law for the time being in force.
- (d) Where the person falling under sub-regulation (a), is a company or firm or body corporate, without prejudice to any other proceedings which may be taken by the Authority against the company or firm or body corporate, every director, manager, secretary or other officer of the company or body corporate, and every partner of the firm, who is knowingly a party to such a contravention shall also be liable to be proceeded against.

CHAPTER V

Role and responsibilities of the Authorised Verifier

25. Authorised Verifier

- a) Insurance Web Aggregator shall be responsible for all acts of commission and omission of the authorised verifier deployed on their behalf.
- b) The role and responsibilities of the Authorised Verifier are given in Form O (Roles and responsibilities of authorised verifier) of Schedule IV of these regulations.

CHAPTER VI

Activities undertaken and functions performed by Insurance Web Aggregators

- 26. Display of product comparisons on Insurance Web Aggregator web-site** - The conditions relating to display of product comparison on the Insurance Web Aggregator designated web-site are given in Form Q (Display of product comparisons on the web-site) of Schedule IV of these regulations.
- 27. Transmission of leads by Insurance Web Aggregator to the Insurers:** The manner and sharing of leads by the Insurance Web Aggregator is given in Form R (Manner and sharing of leads) of Schedule IV of these regulations.
- 28. Sale of Insurance Online by Insurance Web Aggregators** – The manner and process of sale of Insurance online by Insurance Web Aggregators is given in Form S (Manner & process of sale of insurance online by Insurance Web Aggregators) of Schedule V of these regulations.
- 29. Sale of Insurance by tele-marketing mode and other distance marketing activities of an Insurance Web Aggregator** – Insurance Web Aggregator can use the Telemarketing/Distance Marketing modes, as per the instructions outlined in Form T (Sale of insurance products by tele-marketing mode and other distance marketing activities of Insurance Web Aggregator) of Schedule VI of these Regulations, for solicitation of Insurance based on the leads generated from its designated website.

CHAPTER VII

Remuneration

30. Remuneration to the Insurance Web Aggregator –

- (a) The payment of remuneration to or receipt of remuneration by an Insurance Web Aggregator shall be governed by the regulations notified in this behalf by the Authority.
- (b) Remuneration in any form shall be payable to Insurance Web Aggregators by insurers in compliance with the following provisions:
 - i. No charges shall be paid for transmission of leads by the Insurance Web Aggregator to the Insurer.
 - ii. Leads which are converted into sale of insurance policies will entitle the Insurance Web Aggregator to earn remuneration as applicable to insurance intermediaries.
 - iii. A flat fee of not exceeding Fifty thousand per year towards each product displayed by the Insurance Web Aggregator in the comparison charts of its web site subject to an overall ceiling as specified under the rewards portion specified in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission or Remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) Regulations, 2016 issued by the Authority.
 - iv. Insurance Web Aggregator can undertake Outsourcing functions to provide ‘Insurance Services’ as per Form U (Insurance outsourcing services that can be undertaken by Insurance Web Aggregators) of Schedule VII of these regulations in respect of policies procured through them. In such instances, the insurer may pay the Insurance Web Aggregators, reasonable service charges at mutually agreed rates fixed in the service agreements with the Insurance Web Aggregators.
- (c) An Insurance Web Aggregator shall not be denied payment of remuneration on the grounds that insurance policies being sourced through it are direct online sales of insurance policies by the insurance companies, unless the product approved under the product approval norms is a zero commission rate product.

Explanation: The insurer, if he so desires, may however for a zero commissions product make payment under the reward portion of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission or Remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) Regulations, 2016 as per the Board approved policy.

- (d) All existing approved products, that the Insurer is desirous of selling through Web Aggregator, and for which the Web Aggregator is not specifically mentioned as a distribution channel in File & Use application of the product, may be sold by the Web Aggregator without there being any requirement to modify the existing approved product under the product approval norms.

Provided that for such existing products, the Appointed Actuary shall certify that the commission/ remuneration being paid to the Web Aggregator are within the commission/remuneration limits already approved by IRDAI and that the premium rates are workable and sound.

- (e) An Insurance Web Aggregator shall not offer any rebate or discount or any other inducement to the prospect which will be a violation of Section 41 of the Insurance Act, 1938.

CHAPTER VIII

Conduct of business of Insurance Web Aggregators

31. Duties and Functions of Insurance Web Aggregator – The duties and functions of Insurance Web Aggregators are given in Form P (Duties and Functions of Insurance Web Aggregator) of Schedule IV of these regulations.

32. Conduct of business of Insurance Web Aggregator.

- 1) The Insurance Web Aggregator shall conduct the business in a fair manner and shall abide by
 - i) The Obligations of the Insurance Web Aggregators as outlined in Form V (Obligations of Insurance Web Aggregators) of Schedule VIII.
 - ii) The Code of conduct of the Insurance Web Aggregators as outlined in Form W (Code of Conduct for Insurance Web Aggregator) of Schedule VIII.
- 2) The Insurance Web Aggregator shall be responsible for all the acts and omissions of its chief executive or managing director or principal officer, authorised verifier and other employees including violation of code of conduct specified under these regulations and liable to a penalty under the provisions of Sec. 102 of the Act.

CHAPTER IX

Procedure for Disciplinary Proceedings against the Insurance Web Aggregator

- 33. Procedure for Disciplinary Proceedings against the Insurance Web Aggregator** – The procedure for Disciplinary proceedings against the Insurance Web Aggregator is given in Form X (Procedure for Disciplinary Proceedings) of Schedule IX of these regulations.

CHAPTER X

Miscellaneous

34. Action against the Insurance Web Aggregator:

a) The Authority may cancel the Certificate of registration granted to an Insurance Web Aggregator or take any other action as deemed appropriate under the Act, in case the Insurance Web Aggregator fails to exercise due diligence or comply with any of the obligations under these Regulations or act contrary to the provisions of the Act, IRDA Act, 1999, the rules and regulations framed thereunder and such other directions as issued by the Authority from time to time.

Provided that no such action shall be initiated by the Authority and order passed thereafter without giving an opportunity of hearing to the Insurance Web Aggregator except for suspension without notice as per Regulation 33.

35. Penal Provision

In case a registered Insurance Web Aggregator violates any of the provisions of Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and Rules and Regulations made thereunder, any circular/guidelines/orders issued by the Authority from time to time, the Authority may impose appropriate penalty depending on the nature/gravity of violation under the provision of Sec. 102 of the Act.

36. Action against the Insurer:

An insurer shall be liable for action by the Authority as provided under the provisions of the Act, the IRDA Act, 1999 (41 of 1999) and the relevant Regulations made thereunder, if:

- a) The Insurer fails to comply with the Obligations of insurers as outlined in Form Z (Obligations of Insurers) of Schedule XI of these Regulations; or
- b) An Insurer fails to furnish any information or furnishes wrong information to the Authority relating to the agreement and transactions with Insurance Web Aggregator; or
- c) An Insurer fails to comply with these Regulations and such other directions issued by the Authority from time to time;

Provided that no such action shall be initiated by the Authority and order passed thereafter without giving an opportunity of hearing to the Insurer.

37. Power of Authority to Inspect:

- a) The Authority may appoint one or more of its officers or qualified chartered accountants or Information Technology experts as inspecting authority to undertake inspection of the premises of the Insurance Web Aggregator to ascertain and see how activities are carried on, and also to inspect the books of account, records, and documents of the Insurance Web Aggregator for any of the purposes.
- b) The purposes referred to in these Regulations are as follows:
 - i) to ensure that the provisions of the Act, rules and regulations are being complied with.
 - ii) to ensure that the Lead management system is managed as per the provisions of these Regulations.
 - iii) to investigate the affairs of the Insurance Web Aggregator suo moto in the interest of proper development of insurance business or in policyholders' interest.

38. Power of the Authority to issue clarifications:

In order to remove any difficulties in respect of the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications, directions and guidelines in the form of circulars.

39. Voluntary Surrender of Certificate of registration:

- (1) An Insurance Web Aggregator issued certificate of registration under these regulations may make an application to the Authority for surrender of their certificate of registration. The Authority may consider such application on merit.

- (2) Upon acceptance of the application for surrender made by the Insurance Web Aggregator, the Authority may pass an order for surrender of the certificate of registration.
- (3) The documents/information required to be submitted for surrender of certificate of registration is as Form Y (Documents for voluntary surrender of certificate of registration) of Schedule X to these regulations.

40. Certification of Compliance

The Principal Officer of Insurance Web Aggregator shall submit to the Authority, at the end of each financial year, a certificate confirming that the Insurance Web Aggregator has complied with all the provisions of these Regulations during the financial year.

41. Repeal and Savings:

- i. Every Insurance Web Aggregator granted Certificate of Registration for acting as a Web Aggregator under the earlier regulations shall be valid under these regulations.
- ii. Every Insurance Web- Aggregator granted Certificate of Registration for acting as a Web Aggregator shall ensure compliance of the provisions relating to paid-up equity capital and net-worth requirements within a period of one year from the date of issue of these regulations and other requirements specified in these regulations within six months from the date of issue of these regulations.
- iii. Every Insurance Web Aggregator granted Certificate of Registration for acting as a Web Aggregator shall ensure compliance of “Indian owned and controlled” as specified in Act, Rules, Regulations and guidelines within such period as may be specified by the Authority.
- iv. However, the Authority may, on an application made to it by an existing Web Aggregator, for valid reasons, grant a further period of six months time to comply with the above Regulation, provided that the total time taken by an existing insurance Web Aggregator to comply with sub-regulation (iii) above does not extend beyond eighteen months from the date of issue of such norms.
- v. An undertaking to the effect that compliance of “Indian owned and controlled” as required under the regulation has been ensured shall be filed by all Insurance Web Aggregators duly signed by the Chief Executive Officer and Chief Compliance Officer within 45 days from the date of meeting of the Board of Directors, where such compliance has been confirmed.
- vi. Every undertaking shall be accompanied by: (1) A certified copy of resolution passed by the Board of Directors confirming the compliance of sub-regulation (ii) above; (2) Where applicable, certified copy of the agreement/Joint venture Agreement where amendments to the agreement/joint venture agreement have been carried out to give effect to the provisions of the Act.

42. General —

- a. Any disputes arising between an Insurance Web Aggregator and an insurer may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these Regulations.
- b. Power to remove difficulties and issue clarifications - In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/Exty/161/17]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

SCHEDE I

FORM A

[See regulation 4]

APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATON TO AN INSURANCE WEB AGGREGATOR

Instructions for filling up the form:

- 1) It is important that before this application form is filled in, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 are studied carefully.

- 2) Applicants must submit a duly completed application form together with all appropriate, supporting documents to the Authority.
- 3) Application for certificate of registration will be considered only if the Application form is complete in all respects.
- 4) Applicants should sign the applications themselves.
- 5) Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.

1. PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant: _____

1.2 Address – Principal Place of business/Registered Office.

Pin Code	Email
Tel No	Fax No.

1.3 Address for Correspondence:

Pin Code	Email
Tel No	Fax No.

1.4 Name and Designation of the Principal Officer

--	--

2. ORGANISATION – STRUCTURE

2.1 Status of the Applicant:

(e.g. Limited Company-Private/Public, LLP, others. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

Name of the company	Status	Date of Incorporation DD-MM-YYYY	Place of Incorporation	Name of stock exchanges where listed

2.2 Scope of business as described in the Memorandum of Association

(To be given along with copy of Memorandum and Articles of Association).

2.3 List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or along with associates)

Share holding as on: _____

Name of shareholder	No of Shares held	% of total paid up capital of the company

2.4 Particulars of all Directors/Designated Partners (in case of LLP) –

Name	Designation/ Position	Qualification	% of Share in applicant company	Directorship in other Companies	DIN No.	PAN/ Aadhaar No.

2.5 Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company/ Firm	Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter/Director	Nature and Interest of applicant company

Whether any one or more persons of the associate companies/ concern are interested in the applicant's business?

2.6 Name and Address of the Principal bankers of the applicant

2.7 Name and address of the statutory auditors

3. BUSINESS INFORMATION

3.1 Three years business plan document with projected volume of activities and income (including anticipated) for which Certificate of registration sought is to be specifically mentioned and attached to this application.

3.2 Organisation Chart separately showing functional responsibilities to be enclosed

3.3 Particulars of Key Management Personnel

Name	Designation/ Position	Qualification	Insurance related experience	Date of Appointment	Functional Areas	PAN/ Aadhaar No.

3.4 Particulars of Websites proposed/used for the Insurance Web Aggregation business: (Proof of Registration of Domain Name to be attached)

S No.	Website (Domain name) Address	Primary /Secondary / Category Specific	Place of Hosting of Web server	Name & address of the vendor hosting the website

Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

3. FINANCIAL INFORMATION

4.1 Capital Structure

S No.	Capital	Current Year	Previous Year	Preceding Year to Previous year
		Mention Year	Mention Year	Mention Year
		Rs in Lakhs	Rs in Lakhs	Rs in Lakhs
1	Authorised Capital (A)			
2	Issued Capital (B)			
3	Paid Up Capital (C)			
4	Free Reserves (Excluding Revaluation Reserves) (D)			
5	Total (C+D)			
6	Net-worth			

(Details of Investments, Loans & Advances made to Associate Companies/Firms where Promoters/ Directors have an interest is to be separately given).

S No.	Particulars	Current Year	Previous Year	Preceding Year to Previous year
		Mention Year	Mention Year	Mention Year
		Rs in Lakhs	Rs in Lakhs	Rs in Lakhs
1	Fixed Assets			
2	Plant & Machinery			
3	Office Equipment			
4	Quoted Investments			
5	Unquoted Investments			
6	Details of Liquid Assets			
7	Others			

Note: Please enclose three years audited annual accounts. If minimum capital requirement has been met after last audited annual accounts, audited statement of accounts for the period ending on a later date should also be submitted.

5. OTHER INFORMATION, IF ANY

5.1 Details of all settled and pending disputes: (Attach separate sheet and give full information in the format shown below)

Nature of Dispute	Name of party	Pending/ settled

** Attach sheet if required

5.2 Details, if any of any economic offences by the applicant or any of the Directors, Chief Executive or Managing Director or Principal Officer or key managerial Personnel in the last three years.

For and on behalf of

For and on behalf of

(Signature and Name of Applicant)

(Signature & Name of Applicant)

Designation

Designation

{Block Letters}

{Block Letters}

Place:

Date:

Application for Permission for Telemarketing/Outsourcing work

1.1 Name of the Applicant: _____

1.2 Certificate of Registration No.: _____

1.3 Validity Period: From _____ To _____

1.4 TRAI Registration No.: _____

1.5 Validity Period: From _____ To _____

1.6 List of Authorised Verifiers:

Name	Qualification	Sponsoring Entity	Certificate No.	Valid Till	PAN/ Aadhaar No.

Attach additional chart if required

1.7 Any other information.

DECLARATION

THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY TWO OF THE DIRECTORS/DESIGNATED PARTNERS

I/We hereby apply for certificate of registration to undertake Tele-Marketing/Outsourcing work relating to insurance.

I/We have gone through the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and am/are satisfied that I/ We am/ are eligible to apply for the Insurance Web Aggregators certificate of registration.

I/We state that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our Certificate of registration.

I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.

I/We undertake that I/We shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration earned by me/us during the Certificate of registration period.

For and on behalf of

For and on behalf of

(Signature and Name of Applicant)

(Signature & Name of Applicant)

Designation

Designation

{Block Letters}

{Block Letters}

Place:

Date:

SCHEDULE I**Form B**

[See regulation 4]

Forms to be attached with the Application Form A

1. Copy of the Certificate of Registration issued by the Registrar of Companies.
2. Copies of Memorandum of Association and Articles of Association or LLP Agreement duly certified by Chartered Accountant.
3. Copy of PAN Card of the Company.
4. C.V.s of Directors/Designated Partners of LLP with copies of Qualification Certificates.
5. C.V. of Principal Officer with copies of Qualification Certificates.
6. Self-Certification executed by two directors or designated partners of LLP duly notarized certifying that:
 - a) The directors of the company and the Principal Officer are major and not found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and not found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or an abetment of attempt to commit any such offence by a court of competent jurisdiction in the past five years. The applicant/directors are not involved in any economic offences in the last three years.
 - b) None of the directors/employees of the company are holding directorships/ employment in or represent any other insurance related entity.
 - c) The company shall ensure that at no point of time during the period of certificate of registration, the net worth of the company is reduced below rupees twenty-five lakh.
 - d) The Applicant Company or its Directors or Principal Officer are not registered as an Insurance Agent or Corporate Agent or Micro Insurance agent or TPA or Surveyor or Loss Assessor or an Insurance Broker or other insurance intermediary under the relevant regulations of IRDAI.
 - e) The Applicant Company or its Directors or Principal Officer are not a related party of an insurer, insurance broker, corporate agent, micro insurance Agent, TPA, Surveyor or a loss assessor or any other insurance intermediary at the time of submission of application for Insurance Web Aggregator Certificate of registration and would maintain the same status during the period of certificate of registration in future.
7. Snap shots of contents of proposed website along with the proof of domain name registration.
8. Confirmation of place of hosting website such as registered office, operations office.
9. List of persons who have control over or responsibility for the website contents in relation to insurance web aggregation.
10. Certificate of Chartered Accountant for the Net Worth and Shareholding Pattern of the Company as on the date of submission of Application.
11. Copies of the Annual Report and Audited Accounts for the previous three financial years.
12. Business Plan for next three years.
13. Details of infrastructure including IT infrastructure available.
14. Organisational Chart showing functional responsibilities.
15. Training and Examination Certificates of Principal Officer and authorised verifiers.
16. Details and declarations of Principal Officer/ Promoters/ Directors/ Partners/ Key Management Personnel, relating to Fit and Proper criteria as specified in Form D.
17. A user I.D. and temporary password (with only view permission) to verify the Aggregation Website(s)/Portal/LMS by IRDAI I.T. Department in a closed cover.

Note: All the copies of the documents to be attested by the Principal Officer.

SCHEDULE I**FORM C****[see regulation 3]**

1) The Eligible Educational Qualifications for Principal Officer are as listed below:

- a. Bachelors/Masters degree in Arts, Science, or Social Sciences or Commerce or Engineering or Law or Management or its equivalent from any institution/university recognized by any State Government or the Central Government; or
- b. Associate/ Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or
- c. Any post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad; or
- d. Associate/ Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi; or
- e. Associate/ Fellow of the Institute of Cost and Works Accountants of India, Kolkata; or
- f. Associate/ Fellow of the Institute of Company Secretaries of India, New Delhi; or
- g. Associate/ Fellow of the Institute of Actuaries of India; or
- h. Certified Associate ship of the Indian Institute of Bankers, Mumbai; or
- i. Any other qualification specified from time to time by the Authority under these Regulations.

2) The Principal officer of the applicant should have completed the specified training on insurance from an institution recognized by the Authority from time to time and passed an examination, at the end of the period of training mentioned above, conducted by an examining body recognized by the Authority.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

SCHEDULE I**FORM D****Particulars of Principal Officer/ Directors/ Partners/ Promoters/ Shareholders/ Key Management Personnel**

[See regulation 3]

Personal details of Principal Officer/Director/Partner/Promoter/Key Management Personnel**1. Personal Details**

Full Name	
Contact Details	
Address	
Phone No.	
Cell No.	
E-mail ID	
Date of Birth	
Nationality	
PAN Card No.	
Aadhaar Card No.	

2. Description of Duties/Responsibilities**a. Qualifications Experience and Achievements**

Name of the Institute	Country	Qualifications	Year of study

b. Professional Qualifications

Name of the Institute	Country	Qualifications	Year of study

c. Working Experience

Name of the Employer	Nature of Business	Designation	Description of Duties	Period

3. Association with the company

a. Present Shareholding in this Company – Position as on _____

Name of the Company	No. of shares held	% of shares held in the company

b. Equity Interest in other companies/ shareholding in other companies

Name of the Company	No. of shares held	% of shares held in the company

c. Directorship/Partnership/Proprietor positions held in other companies

Name of the Company	Position held in the organization	Period (from.... to

1) I declare that all information given in this application above is true and correct.

2) I declare that I have filled in the FIT and Proper statement and enclosed it along with this form.

Signature

Name

Date

FIT AND PROPER CRITERIA

(See regulation 3)

The applicant should satisfy the Authority—that -

- a) The Principal Officer is a fit and proper person;
- b) The CEO and the Directors are fit and proper persons to hold the office;
- c) All of its substantial shareholders/partners are fit and proper persons;
- d) All persons having effective control on the applicant are fit and proper persons to carry out the business.
- e) All Key Management Personnel of the applicant are fit and proper

Declaration and Undertaking for Principal Officer/ Directors/ Partners/ Promoters/ Shareholders/ Key Management Personnel.

f) 'Declaration and Undertaking' prescribed for the purpose of conducting due diligence to determine the 'fit and proper' status of Principal Officer/Directors/Partners/Promoters/ Shareholders/Key Management Personnel is given below. Henceforth, the Insurance Web Aggregator should use the format for obtaining declaration and undertaking from existing Principal Officer and Directors/Partners as well as the person to be appointed as Principal Officer/Director/Partner.

g) A separate form needs to be submitted by each individual.

Name of the Insurance Web Aggregator: _____		
I	Personal Details	
	A	Full Name
	B	Position in the Insurance Web Aggregator Company/LLP
	C	Date of Birth
	D	Educational Qualifications
	E	Relevant Background and Experience
	F	Permanent Address
	G	Present Address
	H	E-mail Address
	I	Telephone Number
	J	PAN under the Income Tax Act/ Name and address of Income Tax Circle
	K	Aadhaar Card No.
	L	DIN number (if allotted) and ROC location
	M	Relevant knowledge and experience in Insurance
N	Any other information relevant to position	
II	Fit & Proper Criteria	
	A	Have you ever registered or obtained license from any of the regulatory authorities under any law such as SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA, etc.
	B	Have you carried on business under any name other than the name stated in this application
	C	Have you ever been refused or restricted by any regulatory authority to carry on any business, trade or profession for which a specific license/registration or other authorization is required by law.
	D	Have you been ever censured or disciplined or suspended or refused permission or license or registration by any regulatory authority to carry on any business activity
	E	Have you been subject to any investigations or disciplinary proceeding or have been issued warning or reprimand by any regulatory authority
	F	Have you been convicted of any offence or subject to any pending proceedings under any law
	G	Have you been banned from entry from any profession/occupation at any time

	H	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past for violation of economic laws and regulations	
	I	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the applicant	
	J	Do you attract any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies' Act 2013?	
	K	Have you been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	L	Have you at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities, if so give particulars	
	M	Have you at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDAI, MCA, PFRDA. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
	N	Has any of your group company/associate company/related party been carrying any certificate of registration issued by the IRDAI	
III		Any other explanation/information in regard to items I and II and other information considered relevant for judging fit and proper criteria of the applicant	
		Undertaking	
		I confirm that the above information is, to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Authority fully informed, as soon as possible, of all events, which take place subsequent to my appointment, which are relevant to the information provided above.	
		Place:	Signature:
		Date:	Name:

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

SCHEDULE I

FORM E

[see regulation 9]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a CERTIFICATE OF REGISTRATION to act as INSURANCE WEB AGGREGATOR under that Act.

CERTIFICATE OF REGISTRATION Code for the Insurance Web Aggregator is _____

1. This CERTIFICATE OF REGISTRATION is valid from _____ to _____

2. This CERTIFICATE OF REGISTRATION is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date:

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

Approval to functioning as Telemarketer and for undertaking Outsourcing work

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants approval to M/s _____ to undertake Insurance Telemarketing and Insurance Outsourcing work under that Act.

CERTIFICATE OF REGISTRATION Code for the Insurance Web Aggregator is _____

1) This CERTIFICATE OF REGISTRATION shall be valid from _____ to _____

2) This CERTIFICATE OF REGISTRATION is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date:

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

SCHEDEULE II

FORM F

[See regulation 13]

APPLICATION FOR RENEWAL OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF INSURANCE WEB AGGREGATOR

Instructions for filling up the form:

- 1) It is important that before this RENEWAL application form is filled in, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations 2017 are studied carefully.
- 2) Applicants must submit a duly completed RENEWAL application form together with all appropriate, supporting documents to the Authority.
- 3) Application for renewal of certificate of registration will be considered only if the RENEWAL Application form is complete in all respects.
- 4) Applicants should sign the applications themselves.
- 5) Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the RENEWAL application form.

1. PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant: _____

1.2 Address - Principal Place of business/Registered Office.

Pin Code	Email
Tel No.	Fax No.

1.3 Address for Correspondence:

Pin Code	Email
Tel No.	Fax No.

1.4 Name and Designation of the Principal Officer (**To be submitted if any change**)

--	--

2. ORGANISATION – STRUCTURE (To be submitted if any change in any of the items under S. No. 2 of the application form, otherwise please mention “NO CHANGE”)**3. BUSINESS INFORMATION**

3.1 Three years business plan document with projected volume of activities and income (including anticipated) for which certificate of registration sought is to be specifically mentioned and attached to this application.

3.2 Particulars of Key Management Personnel (**To be submitted if any change**)

Name	Designation/ Position	Qualification	Insurance related experience	Date of Appointment	Functional Areas

4. OTHER INFORMATION, IF ANY

4.1 Details of all settled and pending disputes: (Attach separate sheet and give full information in the format shown below)

Nature of Dispute	Name of party	Pending/ settled

** Attach sheet if required

4.2 Details, if any, of any economic offences by the applicant or any of the Directors, or key managerial Personnel in the last three years.

5. RENEWAL OF PERMISSION FOR TELEMARKETING/ OUTSOURCING WORK

5.1 Do you want to continue tele-marketing/ outsourcing work: Yes/ No

5.2 Is the TRAI Registration valid: Yes/ No

5.3 Updated List of Authorised Verifiers:

Name	Qualification	Sponsoring Entity	Certificate No.	Valid Till	PAN/ Aadhaar No.

Attach additional chart if required

5.4 Any other information

For and on behalf of

For and on behalf of

(Signature and Name of Applicant)

(Signature & Name of Applicant)

Designation

Designation

{Block Letters}

{Block Letters}

Place:

Date:

SCHEDULE II

FORM G

[See regulation 13]

Forms to be attached with the Renewal Application Form F

1. Self-Certified undertaking in the format given in Annexure “1”
2. Confirmation of place of hosting website such as registered office, operations office, only if there is a change.
3. List of persons who have control over or responsibility for the website contents in relation to insurance web aggregation, only if there is a change.
4. Business Plan for next three years
5. Renewal Training Certificates of Principal Officer and authorised verifiers.
6. Bank Draft for Rupees Twenty Five Thousand Only drawn on any scheduled bank in favour of Insurance Regulatory and Development Authority of India payable at Hyderabad or by recognised electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India.

Note: All the copies of the documents to be attested by the Principal Officer.

Annexure “1”

Undertaking Format

Ref. No.

Date

The Insurance Regulatory and Development Authority of India

3rd Floor, ParishramBhavan,

Basheerbagh

HYDERABAD – 500004

Sir,

UNDERTAKING

We hereby submit the following undertaking and confirm as under that:

1. There is no intervention by any other Regulatory Authority on the promoters/ Management/ Applicant Company as on the date (If there is any intervention, details of the intervention to be furnished).
2. No Director/ Partner/ Principal Officer/ Shareholder/ Employee/ person directly or indirectly connected with the Applicant Company, has been refused in the past the grant of a licence/ Certificate of registration by IRDAI.
3. The Principal Officer has not violated the code of conduct as specified in Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017.
4. The Applicant Company will comply with Regulation confining to Main Objects of the Memorandum of Association filed with the Authority.
5. The Principal Officer is appointed exclusively to carry out the functions of the Insurance Web Aggregator under the Regulations and is neither holding any Directorship/Employment/Assignment in nor represents, either on full time or on part time basis, any other Insurance related or any other entity. If so, it is with the previous approval of the Authority. (Strike out which is not applicable)
6. None of the directors/partners or and employees of the company are holding any directorship/ employment in or represent any other insurance related entity. If so, it is with the previous approval of the Authority. (Strike out which is not applicable)
7. None of our Associate companies/ Directors/ Promoters/ Key Management Personnel/ Principal Officer/ Employees is holding Agency/ Corporate Agency/ TPA/ Surveyors/ other Insurance intermediary registration/licence.
8. We have assisted the clients in paying the premium as per sec. 64 VB(1) of the Insurance Act, 1938 and have not paid the premium on behalf of the clients, all the times.
9. We have not given any rebates of the whole or part of the commission payable or premium shown either directly or indirectly in compliance with sec. 41 of Insurance Act, 1938.
10. We confirm that the minimum capital requirement is not diluted by its use in buying shares and securities as also keeping Inter Corporate Deposits and giving loans etc.
11. We confirm that the functions as specified in Regulation 31 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 have been complied with during the previous registration period.

We confirm that the above statements are true to the best of our knowledge and belief.

We further undertake to comply with all the applicable Regulations/Rules/Notices/circulars as prescribed by the Authority from time to time.

Principal Officer (Director, other than the PO)

Signature

Name

Date

Note: Strike out the declaration not applicable and attach relevant information separately.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

SCHEDEULE II

FORM H

[see regulation 13]

RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATON to _____ to act as INSURANCE WEB AGGREGATOR under that Act.

RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATON Code for the Insurance Web Aggregator is _____

1. This RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATON shall be valid from _____ to _____

2. This RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATON is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Rules of 1939, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date:

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

Renewal of Approval to functioning as Telemarketer and for Outsourcing work

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants approval to M/s. _____ to continue to undertake Insurance Telemarketing and Insurance Outsourcing work under that Act.

RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATON Code for the Insurance Web Aggregator is _____

1) This RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATON shall be valid from _____ to _____

2) This RENEWAL CERTIFICATE OF REGISTRATON is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Rules of 1939, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date:

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

SCHEDULE II**FORM I**

[see regulation 16]

Application for Duplicate Certificate of Registration

1. I agree to inform you that my/our Certificate of Registration No. _____ has been

- a. Lost
- b. Destroyed
- c. Mutilated

By the following reasons _____

2. Fee payment: A non-refundable fee of Rs. 1000/- is paid to IRDAI

Payment details:

Demand Draft No: _____ Date: _____ Name of the bank: _____

Other modes of payment:

3. Declaration

I hereby apply for the duplicate certificate of registration under regulation 16 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017.

I/we therefore request the Authority to kindly issue a duplicate certificate of registration in light of the circumstances explained above.

I _____ solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Director/Partner 1

Signature of Director/Partner 2

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

SCHEDEULE II

FORM J

[see regulation 16]

DUPLICATE CERTIFICATE OF REGISTRATION

CERTIFICATE OF REGISTRATION No.:

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to _____ to act as INSURANCE WEB AGGREGATOR under that Act.
2. This CERTIFICATE OF REGISTRATION shall be valid from _____ to _____
3. This CERTIFICATE OF REGISTRATION is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date:

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

SCHEDEULE III

FORM K

[see regulation 18]

Professional Indemnity Insurance

Maintenence of Professional Indemnity Insurance —

- (1) The insurance cover must indemnify an Insurance Web Aggregator against
 - a. any error or omission or negligence on their part or on the part of their employees and directors;
 - b. any loss of money or other property for which the insurance Web Aggregator is legally liable in consequence of any financial or fraudulent act or omission;
 - c. any loss of documents and costs and expenses incurred in replacing or restoring such documents;
 - d. dishonest or fraudulent acts or omissions by Insurance Web Aggregator employees or former employees.
- (2) The indemnity cover —
 - a. shall be on a yearly basis for the entire period of certificate of registration;
 - b. shall not contain any terms to the effect that payments of claims depend upon the Insurance Web Aggregator having first met the liability;

c. shall indemnify in respect of all claims made during the period of the insurance regardless of the time at which the event giving rise to the claim may have occurred.

Provided that an indemnity insurance cover not fully conforming to the above requirements shall be permitted by the Authority in special cases for reasons to be recorded by it in writing.

(3) Limit of indemnity for any one claim and in the aggregate for the year in the case of Insurance Web Aggregators shall be two times remuneration received at the end of every financial year subject to a minimum limit of rupees twenty five lakhs and a maximum of rupees one hundred crores.

(4) The un-insured excess in respect of each claim shall not exceed five percent of the capital employed by the Insurance Web Aggregator in the business.

(5) The insurance policy shall be obtained from any registered insurer in India who has agreed to —

a) provide the Insurance Web Aggregator with an annual certificate containing the name and address, including the certificate of registration number of the Insurance Web Aggregator, the policy number, the limit of indemnity, the excess and the name of the insurer as evidence that the cover meets the requirements of the Authority.

SCHEDULE III

FORM L

[see regulation 20]

Arrangements with insurers for distribution of products

1. Agreement of Insurer with Insurance Web Aggregator:

- a) An Insurer desirous of obtaining leads from Insurance Web Aggregator shall enter into an “agreement” with the Insurance Web Aggregator approved by the Authority which shall necessarily include details relating to, though not limited to, the following:
 - i. Time-frame and mode of transmission of leads to be shared
 - ii. Onus of complying with regulatory and other legal requirements on both the parties to the agreement
 - iii. Identifying the different data elements to be shared (viz., name of prospect/client (visitor of the web site), contact details etc)
 - iv. The timeframe for providing the premium and feature tables of the agreed products to the Insurance Web Aggregator after concluding the agreement and keeping them up to date.

- b) The agreement between an insurer and Insurance Web Aggregator shall be valid for a period of three years from its date, subject to the validity of registration of Insurance Web Aggregator.
- c) The Insurance Web Aggregator shall keep the agreement ready for inspection as and when desired by the Authority.

2. Arrangements with insurers for distribution of insurance products – The Insurance Web Aggregator shall ensure the following:

- a) While entering into such arrangements, no Insurance Web Aggregator shall promise nor any insurer shall compel the Insurance Web Aggregator to distribute the products of a particular insurer;
- b) The arrangements shall have provisions to include duties and responsibilities of Insurance Web Aggregators towards the policyholders, duties and responsibilities of insurers and Insurance Web Aggregators, terms and conditions for termination of arrangements;
- c) In case an Insurance Web Aggregator wishes to terminate arrangement with any insurer, they may do so after informing the insurer and the Authority, the reasons for termination of arrangement. In such cases, they shall ensure that the policies solicited and placed with the insurer are serviced by the insurer till the expiry of policies;
- d) In case an insurer wishes to terminate the arrangement with any Insurance Web Aggregator, they may do so after informing the Insurance Web Aggregator and the Authority, the reasons for termination of arrangement. In such cases, the concerned insurer shall take the responsibility of servicing the policies sourced by the Insurance Web Aggregator;
- e) No insurer shall pay and no Insurance Web Aggregator shall receive any signing fee or any other charges by whatever name called, except those permitted by the Authority under relevant regulations, for becoming its Insurance Web Aggregator;

- f) The Authority may, at any point in time, direct any insurer or Insurance Web Aggregator to terminate the distribution arrangements by recording the reasons therefor.

SCHEDEULE III

FORM M

[see regulation 22]

Maintenance of books of accounts, records, etc.

- a) Every Insurance Web Aggregator shall submit to the Authority, a copy of the audited financial statements along with the auditor's report thereon within ninety days from the close of the accounting year along with the remarks or observations of the auditors, if any, on the conduct of the business, statement of accounts, etc., and a suitable explanation on such observations shall be appended to such accounts filed with the Authority.
- b) Every Insurance Web Aggregator shall, within ninety days from the date of the Auditor's report take steps to rectify any deficiencies, made out in the auditor's report and inform the Authority accordingly.
- c) All the books of account, statements, document, etc., shall be maintained at the head office of the Insurance Web Aggregator and notified to the Authority, and shall be available on all working days to such officers of the Authority, authorised in this behalf by it for an inspection.
- d) All the Electronic Records, books and documents, statements, contract notes etc., referred to in these Regulations and maintained by the Insurance Web Aggregator shall be retained for a period of at least ten years from the end of the year to which they relate. However, the Digital Records/documents pertaining to the cases of legal disputes reported and the disposal of the same is pending for a decision from courts the Records are required to be maintained till the disposal of the cases by the court.
- e) Every Insurance Web Aggregator shall maintain the Insurer wise records including in electronic form and shall be made available as and when required by the Authority:
 - i. Leads generated and transmitted
 - ii. Leads converted into policies
 - iii. complaints received and disposed
 - iv. Products Displayed on the website for comparison
 - v. Remuneration received for Products displayed
 - vi. Remuneration received for leads converted to policies
 - vii. Remuneration received from outsourcing activities
 - viii. Any other Remuneration received from Insurers (mention details)
 - ix. Know Your Client (KYC) records of the client, as required under the relevant Authority's guidelines and provisions of Prevention of Money Laundering Act;
 - x. Copy of the proposal form duly signed electronically by the client and submitted to the insurer;
 - xi. A register containing list of clients, details of policy such as type of policy, premium amount, date of issue of the policy, charges or fees received;
 - xii. A register containing details of complaints received which include name of the complainant, nature of complaint, details of policy issued/solicited and action taken thereon;
 - xiii. Copies of the correspondence exchanged with the Authority;
 - xiv. Any other record as may be specified by the Authority from time to time.

SCHEDEULE III

FORM N

[see regulation 23]

Disclosures to the Authority

1. An Insurance Web Aggregator shall disclose to the Authority, as and when required by it, in any event not later than thirty days of a requisition, the following information, namely—

- i. any change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the certificate of registration granted to it;
 - ii. the names of the clients whose insurance portfolio he manages or has managed;
 - iii. proceedings initiated against them by other regulatory or government bodies within a reasonable time but not later than 30 days from the initiation of such proceedings. Any action or direction issued by such other bodies shall also be disclosed to the Authority within the time limits prescribed above.
 - iv. Any other Information/requirement specified by the Authority from time to time.
2. An Insurance Web Aggregator shall disclose to the Authority on his own any material change in the composition of the Insurance Web Aggregator within 30 days of such change.
 3. An Insurance Web Aggregator shall take the prior approval of the Authority for the following.
 - i) Change of Principal Officer;
 - ii) Change in Director/s or Designated Partner/s as the case may be;
 - iii) Change in name of the company;
 - iv) Change of address of registered office/Corporate/Head Office;
 - v) Engaging the services of service providers or third party vendors for the core activities of the Insurance Web Aggregator such as but not limited to:
 - a. Lead Management System
 - b. Webhosting
 - c. Other core activities
 - vi) Change of location of the Servers hosting the comparison website(s)
 4. An Insurance Web Aggregator shall furnish to the Authority the following information within three days of the action
 - i) Opening/closing of branch offices;
 - ii) Updated list of authorised verifier to solicit insurance business through Telemarketing/ Distance marketing modes;
 - iii) in respect of a claim under the professional indemnity policy;
 - iv) acquiring of any property;
 - v) Any other information as called for by the Authority from time to time
 5. In case of any change in the information provided for consideration of their application, subsequent to filing of application or during the processing of application, such change shall be disclosed to the Authority, voluntarily by the applicant, for consideration of the Authority.
 6. The Authority may from time to time require the Insurance Web Aggregator to furnish information/ data/ documents in the manner as may be specified in the matter.

SCHEDULE IV

FORM O

[see regulation 25]

Roles and responsibilities of Authorised Verifier

- a) The Authorised Verifier shall:
 - i) be on the rolls of either the Insurance Web Aggregator or the Tele-marketer.
 - ii) solicit insurance business only through tele-marketing mode.
 - iii) receive inbound telephone calls from prospects/ policyholders seeking assistance or clarifications on the insurance products they want to buy.
 - iv) sell an insurance product based on the need analysis of the prospect.
 - v) explain the main features of the similar insurance product of other companies to help customer make a choice.
 - vi) not make any unsolicited outbound telephone calls for solicitation of insurance products

- vii) not make false promise or lure the prospects by exaggerating the benefits under the insurance product
- b) An Insurance Web Aggregator shall tag every insurance policy sold by the Authorised Verifier to his identity for tracking sales and complaints if any which shall be given access to the Authority on remote basis.
- c) An Authorised Verifier may shift from one insurance Web Aggregator/ Tele-marketer to another after obtaining a No Objection Certificate from his previous employer or 30 days of requesting for the same whichever is earlier.

SCHEDULE IV

FORM P

[see regulation 31]

Duties and Functions of Insurance Web Aggregator

- a) The Insurance Web Aggregator shall
 - i. Display Information in their designated website pertaining to the products of Insurers who have signed agreement with the Insurance Web Aggregators.
 - ii. Carryout the activities for the purpose of Lead Generation for insurers.
 - iii. Ensure that the information systems, (both hardware and software) including the aggregation website(s)/portals, Lead Management System and the Data Centers hosting the website(s)/Portal(s)/Lead Management System are in compliance with the generally accepted information security standards and procedures in force in India from time to time.
 - iv. Ensure that the leads and other data is transmitted to the insurers and others using secured layer data encryption technologies like 128 bit encryption.
 - v. Use only RBI registered payment gateways for collection and transfer of premium to insurers when the Insurance Web Aggregator is authorized by the insurer to collect the premium on behalf of the insurer.
 - vi. Ensure to get the information systems (both hardware and software) including the aggregation website(s)/portals, Lead Management System and the Data Centers hosting the website(s)/Portal(s)/Lead Management System hosted in India and audited by CERT-In empanelled Information Security Auditing organisations once in a financial year and submit a copy of the Audit Certificate/Report to IRDAI and the insurers with whom the Insurance Web Aggregator has entered into an agreement, within 15 days from the date of receipt of the same.
 - vii. Submit a certificate from the statutory auditor annually along-with the annual report that insurance Web Aggregator is in compliance with all the provisions and the framework of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 during the last financial year.
- b) The Insurance Web Aggregators shall not:
 - i. Display any information pertaining to products or services of other Financial institutions/FMCG or any product or service on the website.
 - ii. Display advertising of any sort, either pertaining to any product or service including insurance product or service, other financial products or service/or any other product or service in the Insurance Web Aggregators Website.
 - iii. Operate multiple websites or tie up with other approved/unapproved /un-registered entities/websites for lead generation/comparison of product etc. subject to the following exceptions:
 - a. Using multiple Domain names or same domain names with suffixes such as .com or .in or .co.in for the primary website of the Insurance Web Aggregator used for comparison of insurance products is allowed provided
 - 1) the domain names of primary or secondary or product category specific websites or mobile sites are owned and registered in the name of the Insurance Web Aggregator
 - 2) The Insurance Web Aggregator shall inform the Authority in writing about the date of Registration and also date of launching of domain names of such websites or mobile sites in the application for grant of registration and thereafter within 15 days from the date of Domain Name Registration and Date of launching respectively in case of any change in the name(s) of the existing websites or new websites.
 - iv. Operate the websites of other Financial/Commercial/marketing or sales or service entities or use other Social Media sites etc. for comparison of products etc.
 - v. Operate in any other manner for the purpose of transmitting leads to any entity engaged in insurance business except as provided under these Regulations.

c) Nomenclature of Insurance Web Aggregators

- i. All Insurance Web Aggregators shall have the word 'Insurance Web Aggregator' in the name of the Insurance Web Aggregator Company to reflect its line of activity and to enable the public to differentiate IRDAI registered Insurance Web Aggregator from other insurance related entities. The applications which seek the registration to act as Insurance Web Aggregator shall not be considered in the absence of the compliance of the nomenclature requirement.
- ii. Every registered Insurance Web Aggregator shall display in all its correspondences with all stakeholders its name registered with the Authority, address of the Registered and Corporate Office, IRDAI registration number and validity period of the registration.
- iii. Insurance Web Aggregators are not permitted to use any other name in their correspondence/ literature/ letter heads without the prior approval of the Authority.

SCHEDULE IV

FORM Q

[see regulation 26]

Display of product comparisons on the web site

- a. Insurance Web Aggregators shall disclose prominently on the home page, a notice that:
 - i. the Prospect's/visitor's particulars could be shared with insurers.
 - ii. "the information displayed on this website is of the insurers with whom our company has an agreement"
- b. Product information displayed by Insurance Web Aggregators shall be authentic and be based solely on information received from insurers.
- c. Insurance Web Aggregators shall not display ratings, rankings, endorsements or bestsellers of insurance products on their website. The content of the websites of the Insurance Web Aggregators shall be unbiased and factual in nature; they shall desist from commenting on insurers or their products in their editorials or at any other location in their websites.
- d. Products will be categorized as
 - 1) Life Insurance:
 - i. Whole Life Policies
 - ii. Term Insurance Products
 - iii. Endowment Products
 - iv. Health Insurance products
 - v. Retirement– Immediate annuities
 - vi. Retirement – Deferred annuities
 - vii. Children's products
 - viii. ULIP Products
 - ix. Any other products allowed by the Authority
 - 2) General Insurance:
 - i. Home Insurance
 - ii. Motor Insurance
 - iii. Rural Insurance
 - iv. Health Insurance
 - v. Any other products allowed by the Authority
 - 3) Health Insurance:
 - i. Health Insurance

- ii. Travel Insurance
- iii. Personal Accident Insurance
- iv. Any other products allowed by the Authority
- e. Products under a category as mentioned above can be compared.
- f. Basic features of products may be compared, such as:
 - i. Eligibility criteria
 - ii. Plan/Policy Term/Premium term/Min and Max SA/Age/Min & Max Maturity etc.
 - iii. Inbuilt Benefits/riders (Additional Riders to be compared separately)
 - iv. Premiums for different age groups
 - v. Surrender benefits/Loans etc
 - vi. Benefits such as Survival benefits/Maturity Benefits/Death benefits etc.
 - vii. Returns as per the Benefit Illustrations as approved by IRDAI from time to time
 - viii. Any other additional information/special product features relating to the products
- g. The comparison chart displayed on the Insurance Web Aggregator designated web-site shall take the customer through the web-pages which will be acknowledged by him in the following order:
 - i) coverages,
 - ii) exclusions,
 - iii) benefits,
 - iv) terms,
 - v) conditions and
 - vi) price
- h. Templates may be mutually worked out between the Insurance Web Aggregators and Insurers whose products are compared.
- i. Product comparisons that are displayed shall be up to date and reflect a true picture of the products.
- j. Product price comparisons shall be inclusive of all taxes and fees on gross basis to enable the prospect to make a like to like comparison.
- k. Insurance Web Aggregators shall display product information purely on the basis of the information furnished to them by insurers.

SCHEDULE IV

FORM R

[see regulation 27]

Manner and sharing of leads:

- a) Insurance Web Aggregator shall use a Lead Management Systems (LMS) capable of recording the full details of the visitors to the designated website of the Insurance Web Aggregator and the Leads generated including the preference of the visitor.
- b) LMS data shall be shared with the Insurance companies that have signed agreements with the Insurance Web Aggregators.
- c) LMS should ensure Transparency and Accountability.
- d) Insurance Web Aggregators shall disclose prominently on the home page that the Prospect's/visitor's particulars could be shared with insurers.
- e) Insurance Web Aggregator shall provide an option to select up to three insurers by the visitor, to whom the lead shall be transmitted simultaneously.
- f) Insurance Web Aggregator shall not transmit the lead containing data of a Prospect to Insurer(s) other than the one(s) preferred by the Prospect.

Provided that, if the Prospect evinces interest in buying insurance but does not prefer any Insurer, Insurance Web Aggregator shall not transmit the lead to more than three Insurers in the same class of insurance business based on the need analysis of the prospect.

- g) Insurance Web Aggregator shall transmit the lead containing data of Prospects to Insurer
 - i. Not later than three days of visit to the web site.
 - ii. Reasonably securing the information of Prospects from unauthorized access and misuse;
 - iii. With a reasonable level of suitability, reliability and correctness, and;
 - iv. In compliance with generally accepted I.T. security procedures
- h) Insurance Web Aggregators shall deploy an Audit Firm to audit the process of LMS systems at least once in 12 months.
- i) The Audit Report of the Audit Firm should be placed to the Audit committee of the Board who shall be responsible for taking cognizance of the same in carrying out corrective actions.
- j) Insurers, on conversion of lead into a policy, must post back the policy details on the LMS of the Insurance Web Aggregator from whom the lead was received.
- k) The time limit for tracking the leads received on LMS of Insurance Web Aggregator by the insurer for passing on the credit of the sale is to be mutually decided by the insurer and Insurance Web Aggregator which shall be specified in the agreement entered into.

SCHEDULE V

FORM S

[see regulation 28]

Manner & process of sale of insurance online by Insurance Web Aggregators – The sale of Insurance online by Insurance Web Aggregators shall be as per Guidelines on Insurance e-commerce issued by the Authority.

SCHEDULE VI

FORM T

[see regulation 29]

Sale of Insurance products by tele-marketing mode and other distance marketing activities of Insurance Web Aggregator

1. **Scope and applicability** – This covers tele-marketing and distance marketing activities, except online sale, of insurance Web Aggregator at the stages including offer and conclusion of sale.
 - a) Tele-marketing and Distance marketing includes every activity of solicitation and sale of insurance products through the following modes:
 - (i) Voice mode, which includes telephone-calling;
 - (ii) Short Messaging service (SMS);
 - (iii) Electronic mode which includes e-mail and interactive television (DTH);
 - (iv) Solicitation through any means as approved by the Authority from time to time under Distance Marketing.
 - b) These instructions are specifically applicable in case of the following activities in addition to other similar activities:
 - (i) Use of distance mode for ascertaining the Prospect's intent to purchase insurance.
 - (ii) Solicitation as well as sale over the distance mode; and
 - (iii) Requests by Prospects seeking information or sale of insurance products.

2. Telemarketing and Distance Marketing

Insurance Web Aggregator intending to carry on ‘Telemarketing’ and ‘Distance Marketing’, for the purpose of solicitation of insurance business shall

- a) Register as a ‘Telemarketer’.

- b) Engage ‘Authorized Verifier’ as defined in Regulation 2(c) of these regulations for carrying out the Telemarketing and Distance Marketing related work.
- c) While considering the application, the Authority may, if it so desires, verify the information furnished by the applicant including the supporting documents and also inspect the applicant’s offices and infrastructure.
- d) The Authority may, after considering the application with reference to the matters specified in these Regulations, grant Certificate of Registration to the Insurance Web Aggregator to function as Telemarketer, which shall be valid for a period of three years from the date of grant of such certificate of registration or the expiry of the registration whichever is earlier.

3. Compliance

The Insurance Web Aggregator shall, in addition to these instructions, comply with all the applicable provisions of the Insurance Act, 1938, the IRDA Act, 1999, IT Act, 2000, TRAI Act, 1997, The Telecom Unsolicited Commercial Communications (Amendment) Regulations, 2008 and the rules, regulations, circulars or guidelines, as applicable, issued from time to time.

4. Persons engaged by Insurance Web Aggregator for telemarketing:

- a) For the purpose of solicitation of insurance business through ‘Telemarketing’ and ‘Distance Marketing’, Insurance Web Aggregators shall engage only an Authorized Verifier as defined in Regulation 2(c) of these regulations
- b) Insurance Web Aggregators shall be responsible for all acts of commission and omission of the Authorized Verifier deployed on their behalf.
- c) Authorised Verifiers shall be responsible for the sale of insurance products in distance mode.

5. Agreements between Insurer and Insurance Web Aggregator.

The agreement between the Insurer and Insurance Web Aggregator, shall inter alia include the following clauses:

- a) The Insurance Web Aggregator shall maintain/preserve recordings of all the tele-calls for a period of 5 years.
- b) The Telemarketer shall maintain records of all the Authorized Verifier employed by them along with their training and assessment particulars.
- c) The tele-marketer shall keep a copy of the PAN/ Aadhaar card of the Authorised Verifier as his identity proof.
- d) The records under (a) & (b) above shall be open to inspection by the Authority.

6. Distance Marketing by Insurance Web Aggregators.

- a) Insurance Web Aggregators shall not exclusively promote the products of any particular insurer, and shall suggest, using a standard pre solicitation script the best available product in the market that fits the needs of the Prospect.
- b) The comparison charts that are displayed shall be up to date and reflect a true picture.
- c) Insurers shall not pay the Insurance Web Aggregators any remuneration other than the payments as specified in these Regulations. Insurers shall make no payments by any name to Insurance Web Aggregators or their related parties towards infrastructure or any account other than payments (except for undertaking outsourcing activities under Schedule VII) on the policies solicited or procured over Web Aggregation and distance mode.
- d) Insurers shall specifically identify the proposals procured by Insurance Web Aggregators over distance mode and obtain all relevant records pertaining to such policies. Insurers shall produce such records before the Authority in case of dispute involving alleged violation of breach of conduct by the Insurance Web Aggregator.

7. Role of Authorized Verifier:

- a) Telemarketers shall employ Authorized Verifiers, who alone are permitted for soliciting and concluding the sale of insurance products;
- b) The Authorized Verifiers shall be assigned to the Insurance Web Aggregator as per the certificate issued by the Authority for the purpose of sale of insurance products.
- c) Any change in such assignment shall be disclosed to the Authority and a fresh certificate to that effect shall be obtained from the Authority without which the Authorised Verifier shall be not be permitted for soliciting and concluding the sale of insurance products

8. Training of Authorized Verifier.

- a) Every authorized Verifier shall be trained at an institute as specified by the Authority.

- b) The training shall be as per syllabus specified by the IRDAI in matters related to regulations, disclosures, ethical conduct of business and specific instructions to be complied with while making the calls.
- c) The Authorized Verifier shall clear the post-training test to be conducted by the institution authorized by the Authority.
- d) Insurance Web Aggregators shall maintain a register of all persons engaged by them for the purpose of solicitation of insurance business. The register shall, apart from the name and address of the Authorized Verifier, also contain valid copies of his proof of identification based on either PAN card or Aadhaar card and other relevant credentials. Insurers shall allot a distinctive code number to every Authorized Verifier and record the same in a register maintained for the purpose.

9. Process of Solicitation

- a) Solicitation of insurance through tele-calling shall be based only on the leads generated through the website of the Insurance Web Aggregator
- b) The prospect on visiting the designated web-site of the Insurance Web Aggregator may:
 - i) select the insurance product and the company that he wants to buy from and after making an express choice proceeds to make the payment for premium, in which case an insurance policy shall be issued by the insurance company subject to acceptance of the risk; or
 - ii) select the insurance product but does not give preference of the insurance company. In such a case the Insurance Web Aggregator may pass on the lead to a maximum of three insurers who may close the sale by either following up with the prospect directly or through the tele-marketeer appointed by them; or
 - iii) seek assistance from the Web Aggregator in making a choice of the product and the company, in which case the Insurance Web Aggregator may help/ advise the prospect based on the need analysis the insurance product and the insurance company.
- c) The time taken from the generation of the lead to sale of the insurance product shall be completed in a reasonable period of time not exceeding three months beyond which the Insurance Web Aggregator shall not get credit for sale of the product and no remuneration shall be paid to the Insurance Web Aggregator.
- d) An Insurance Web Aggregator shall not approach the prospect through outbound tele-calling without his express consent. However, if there are inbound tele-calls or tele-calls seeking assistance about the product by the prospect to the Insurance Web Aggregator, then the Insurance Web Aggregator shall offer all possible assistance to the prospect.

10. Standardized Script

The leads generated from the web-site shall be in specific compliance with the following norms:

- (i) Insurers, in consultation with Insurance Web Aggregators, shall prepare standardized scripts for presentation of benefits, features and disclosures under each of the products proposed to be sold over the distance modes. Solicitation under distance mode shall be in line with the standardized script.
- (ii) The scripts shall be incorporating all the Key Features of the product and shall be approved by the compliance officers of the respective insurers. The scripts shall be filed with the Authority under Product Approval norms within 15 days by the insurer.
- (iii) Every script shall mandatorily mention that the prospect is advised to refer to the detailed prospectus available at the website of the insurer and that the prospectus shall be sent to his email id wherever available.

a) Introduction

- (i) The communication shall clearly highlight the name of the insurer.
- (ii) The fact that the purpose of approach is lead generation/solicitation of insurance shall be clearly highlighted.

b) Consent of the Prospect

- (i) The Authorized Verifier shall ascertain if the Prospect is interested in continuing with the subject, and the process of solicitation shall proceed further only on receiving the consent in explicit terms.
- (ii) The Prospect shall be given an option to continue with the subject or exit the page at every stage in case of electronic modes. The hours during which calls are made shall be in accordance with orders issued by TRAI/ DoT from time to time.
- (iii) In case of telephonic solicitation the name of the authorized Verifier shall be disclosed and the language options available must be indicated. The subsequent communication shall continue only in the language chosen by the Prospect.

(iv) The Authorized Verifier shall inform Prospects that the call is being recorded and that the Prospect is entitled to a voice copy, if he so desires, at any time during the term of the policy or until a satisfactory settlement of claim, whichever is later.

(v) While commencing the communication, the Authorised Verifier shall inform the prospect the following in the same order a) Name of the Insurance Web Aggregator which is calling the prospect; b) Name of the Authorised Verifier; c) Name of the product being explained; d) Name of the insurer to which the product belongs.

(vi) No inconvenience, nuisance or harm shall be caused to the Prospects in the course of solicitation or thereafter. Full disclosures shall be made to the Prospects under all modes of distance marketing and the requirements of confidentiality, privacy and non-disclosure shall be complied with.

c) Prospect's Information

i) All relevant information pertaining to the Prospect as well as the person/asset to be insured shall be obtained, and solicitation shall be strictly on the basis of analysis of the Prospect's needs.

ii) The insurance Web Aggregator shall send copy of the voice transcript to the prospect at his email id so declared by him.

d) Product benefits & Features

The standardized script shall cover the following items in the course of product presentation:

i. The specific responses of the Prospect in the form of agree/disagree, yes/no, accept/reject, understand/don't understand, as applicable, against each of the items below, under all modes of distance solicitation.

ii. Name of the product suggested and its nature and parameters. Name of the Insurer to which the product belongs.

iii. Insurance cover available under the product for a specified amount of annual premium, or, conversely, premium chargeable and applicable taxes towards a specified amount of insurance cover.

iv. The scope of cover, perils covered and not covered, exclusions, deductibles or franchise, copayments, loading/discounts on premiums, add-on covers, conditions, other terms and benefits, mid-term inclusions, short period scales, basis of sum insured, warranties, clauses and endorsements, compliance with Section 64VB(1) of the Insurance Act, 1938 – payment of premium before commencement of risk, etc, as applicable.

v. The contents of the “key features document” (KFD) as and when specified by the Authority.

vi. The right to cancel the policy within 30 days of receipt of the policy in case of disagreement with the terms of the policy under all life insurance contracts and covers tied to credit/debit/other cards, and for all personal accident and health insurance policy contracts with a term of 3 years or more offered by insurers over distance mode, provided no claim has already been made on the policy.

vii. Disclosure of rates of commission available on the product solicited upon the request of the Prospect.

11. Premium Ceilings in case of sale of Life Insurance

(i) Insurance Web Aggregator shall not solicit non-single premium type policies for annualized premiums exceeding Rs 1,50,000/- over telemarketing mode (voice as well as SMS).

(ii) Single premium Policies shall not be solicited for a premium of more than Rs 1,50,000/- over telemarketing mode.

12. Post-Solicitation Process

Once the Prospect agrees to purchase a policy, the proposal form and premium acceptance shall comply with the following requirements:

(i) The premium towards the policy may be debited online or interactive voice response medium or through a manual collection subject to compliance with the procedures and controls prescribed by the RBI.

(ii) The norms applicable to insurers as regards AML and PAN need to be complied with in the process of selling a policy over distance marketing mode.

(iii) In all instances where a policy is issued without obtaining a proposal in physical form, insurers shall forward a verbal transcript of the voice/electronic record of the queries raised and answers thereto on the basis of which the policy has been underwritten, along with the policy bond.

(iv) For policies solicited/sold over distance mode, insurers shall issue policies in exactly the same format and medium as in case of sale through physical interface.

(v) The address and toll-free number of the office to be contacted by the policyholder in case of a servicing need or grievance shall be informed to the client.

(vi) Before conclusion of sale the authorized Verifier shall divulge his name and distinctive code number to the prospect and this shall form part of the recorded conversation for the sake of future verification.

(vii) The records pertaining to every call made and SMS sent by an Insurance Web Aggregator that materializes into a policy shall be transferred to the insurer's location within 30 days of conclusion of sale. In case of telephone calls the records transferred shall be the recordings of the entire conversation.

13. No Unfair Denial of Insurance Cover

When a Prospect approaches an Insurance Web Aggregator over distance mode proposing for insurance cover, the latter are duty-bound to consider the case on merits and in accordance with regulatory directions and their own norms. In no case shall they resort to an unfair denial of cover to a Prospect who seeks insurance.

14. Preservation of Records

The insurer and Insurance Web Aggregator shall preserve, in an unalterable and easily retrievable form, a voice/ electronic/ physical record, as applicable, of the entire process beginning with lead generation/ solicitation and concluding in sale of insurance, for a period of six months beyond the term of the policy or until satisfactory settlement of claim or for a period of ten years, whichever is later. Voice and electronic records shall be digitized and encrypted for storage to ensure reliability and security of the data.

15. Verification Process

a. Insurance Web Aggregators shall monitor the calls live by arranging for listening to at least 1% of the calls as they happen.

b. Insurance Web Aggregators shall verify at least 3% of calls leading to sales for compliance, by engaging a team of dedicated employees to listen to the call recordings. The observations made in the course of verification shall be preserved in a retrievable form for a period of not less than three years.

c. Insurers shall make verification calls, to monitor the quality of sales, to a minimum of 3% of the policyholders who purchase insurance over distance marketing mode, every month. The purpose of verification calls is to ascertain whether the Prospect has understood the benefits, features and disclosures of the product purchased correctly. Verification calls shall also bear a standardized script and the records of calls shall be preserved for a period (a) not less than 15 months from the date of policy or until satisfactory claim settlement, whichever is later, in case of general insurance and health insurance policies (b) not less than 3 years in case of life insurance policies.

d. The policies under (b) and (c) above shall be selected according to a random pattern, making sure to cover each product category and mode of sale.

16. Certification of Compliance

The Principal Officer of each Insurance Web Aggregator shall submit to the Authority, at the end of each financial year, a certificate confirming that the Insurance Web Aggregator has complied with all the provisions of the above instructions (para-1 to 15) during the financial year.

17. Disputes

For the purpose of these Regulations the contract of insurance shall be deemed to include the contents of KFD and the records of calls to the Prospect pertaining to the product. In case of disputes involving specific wordings of the policy, the client shall have the right to give primacy to the wordings of the KFD and the calls over the specific wordings of the policy.

SCHEDULE VII

FORM U

[see regulation 2(j) & 30]

1. Insurance Outsourcing Services that can be undertaken by Insurance Web Aggregators

- a. Outsourcing of the activities mentioned herein below shall be at the discretion of the Insurers. However, it is reiterated that execution of services shall remain to be Core Activity to be carried out by the Insurers.
- b. Outsourcing relationships between Insurers and Insurance Web Aggregators shall be governed by written contracts between the Insurer and the Insurance Web Aggregator that clearly describe all material aspects of the outsourcing arrangement, including charges for services, the rights, responsibilities, and expectations of all parties.

2. Activities that can be Outsourced to the Insurance Web Aggregator by Insurer

An insurance Web Aggregator can undertake outsourcing activities on behalf of insurers through the tele-marketing and distance marketing modes.

SCHEDULE VIII

FORM V

[see regulation 32]

Obligations of Insurance Web Aggregators

Insurance Web Aggregator shall

- a) display Certificate of registration obtained from the Authority and details of validity of certificate of registration on its web site.
- b) prominently display the names of insurers with whom it has an agreement to refer leads in the Home page of the website.
- c) display the list of products that are available for information on its designated website.
- d) display specific information that the details of the prospects who visit their website shall be shared with the insurers for the purposes of soliciting insurance policies.
- e) not promote the services or the products of any third parties on their designated website, unless permitted by the Authority.
- f) not allow any third party to divert their clientele to the website of the Insurance Web Aggregator, unless permitted by the Authority.
- g) register as a Telemarketer, if desirous of carrying out Telemarketing.
- h) maintain an effective lead management system and ensure that leads are recorded and monitored through the LMS System.
- i) maintain the records and the reports of its activities under the agreement with Insurer, in the manner specified in the agreement entered into between the Insurer and the Insurance Web Aggregator.
- j) along with its employees (whatever their designation may be) comply with all the provisions of the Act, the IRDA Act, 1999, the rules and regulations framed thereunder and other directions issued by the Authority from time to time.
- k) not accept any payment from Insurer to itself or through its employees or promoters other than the remuneration specified in Regulation 30.

SCHEDULE VIII

FORM W

[see regulation 32]

Code of Conduct for Insurance Web Aggregator:

- a) Conduct in matters relating to clients relationship— Every Insurance Web Aggregator shall:
 - i) conduct its dealings with Prospects/Policyholders with utmost good faith and integrity at all times;
 - ii) act with care and diligence;
 - iii) treat all information supplied by the prospects as completely confidential to themselves and to the insurer(s) to whom the business is being offered;
 - iv) take appropriate steps to maintain the security of confidential documents in their possession;
 - v) understand the type of Prospect it is dealing with and the extent of the Prospect's awareness of risk and insurance;
 - vi) Avoid conflict of interest.
 - b) Conduct in relation to complaints handling —
- Every Insurance Web Aggregator shall: —
- i) have in place a system for recording and monitoring complaints.

- ii) ensure that the websites contain details of complaints handling procedures and provides a facility to the complainant to log complaints online;
- iii) ensure that communication of clients in any form, written/phone/fax/email/Messaging etc are acknowledged promptly and in no case beyond five working days from the date of receipt of such complaint
- iv) ensure that the grievance is resolved to the fullest satisfaction of the client;
- v) ensure that response letters are sent to the complainant on the resolution of the grievance, and the complainant is informed of the further redressal procedure available to him;
- vi) ensure that complaints are attended to at Key Management Person level.
- c) Conduct in matters relating to advertising— Every Insurance Web Aggregator shall ensure that the designated website contains no advertisements or any information that is prohibited under regulation 31 above.
- d) Conduct in matters relating receipt of remuneration— Every Insurance Web Aggregator shall, if requested by a prospect, disclose the amount of remuneration or other remuneration it receives as a result of effecting insurance for that client.
- e) Conduct in relation to matters relating to training — Every Insurance Web Aggregator shall:
 - i) Ensure that its staff are aware of and adhere to the standards expected of them by this code;
 - ii) ensure that staff is competent, suitable and have been given adequate training;
 - iii) ensure that there is a system in place to monitor the quality of advice given by its staff;
 - iv) ensure that members of staff are aware of legal requirements including the law of agency affecting their activities; and only handle classes of business in which they are competent;
 - v) draw the attention of the client to Section 41 of the Act, which prohibits rebating and sharing of commission/remuneration.
 - vi) Every Insurance Web Aggregator shall display in every office where it is carrying on business and to which the public have access a notice to the effect that a copy of the code of conduct is available upon request and that if a member of the public wishes to make a complaint or requires the assistance of the Authority in resolving a dispute, he may write to the Authority.
 - vii) Every Insurance Web Aggregator shall furnish the returns in such format to the Authority within 15 days from the end of the such period or within such time as allowed and specified by the Authority.

SCHEDULE IX

FORM X

[see regulation 33]

Procedure for disciplinary proceedings

1.Cancellation or suspension of certificate of registration with notice —

- a) The certificate of registration of an Insurance Web Aggregator may be cancelled or suspended after due notice and after giving him a reasonable opportunity of being heard if he —
 - i) violates the provisions of the Insurance Act,1938 (4 of 1938), Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or rules or regulations, made there under;
 - ii) fails to act in accordance with the Obligations of the Insurance Web Aggregators as specified in Form V of Schedule VIII and in conducting telemarketing and distance marketing activities as specified in Form T of Schedule VI of these Regulations;
 - iii) fails to adhere to the Code of Conduct specified in Form W of Schedule VIII of these Regulations;
 - iv) furnishes wrong or false information for obtaining a certificate of registration; or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining a certificate of registration;
 - v) fails to furnish any information relating to his activities as an Insurance Web Aggregator as required by the Authority or furnishes wrong or false information or conceals or fails to disclose material facts to the Authority during the validity of certificate of registration;
 - vi) does not submit periodical returns as required by the Authority;
 - vii) does not co-operate with any inspection or enquiry conducted by the Authority;
 - viii) fails to resolve the complaints of the policy holders or fails to give a satisfactory reply to the Authority in this behalf;

- ix) indulges in rebates or inducements in cash or kind to a Prospect or any of the Prospect's directors or other employees or any person acting as an introducer;
- x) fails to pay the fees required under Regulation 13 of these Regulations, penalties imposed or the reimbursement of expenses under these regulations;
- xi) fails to maintain the capital and net-worth requirements in accordance with the provisions of Regulation 8 of these regulations;
- xii) if the principal officer does not fulfill the conditions mentioned in the regulation
- xiii) If the Insurance Web Aggregator indulges in sourcing of business by themselves or through call centers by way of misleading calls or spurious calls;
- xiv) are found guilty of misconduct or their conduct is not in accordance with the Code of Conduct specified in Form W of Schedule VIII, whichever is applicable;
- xv) do not carry out their obligations as specified in the regulations;
- b) In the circumstances where the Authority feels that the establishment of an Insurance Web Aggregator is only to divert funds within a group of companies or their associates, it can after due enquiries made by it cancel the certificate of registration granted to the Insurance Web Aggregator.
- c) An Insurance Web Aggregator whose certificate of registration is suspended after due notice and after giving him a reasonable opportunity of being heard, shall not solicit any new business or carry out any other functions of Insurance Web Aggregator for which the Certificate of registration was granted, from the date of receipt of such Suspension Order till such time the suspension is revoked.
- d) If it is established on the examination of the facts, figures, circumstances and other substantial documentary evidence that the provisions of regulations are violated/ breached by the Insurance Web Aggregator and the Authority in the interest of policyholders may consider imposing financial penalty instead of cancellation/suspension of certificate of registration of the Insurance Web Aggregator for such violations/breaches.

2. Cancellation or suspension of certificate of registration without notice — The certificate of registration of an Insurance Web Aggregator may be cancelled or suspended without notice, if it —

- (a) is found guilty of fraud, or is convicted of a criminal offence;
- (b) commits such defaults, which require immediate action in the opinion of the Authority, provided that the Authority has communicated the reasons for the cancellation in writing;
- (c) has not commenced business within six months of being granted a certificate of registration.
- (d) violate any one or more of the requirements under the code of conduct specified in Form W of Schedule VIII, whichever is applicable;
- (e) in case the certificate of registration of an Insurance Web Aggregator is suspended without notice, such certificate of registration shall not be cancelled unless an enquiry has been held in accordance with the procedure specified in these Regulations.
- (f) an Insurance Web Aggregator whose certificate of registration is suspended without notice shall not solicit any new business or carry out any other functions of Insurance Web Aggregator for which the Certificate of registration was granted, from the date of receipt of such Suspension Order till such time the suspension is revoked.

3. Manner of holding enquiry before suspension or cancellation — For the purpose of holding an enquiry under these Regulations, the Authority may appoint an enquiry officer;

- (a) the enquiry officer shall issue to the Insurance Web Aggregator a notice at the registered office or the principal place of business of the Insurance Web Aggregator, as the case may be, calling for such information as he considers necessary for the conduct of an enquiry;
- (b) the Insurance Web Aggregator may, within fifteen days from the date of receipt of such a notice, furnish to the enquiry officer a reply together with copies of documentary or other evidence relied on by him or sought by the enquiry officer;
- (c) the enquiry officer shall, give a reasonable opportunity of hearing to the Insurance Web Aggregator to enable him to make submissions in support of his reply made
- (d) the Insurance Web Aggregator may either appear in person or through any person duly authorized by him to present its case;

- (e) if it is considered necessary, the enquiry officer may require the Authority to present its case through one of its officers;
- (f) if it is considered necessary, the enquiry officer may call for feedback/information from the insurer or any other related entity during the course of enquiry; and
- (g) the enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the Insurance Web Aggregator, submit a report to the Authority within 30 days of the completion of the enquiry proceedings.

4. Publication of order of suspension — (1) The order of suspension of the certificate of registration made under regulation 33, shall be displayed on website of the Authority and communicated to the insurers, so that registration of new business and other activities by the suspended Insurance Web Aggregator is stopped forthwith by the insurers.

(2) On and from the date of suspension or cancellation of the certificate of registration, the Insurance Web Aggregator, shall cease to function as an Insurance Web Aggregator.

5. Procedure to apply afresh to the Authority, in case where the Authority has cancelled or refused the renewal of certificate of registration—

a. Insurance Web Aggregator can apply afresh for certificate of registration as Insurance Web Aggregator in cases where there was a cancellation of certificate of registration and/or rejection of renewal of certificate of registration only after a period of twelve months from date of such decision from the Authority. Further, in case the Authority's decision is upheld in any litigation, the application shall be considered after 12 months from the date of the final judgment of the court.

b. Application for Insurance Web Aggregator certificate of registration applied afresh by the company whose certificate of registration was cancelled (or renewal rejected) either due to surrender or disciplinary action shall be accepted on successful completion of due diligence process involving one or more of the following:

- i. Gravity of previous regulatory violations
- ii. LMS model and existing infrastructure setup of Insurance Web Aggregator
- iii. Persistency of business over the years
- iv. Complaints registered against Insurance Web Aggregator through various insurance companies /customers
- v. Due diligence and track record of existing business.
- vi. Other information received with the application prescribed for the said purpose.
- vii. any other matter which may be specified from time to time by an order or guideline issued by the Authority.

(c) Authority will appoint a committee to examine the application and based on the recommendation of the said committee, the decision to cancel a renewal/ certificate of registration would be taken.

SCHEDEULE X

FORM Y

[see regulation 39]

Documents for voluntary surrender of certificate of registration

- i) The Company shall ensure that, as on date of making the application, necessary fee has been paid
- ii) A certified copy of resolution of the Board of Directors recording reasons for surrender of registration
- iii) A confirmation from the Principal Officer that no fresh business would be placed from the date of their request for surrender of registration
- iv) Original Certificate of valid Registration/certificate of registration
- v) An undertaking from Directors of the Company to service the existing clients whose policies are in force for a period of six months within which suitable arrangements shall be made for having the contracts attended to by another registered Insurance Web Aggregator.
- vi) To notify & inform to the Registrar of Companies and comply with their requirements under Companies Act for deletion of Main Objects of MOA/AOA or produce proof of steps taken to de-register the company with Registrar of Companies.
- vii) To submit the statistics on claims, business premium for the preceding three financial years, as per format specified by the Authority from time to time.

viii) To provide the details of every event that has come to the Company's notice where the insurance Web Aggregator may become liable to pay damages or compensation to clients, whether covered by the professional indemnity policy or not, giving the following information:

- a. Date of period of occurrence.
- b. Name of client concerned.
- c. Nature of event likely to give rise to a claim.
- d. Brief description of basis of claim.
- e. Intimated or estimated amount of claim.
- f. Amount provided by the insurance Web Aggregator in its books for the claim.
- g. Present status of claim.
- h. Any other information, required by the Authority.

SCHEDULE XI

FORM Z

[see regulation 36]

Obligations of Insurers

a) An Insurer shall not pay any fee or remuneration, by whatever name called, to Insurance Web Aggregators other than what is prescribed in regulation 30.

b) An Insurer shall not pay any fee or remuneration, by whatever name called, on any type of renewal premium/policy payable from the second year and the subsequent years, to insurance Web Aggregators.

Explanation: For the purposes of general insurance and health insurance it is clarified that renewal commission is payable on annual insurance policies such as motor insurance, health insurance and other similar policies provided the insurance policies are renewed without any break.

c) An Insurer shall not pay any fee or remuneration, by whatever name called to any person/entity who owns/maintains a website not approved by the Authority under these Regulations that is engaged in web aggregation or product/price comparison.

d) An Insurer shall not make any payment, by whatever name called, in the form of advance to an Insurance Web Aggregator.

e) An Insurer shall not pay any remuneration after termination of agreement with Insurance Web Aggregator.

f) An Insurer shall not pay any remuneration after the lapse of validity of Certificate of registration given by the Authority to the Insurance Web Aggregator.

g) An Insurer shall obtain and maintain records of leads/data obtained from each Insurance Web Aggregator through the lead management System of the Insurance Web Aggregator, the details of the policies sold out of the leads/data thus obtained and the information regarding the payments made.

h) An Insurer shall submit to the Authority, the records referred to in different sections of these Regulations and the reports, if any, of its activities as relevant for the purpose of these Regulations, whenever called upon to do so.

i) Insurers shall share product information and premium rates with Insurance Web Aggregators within the time frame as specified in the agreement, and the information so shared shall match with the product approved by the Authority.

j) An insurer shall ensure that in case the prospect is debited two or more times for purchasing an insurance policy, then the prospect shall be refunded his premium expeditiously and in any case not beyond a period of forty five days from the date of the transaction.

SCHEDULE XII
FORM AA

[see regulation 8(b)]

Manner of calculation of equity capital held by foreign investors

(1) For the purposes of the Act and these Regulations,

- a. The Indian promoter, Indian Investor and Foreign Investor shall have the same meaning as given in Regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000.
- b. For the purposes of determining Indian owned and controlled, the Indian promoter shall be a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), which is not a subsidiary as defined in section 2(87) of that Act and also furnish the extent of investment held by all foreign investors in that promoter company.
- c. The calculation of the holding of equity shares by one or more Foreign Investors in the applicant company, shall be made as under and shall be aggregate of: -
 - i. the quantum of paid up equity share capital held by the Foreign Investors including foreign venture capital investors, in the applicant company; and
 - ii. the proportion of the paid up equity share capital held or controlled by such foreign investor(s) either by itself or through its subsidiary companies in the Indian promoter(s) or Indian Investor(s) as mentioned in sub-clause (a) of this Form

Provided that clause (ii) shall not be applicable to an Indian promoter or Indian investors namely:

(i) a banking company as defined in sub section(c) of section 5 of the Banking Regulations Act, 1949 but does not include a foreign bank or branch thereof functioning in India;

(ii) a public financial institution as defined in section 2(72) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

- (2) Every Insurance Web Aggregator who has been granted registration under the Act shall, within 45 days of the end of every quarter, furnish to the Authority a statement indicating changes exceeding 10% of the paid up capital of the promoter.
- (3) However, any change in excess of 25% of the paid up capital of the promoters shall be reported to the Authority immediately.

SCHEDULE XII

FORM AB

[see regulation 8(d)]

Transfer of shares

1) Registration of transfer

No registration of transfer of shares or issue of equity capital of an insurance Web Aggregator which would result in change in the shareholding shall be made, where:

- a. After the transfer, the total paid-up capital holding of the transferee in the shares of the Web Aggregator is likely to exceed five percent of its paid up capital; or
- b. The nominal value of the shares intended to be transferred by an individual, or, group, constituents of a group or body corporate under the same management, jointly or severally exceeds five percent of the paid up capital of the Web Aggregator

Unless the previous approval of the Authority has been obtained for the said transfer

2) Application for transfer

The application seeking prior approval of the Authority shall be made in Form AC. The application shall be accompanied by the requisite documents and the details of the transferee as specified in Form AD providing complete details of the proposed transferee, its financial strength, sources of funds from which the proposed investments is intended to be made and such other information as may be prescribed by the Authority.

3) Declaration of Beneficial shareholding

The application for transfer of shares shall be accompanied by a declaration from the proposed shareholders whether the shares are proposed to be held for his own benefit or as a nominee, whether jointly or severally, on

behalf of others and in the latter case giving the name, occupation and address of the beneficial owner or owners and the extent of beneficial interest of each.

4) Due Diligence

The Authority shall carry out the requisite due diligence of the proposed transfer prior to grant of approval for registration of transfer of shares under the Regulations or for issue of shares to the proposed transferee.

5) Conditions for approval

The Indian promoters shall hold shares in a Web Aggregator as approved by the Authority

Provided that the Authority shall while according its approval, specify such conditions on promoters as it may consider appropriate, including but not limited to:

- a. Minimum lock in period
- b. Infusion of additional capital in proportion of its shareholding or otherwise, at periodic intervals to ensure that the insurance Web Aggregator is compliant with the net-worth requirements at all times; and
- c. Compliance with all regulatory stipulations imposed on the promoters, if any.

6) Foreign Investors

The foreign investors shall hold shares in an insurance Web Aggregator in accordance with the provisions of Rules, Regulations, and Guidelines issued in this regard.

Provided that the Authority while according approval may prescribe such conditions as it may consider appropriate, including but not limited to:

- a. Minimum lock in period
- b. Infusion of additional capital in proportion of its shareholding or otherwise, at periodic intervals to ensure that the insurance Web Aggregator is compliant with the net-worth requirements at all times; and
- c. Compliance with all regulatory stipulations imposed on the promoters, if any

7) Ceiling on Indian Investors

The investors excluding the foreign investors shall hold shares in an insurance Web Aggregator subject to the following conditions:

- a) Where there are one or more investors in Web Aggregator, no investor shall hold shares in a Web Aggregator company exceeding fifteen percent of the paid up equity capital of such Web Aggregator.
- b) All investors as indicated at (a) above, jointly shall not hold more than twenty five percent of the paid up equity share capital of the Web Aggregator.
- c) While an investor in a Web Aggregator may be an investor in other Web Aggregators, he cannot be a promoter in more than one Web Aggregator.

SCHEDULE XII

FORM AC

[see regulation 8(d)]

Application seeking transfer of shares in Insurance Web Aggregator

1. In terms of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017, _____ (Name of the Insurance Web Aggregator) has been granted Certificate of Registration No. _____ on _____ (date) to carry on web-aggregation business.
2. The shareholding of the insurance company at the time of grant of certificate of registration was under

SI. No.	Promoter/Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding	Lock-in-period (No. of years)	Lock-in period ends on (Date)
1.....					
2.....					
3.....					

3. Post registration of the insurance Web Aggregator, the shares of promoters/investors were transferred in favour of post grant of requisite approval of the Authority vide its letter no dated (where applicable)

While granting approval for transfer of the said shares, the Authority had stipulated a lock in period on the incumbent transferee(s), as per details furnished as under

SI.No.	Promoter/Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding	Lock-in-period (No. of years)	Lock-in period ends on (Date)

4. The..... (Name of the Insurance Web Aggregator) hereby seek approval of the Authority in terms of Regulation 8(d) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 for (i) registration of transfer of shares held by the promoter(s)/investor (s) and/or (ii) allotment of shares on preferential basis through private placement as per details given below:

SI. No.	Existing Promoter /Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding	New Promoter/Investors	No. of Share held post Transfer/ Allotment	Per cent of Shareholding Post Transfer/ Allotment

On receipt of approval from the Authority, we shall ensure compliance with all regulatory requirements, including but not limited to the Corporate Laws and any other stipulations as may be applicable.

Place:

Date:

(Signature)

Principal Officer

(Name of the Insurance Web Aggregator)

Enclosed: Form AD

SCHEME XII

FORM AD

[see regulation 8(d)]

Documents and the details of the transferee accompanying the transfer of share application

SI. No.	Particulars	Remarks
1	Name of the proposed Transferee: (Name and Full address giving the details of the proposed transferee)	
2.	Legal Form/Status :	Individual/LLP/ Partnership firm/Corporate Entity/Co-operative Society/ Bank/ Financial Institution/ Any other (pl. Specify)
3.	No. and Date of Incorporation: (Date of Birth in case of Individual)	

4.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax circle	
5.	(a) Transferee status :	Investor/promoter
	(b) Whether the investor and/ or promoter or its group company are also shareholder in an insurance intermediary. (If yes, then please give complete details)	
	(c) Whether the investor and/or its promoter of its group company is having shareholding in any other insurance company. (If yes, then please give complete details)	
6.	Letter of Consent of proposed Transferee (Please provide copy of Board resolution approving acquisition in case of Corporate entity)	
7.	Copies of requisite approvals by the relevant jurisdiction/sector regulator as applicable	
8.	Copies of requisite approvals under Foreign Exchange Management Act, 1999(FEMA)	
9.	Copies of requisite approvals, if any under the provisions of Competition Commission of India.	
10.	Letter of Consent of the proposed Transferee confirming compliance with all stipulations as may be laid down by the Authority.	
11.	Confirmation from the Insurance Web Aggregator (applicable only in case of unlisted entities) indicating concerns, if any, on the revised shareholding pattern.	
12.	Board Resolution of the applicant company seeking to issue shares, if applicable	
13.	Fit and Proper <ul style="list-style-type: none"> a. Declaration providing details of civil/criminal/ regulatory action taken/pending against the proposed transferee 	
	<ul style="list-style-type: none"> b. Whether the transferee or the Directors of the transferee have ever been refused (or had revoked) a license or authorisation to carry on any regulated financial business. (If yes, then please give complete details thereof) 	
	<ul style="list-style-type: none"> c. Details of any censure or disciplinary action initiated by any Government, Regulatory or Professional Body. 	
	<ul style="list-style-type: none"> d. Whether any Governmental Regulatory or Professional Body has ever investigated any company, firm or organisation with which the Directors 	

	and key persons have been associated as a director, officer, manager or shareholder. (If yes, then provide the complete details)	
14.	Details of any Agreement in place/proposed to be entered into with the insurance Web Aggregator.	
15.	Declaration for the Beneficial ownership: A declaration by the transferee as to whether he proposes to hold the shares for his own benefit or as nominee, whether jointly or severally, on behalf of others and in the latter case giving the name. Occupation and address of the beneficial owner or owners, and the extent of the beneficial interest of each.	
16.	Compliance of provisions of “Indian owned and controlled” (please attach a brief note on the same)	
17.	Documents pertaining to the proposed Transferee (as applicable) :	<ul style="list-style-type: none"> a. Memorandum of Association and Articles of Association b. List of the Directors c. Shareholding pattern/details of partners d. Key Managerial Personnel e. Financial statements of the previous three years f. Brief note about the background, financial strength; etc. g. Income tax statements for last five years h. Details of Directorship/Partnership/shareholding (equity shares holding of one per cent and above) in other entities i. Self-Attested Affidavit confirming that the information furnished in Forms AC and AD along with is correct and complete, and nothing has been concealed or suppressed. j. Any other information, which may be considered relevant.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./24/17]